Vol. 3 No.1&2 YEAR- 2018
http://www.gorakhpurjournals.in
संयुक्तांक
ISSN -: 2456-3560

Impact Factor
4.646 SJIF

शोध सीमांकन

An Interdisciplinary, bilingual,
bi-annual, a peer review or refereed,
Indexed & Open Accesses International Research Journal

संपादक
डॉ. अजय कुमार सिंह
सुबोध कुमार मिश्र

Vol. 3 No.1&2 YEAR- 2018

संयुक्तांक

ISSN -: 2456-3560

Impact Factor
4.646 SJIF

शोध सीमांकन

An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal

http://www.gorakhpurjournals.in

संपादक
डॉ. अजय कुमार सिंह
सुबोध कुमार मिश्र

गोरखपुर (उतर प्रदेश)

Patron
Prof. Nidhi Chaturvedi (Gorakhpur)

ADVISORY BOARD
Prof. Himanshu Chaturvedi
Prof. A. S. Rawat (Nainital)
Prof. V. K. Srivastava (Sagar)
Prof. C. M. Aggrawal (Almoda)
Prof. Ashok Kumar Singh (Varanasi)
Prof. Abha R. Pal (Raipur)
Prof. Vipula Dubey (Gorakhpur)
Prof. Kirti Pandey (Gorakhpur)
Prof. Geeta Srivastava (Meerut)
Prof. M M Pathak (Gorakhpur)
Prof. Sumitra Singh (Gorakhpur)
Prof. Sandeep Kumar (Gorakhpur)
Prof. Shikha Singh (Gorakhpur)
Prof. Ashish Srivastava (Gorakhpur)
Dr. Rajesh Nayak (Chapara)
Prof. Shushil Tiwari (Gorakhpur)
Prof. Vinod Kumar Singh (Gorakhpur)
Dr. Vimlesh Kumar Mishra (Gorakhpur)
Dr. Pragya Mishra (Faizabad)
Mr. Alok Kumar Yadav (HNB Central Unversity, Tihari Campus)
Dr. Dinesh Kumar Gupt (Aligarh)

EDITORIAL BOARD
Dr. Sachin Rai
Dr. Anjana Rai
Dr. Shrikant Chaudhary
Dr. Arbind Kumar Gupta
Dr. Parikshit Dube
Dr. Abhishek Singh
Dr. Praveen Kumar Tripathi
Dr. Pragyesh Kumar Mishra

Authors your Research Paper on Mail- shodhsimankan@gmail.com

The editors are not responsible for the opinion expressed by the contributors.

Printed in India
Printed, published and owned by **Gorakhpur Journals** Printed at
COMSERVISCES Industrial Area Wazirpur, Delhi.

Scientific Journal Impact Factor

CERTIFICATE OF INDEXING (SJIF 2017)

This certificate is awarded to

Shodh Simankan
(ISSN: 2456-3560)

The Journal has been positively evaluated in the SJIF Journals Master List evaluation process
SJIF 2017 = 4.646

SJIF (A division of InnoSpace)

SJIFactor Project Manager
International Advisory Services
INNOSPACE INTERNATIONAL

SJIFactor Project

INDEX

	शोध पत्र/ लेखक	पृष्ठ सं.
1.	स्वामी विवेकानन्द एवं उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शचीन्द्र मोहन	1-4
2.	भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग ब्रजेश कुमार पाण्डेय	5-8
3.	निचले गंगा-घाघरा दोआब में कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप डॉ. पूजा सिंह	9-26
4.	**Loneliness and Disapproval Experiencess of Migrant** **Sadhana Singh Yadav**	27-30
5.	युवाओं में मादक द्रव्य के दुष्प्रभाव भूमिका बीना	30-35
6.	भारत मे स्त्री शिक्षा का विस्तार या प्रगति 19 वीं शताब्दी तक कुमारी प्रियंका	36-46
7.	प्राग् ऐतिहासिक काल में उपकरण प्रद्यौगिकी का स्वरूप आनन्द कुमार मिश्र	47-51
8.	**Sharqi Architecture (Atala Mosque)** **Ashu Kamboj**	52-57
9.	भारत-नेपाल सम्बन्ध पर चीन की सौम्य शक्ति राजनय का प्रभाव बागेश कुमार सिंह	58-61
10	भारतीय चिन्तन एवं महिला सशक्तीकरण नवनीत कुमार	62-66
11	स्त्री शिक्षा एक अवलोकन अस्मित शर्मा	67-73
12	भारतीय राजनीति में महिलाएं डॉ. अरुण श्रीवास्तव	74-81
13	प्रभा खेतान की कविताओं में विविध सामाजिक विमर्श सोनम सिंह	82-89
14	मध्यकालीन भारत में सामान्य लोगों का जनजीवन : एक विश्लेषण प्रतिभा	90-94
15	भारतीय शिक्षा-व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ डॉ. कृष्ण कुमार	95-102
16	महिलायें तथा पर्यावरण डॉ. अजय कुमार सिंह	103-112
17	भारतीय परम्परा के कतिपय आचार्य एवं उनके आश्रम सुबोध कुमार मिश्र	113-119

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	**समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र**	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	**प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)**		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	**आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास**		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी		
	चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक / क्रेडिट)	20	20
	प्रति मॉड्यूल / व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	विषयवस्तु लेखक / एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक / क्रेडिट)	08	08
	(घ) ई– विषयवस्तु		
	पूर्ण पाठ्यक्रम / ई– पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में ई– विषयवस्तु का विकास	12	12
	प्रति मॉड्यूल ई– विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	समग्र पाठ्यक्रम / पत्र / ई–पुस्तक में ई– विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

1

स्वामी विवेकानंद एवं उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

शचीन्द्र मोहन
शोध छात्र, इतिहास विभाग
दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय

राष्ट्र चेतना और राष्ट्रवाद के विचार को मानव की सर्वोच्च आकांक्षा की अभिव्यक्ति माना जाता है। यह आधुनिक विश्व की सबसे प्रभावपूर्ण और सबसे शक्तिशाली वैचारिक शक्ति है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का चिंतन है। राष्ट्र की यूरोपीय अवधारणा से काफी पहले से भारत के पास एक अपना राष्ट्र–बोध था, जिसका आधार सांस्कृतिक–भौगोलिक एकता थी। एक राष्ट्र का सबसे स्पष्ट रूप 'एक राष्ट्र' होने की अपनी भावना (एकत्व की भावना) है। यह 'राष्ट्रवाद' उसकी सांस्कृतिक पहचान है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति एकत्व की भावना है। राष्ट्रवाद सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित और पुनर्स्थापित करता है क्योंकि राष्ट्रीय अस्मिता, व्यक्तिगत (या सामूहिक) अस्मिताओं के ऊपर होती है और श्रेष्ठ भी होती है। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और राष्ट्रवाद के रूप में चिन्हित किया जाता है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवादः

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का प्राचीनतम विचार है, जो राष्ट्र को 'साझी संस्कृति' के आधार पर परिभाषित कराता है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के मूल में निहित 'सांस्कृतिक विशिष्टता' की चेतना, राष्ट्रवाद की भावना के उद्भव का कारण होता है। औपनिवेशिक भारत में स्वस्फूर्त रूप से ऊर्जस्वी (उद्भूत) राष्ट्रवाद की अवधारणा में स्वामी विवेकानन्द का अहम योगदान रहा था। स्वामी विवेकानन्द ने भारत की 'सांस्कृतिक विशिष्टता' की चेतना और राष्ट्रवाद की भावना को जाग्रत करने का कार्य किया।

भारत की आम जनता की दुर्दशा से अत्यन्त मर्माहत होकर स्वामी विवेकानन्द ने उन्हें मातृभूमि की सेवा एवं आत्म बलिदान की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होने कहा था 'राष्ट्रीयता का आधार धर्म व संस्कृति' ही होता है। उन्होंने षहिन्दुत्वष को भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रतिष्ठित किया। 17 सितम्बर 1893 को शिकागो में धर्मसभा में उन्होंने भारत को 'हिन्दू राष्ट्र' के नाम से महिमा

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

मंडित किया और स्वयं के 'हिन्दु होने पर गर्वष को विस्तार से विश्लेषित किया। उन्होंने बताया षहिन्दू धर्म पर प्रबंध' ही हिन्दुत्व की राष्ट्रीय परिभाषा है।[1] इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने पर हमें हमारे विशाल देश की बाहरी विविधता में अन्तर्निहित एकता के दर्शन होते हैं। सहस्त्राब्दियों से यह भारतवर्ष आर्यावर्त एक संघ संस्कृति क राष्ट्र रहा है। शिकागो से वापसी पर उन्होंने कहा कि 'केवल अंधे देख नहीं पाते, और विक्षिप्त बुद्धि समझ नहीं पाते कि यह सोया देश अब जाग उठा है। अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करने के लिए इसे अब कोई नहीं रोक सकता' उन्होंने सभी हिन्दुओं को सब भेदों से ऊपर उठकर अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व करना सिखाया। एक बार लाहौर में उनके सम्मान में सनातनी, आर्यसमाजी तथा सिखों ने अलग अलग सभाओं का आयोजन करना चाहा तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और सबको एक ही मंच पर आह्वान किया। वहां उन्होंने 'हिन्दुत्व के सामान्य आधार' पर अपना आख्यान दिया।

''मैं भारतीय हूं और हर भारतीय मेरा भाई है।'' ''अबोध भारतीय, गरीब एवं फक्कड़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है।'' ''भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी–देवता मेरे भगवान हैं, भारत का समाज मेरी बाल्यावस्था का झूला है, मेरी युवावस्था को आनंदित करने वाली वाटिका है, पवित्र स्वर्ग है, मेरी वृद्धावस्था का वाराणसी है।'' ''भारत की धरती मेरा परम स्वर्ग है, भारत की अच्छाइयां मेरी अच्छाइयां हैं।'' ये सभी महान देशभक्त संत स्वामी विवेकानन्द के उद्गार थे जो भारतीयों में एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान को जगाने में मददगार रहे हैं।[2]

1896 कि विदेश यात्रा के बाद विवेकानंद ने पुरे देश का दौरा किया। उन्होंने कहा "एक शताब्दी के ब्रिटिश शासन ने जो आघात किया है उतना अब तक के कोई आक्रान्ता नहीं कर पाए। भारत के मन को तोड़ने का कार्य ब्रिटिश लेखकों, शिक्षाविदों ने सफलता पूर्वक किया। उन्होंने पूछा ष्यह कौन सी शिक्षा है जो आपको पहला पाठ पढ़ाती है कि आपके माता–पिता व पूर्वज मुर्ख हैं और आपके आराध्य देवी–देवता शैतान ? आज से ५०वर्ष पूर्व जिस देश के युवाओं कि आँखों में भय अथवा संकोच नहीं था, आज उस देश के युवा निस्तेज क्यूँ हैं? स्वामी जी ने इस पीड़ा को अनुभव किया और कन्याकुमारी में देश के युवाओं का सिंहत्व जगाने का चुनौती पूर्ण संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद ने बार–बार कहा कि 'भारत के पतन का कारण धर्म नहीं है अपितु धर्म के मार्ग से दूर जाने के कारण ही भारत का पतन हुआ है। जब जब हम

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

धर्म को भूल गए तब तब हमारा पतन हुआ है और धर्म के जागरण से ही हम पुनः नवोत्थान की और बढे हैं।"[3]

वैसे तो राष्ट्रवाद के अभ्युदय को पश्चिमी प्रभाव की देन माना जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानन्द का राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता एवं नैतिकता से पूरी तरह ओत–प्रोत है। औपनिवेशिक भारत में जबरदस्त ढंग से उभरे राष्ट्रवाद की अवधारणा में उनका अहम योगदान रहा था और उन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत की कामयाब छलांग सुनिश्चित करने में विशेष भूमिका निभाई थी। 20वीं शताब्दी के युवाओं पर उनका जबरदस्त प्रभाव रहा है।[4]

स्वामी विवेकानन्द का राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। वह भारत के अभ्युदय को आध्यात्मिक लक्ष्य से जोड़ने में सफल रहे थे, जो इस देश की प्राचीन परंपरा रही है। उनका कहना था, ''हर राष्ट्र को अपने सपनों को साकार करना है, हर देश को अपना एक संदेश भेजना है, हर राष्ट्र को सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा करना है। अतः हमें निश्चित रूप से यह समझना पड़ेगा कि हमारी अपनी संतति का मिशन क्या है, उसे किन–किन सपनों को साकार करना है, उसे राष्ट्रों की दौड़ में कौन सा स्थान हासिल करना है और उसे विभिन्न संततियों में सामंजस्य बैठाने में क्या भूमिका निभानी है।''[5]

उनकी राष्ट्रीयता का स्वरूप भौतिकवादी नहीं, बल्कि पूर्णतया आध्यातमिक है, जिसे भारतीय जीवन में सभी शक्तियों का स्रोत समझा जाता है। पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत, जो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद धर्म पर आधारित है, जोकि भारतीयों की जीवन शक्ति है। आम लोगों के लिए गहरी चिंता, स्वअभिव्यक्ति के लिए समानता और स्वतंत्रता, सार्वभौमिक भाईचारे के आधार पर विश्व का आध्यात्मिक एकीकरण और कर्मयोग, जो कि आध्यात्मिक एवं राजनीतिक, दोनों तरह की स्वतंत्रता पाने की आचार नीतियों की एक प्रणाली है, उनके राष्ट्रवाद का आधार थी।[6]

स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को विविधता से भरे भारत के सभी धार्मिक तत्वों के समन्वय बिन्दु के रूप में देखा, जो राष्ट्रीय धारा को एकजुट करने में समर्थ था। स्वामी विवेकानंद की तरह, अरविन्दो घोष और महात्मा गांधी ने भी महसूस किया कि धर्म और आध्यात्मिकता भारतीयों की रगों में बसी है और उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता की ताकत को जागृत करने के जरिये भारत की समग्रता के लिए काम किया।[7]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक व मानवता प्रेमी भी थे। स्वतंत्रता आन्दोलन में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि नए भारत के निर्माण के लिए मोची कि दुकान, भड़भूजे के भाड़, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़ो, खेत से खलियान से, झाड़ियों और जंगलों से, पहाड़ों और पर्वतों से, तब ही नव भारत का निर्माण होगा। परिणाम स्वरुप जनता निकल पड़ी। आजादी कि लड़ाई में गाँधी जी को जो जन समर्थन मिला था, यह उसी आह्वान का प्रतिफल था। उनका कहना था 'उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने मानव जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।'[8]

21 सदी की शुरूआत से ही विश्व अराजक स्थिति का सामना कर रहा है और एक प्रकार के संक्रमण काल से गुजर रहा है। मानव इतिहास की इस बेला में सार्वभौमिक भाईचारे और सद्भावना के आधार पर राष्ट्र और विश्व के आध्यात्मिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाले स्वामी विवेकानंद का संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनके संदेशों में व्यक्तियों व राष्ट्रों का शांतिपूर्ण सह–असतित्व सुनिश्चित करते हुए युद्धों को टाल सकने की क्षमता है।

सन्दर्भ सूची

1. मेरा जीवन तथा ध्येयः स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर मध्यप्रदेश, जुलाई १९५०
2. हिन्दू धर्म, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर मध्यप्रदेश, जून १९५०
3. राजयोग, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण आश्रम, वन्तोली नागपुर, १ मई १९६१
4. कम्पलीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद
5. स्वामी विवेकानंद, रोमा रोलां
6. टू द यूथ ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद
7. भारत और उसकी समस्याए, स्वामी विवेकानंद
8. आई एम इंडिया (स्वामी विवेकानंद एंड फ्रीडम मोवमेंट)

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

2

भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग

ब्रजेश कुमार पाण्डेय
शोध छात्र, इतिहास विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा, कांग्रेस के बाद भारत की दूसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के मामलों में और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनियां की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ इसके वैचारिक और संगठनात्मक संबन्ध है।

भारतीय जनसंघ की स्थापना अक्टूबर 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की। 1952 में पहले आम–चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंघ ने हिस्सा लिया और तीन सीटें जीतीं। जनसंघ का राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उदय हुआ। 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 4 सीटे मिली। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसाद बने। 1962 में तीसरे लोक सभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंघ को बड़ी बढ़त मिली और पार्टी ने 14 सीटो पर जीत दर्ज की। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई। इस बार पार्टी के 35 सांसद जीतकर आये। चुनाव के एक साल बाद 1968 में जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। इसके बाद 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के अध्यक्षे चुने गये। 1971 के पांचवी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के 22 सांसद जीतकर आये। 1975 में इन्दिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कोई लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी दल एक साथ आ गए। जनसंघ और दूसरे कई दलों के इस गठबन्धन को जनता पार्टी नाम दिया गया। 1977 में छठी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। जनता पार्टी को 295 सीटे मिली। मोशर जी देसाई प्रधानमंत्री बने। जबकि अटल बिहारी बाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आड़वानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। आंतरिक कलह के चलते 30 महीनो के भीतर ही जनता पार्टी का विघटन हो गया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई परन्तु सदन में बहुमत साबित करने में असफल रहे।

जनता पार्टी से अलग होकर 1980 में जनसंघ ने अपने को 'भारतीय जनता पार्टी' के रूप में संगठित किया जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहार वाजपेयी हुए। 1984 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को महज 2 सीटे मिली। 1989 में नौवी लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की और 85 सीटे जीती। भाजपा ने जनता दल को समर्थन देकर वी0पी0 सिंह की सरकार बनवाई। वी0पी0 सिंह सरकार ने जब मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो इसके प्रतिउत्तर में भाजपा ने राममन्दिर आन्दोलन को समर्थन किया। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्यास तक रथयात्रा निकाली। आडवाणी की रथयात्रा से देशभर में भाजपा को समर्थन मिला परिणामतः 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 120 सीटें जीती। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 161 सीटों पर जीत दर्ज की। अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की केन्द्र में सरकार बनी लेकिन बहुमत न होने के कारण 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 1998 में 181 सांसद जीतकर आये। अटल बिहारी बाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। 13 महीने के अन्दर ही यह सरकार भी एक वोट से गिर गई और 1999 में फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2002 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकास्त झेलनी पड़ी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित बहुमत मिला और दोनों बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके अतिरिक्त त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, बिहार, गोवा, मणिपुर, हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखण्ड महाराष्ट्र, असम, अरूणांचल, नागालैण्ड, मेघालय, सिक्किम मिजोरम और कर्नाटक में भाजपा नीत राजग की सरकारे है।[1] चुनावी आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे भाजपा की सीटें बढ़ती गई वैसे–वैसे कांग्रेस की सीटें घटती गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटे तथा 48.1 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे वही भाजपा को महज 2 सीटे तथा 7.4 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे।[2] 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 51 सीटे तथा 19.5 प्रतिशत मत मिले जबकि भाजपा समर्थित राजग को 352 सीटें तथा 45 प्रतिशत मिले। इस प्रकार वर्तमान में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है।

भाजपा ने अपने जनाधार में वृद्धि करने के लिए समावेशी राजनीति के साथ–साथ 'माइक्रोसोशल इंजीनियरिंग' का प्रयोग किया। भाजपा अपने गठन के साथ

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

ही 'हिन्दुत्व' को अपने 'सोशल इंजीनियरिंग' का आधार बनाया। हिन्दुत्व की 'सोशल इंजीनियरिंग' के माध्यम से हिन्दूओं के 80 प्रतिशत जनसंख्या को अपने राजनीति के केन्द्र में रखा। परन्तु अस्सी के दशक में उभरने वाली मण्डल एवं दलित राजनीति ने 80 बनाम 20 के फार्मूल पर आघात किया। पिछड़ी जातियॉ एवं अनुसूचित जातियाँ जिनकी जनसंख्या क्रमशः लगभग 52 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत है सपा एवं बसपा के साथ जुड़ी रही। परिणामतः भाजपा को अपनी सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले में परिवर्तन करना पड़ा। भाजपा को धर्म के साथ जातीय आधार को भी अपने फार्मूले में शामिल करना पड़ा। अब भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग में सवर्णों, यादवों को छोड़कर पिछड़ी जातियों एवं मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया। सवर्ण मतदाताओं को पक्ष में लाने के लिए राममन्दिर आन्दोलन, तथा सवर्णों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की। सवर्ण मतदाता चुनावी हवा का रूख मोड़ने में सक्षम होता है। माना जाता है कि पिछले लोकसभा एवं 2017 के विधान सभा चुनाव में 80 प्रतिशत सवर्ण मतदाताओं ने भाजपा का साथ दिया था। भाजपा प्रत्याशियों के जीत या हार में 50 प्रतिशत योगदान सवर्ण वोटरो का ही रहा है।

लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी जातियों की हैं। स्पष्ट है कि सत्ता की राजनीति पिछड़ी जातियों के पास ही है। मण्डल की राजनीति ने पिछले कुछ वर्षों में अन्य पिछड़ी जातियों में भी यादव और दलितों की तरह नेतृत्व उभरे है। भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को यूपी के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में आगे किया है। जाट, गुर्जर, लोध और कुर्मी जैसी पिछड़ी जातियों को भी अपने नेताओं ने ताकत दी है। पाल, निषाद, कहार, प्रजापति, राजभर, बिन्द जैसी जातियों के बीच से भी नेतृत्व उभरे है।[3] पिछड़ी जातियों अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व दिया। अन्य दलों की भांति भाजपा ने भी लोकसभावार पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन किया।[4] अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए भाजपा ने कई उपक्रम किये। कर्पूरी ठाकुर से लेकर महाराजा सुहेलदेव, छात्रपति शाहूजी महराज, समेत तमाम महापुरूषों के नाम पर जिलो में सड़के बनवाने का दाव खेला। केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधानिक दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त 'अपना दल' के अनुप्रिया पटेल, सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी आदि से राजनीतिक गठबन्धन किया। इसका परिणाम यह रहा कि यादवों को छोड़कर ज्यादातर पिछडत्री जातियों को भाजपा अपने पक्ष में मतदान कराने में सक्षम रही।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

दलित जातियाँ जो कभी कांग्रेस की परंपरागत वोट रही। अस्सी के दशक में बसपा के उभार से इन्होंने ने अपने को बसपा से जोड़ लिया। परन्तु सपा–बसपा गठबन्धन ने दलित मतदाताओं (जिनकी संख्या लगभग 20 प्रतिशत है) को बसपा से दूरी बढ़ी इसके अतिरिक्त हरिजन एक्ट पर भाजपा द्वारा किये गये संशोधन तथा विकास की राजनीति से दलित वर्ग को लाभ हुआ। बसपा से असंतुष्ट दलित मतदाता भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ।

मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है। यह वर्ग कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था परन्तु बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण कांग्रेस से दूर हो गया। इसके बाद यह उसी पार्टी को मत देता था जो भाजपा को पराजित करें। परन्तु तीन तलाक पर भाजपा की नीति ने मुस्लिम महिलाओं को भाजपा के पक्ष में आकर्षित किया। मुस्लिम महिलाओं को लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया।

भाजपा ने अपने समावेशी राजनीति की नीति को स्पष्ट करते हुए नारा दिया ''सबका साथ, सबका विकास।'' अर्थात् भाजपा भारत के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेगी एवं सभी के हितों का ध्यान रखा जायेगा। परन्तु इसने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत सवर्णों, यादवों को छोड़कर पिछड़ी जातियों जैसे, पटेल, कुर्मी सैंथवार, निषाद, बिन्द, कोटरी, जाट, कहार, प्रजापति, लोध, जाट, गुर्जर आदि को पक्ष में लाने का प्रयास किया।

इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं एवं दलितों का अपने सोशल इंजीनियरिंग के केन्द्र में रखा। भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा एवं सफल विदेश नीति के संचालन के साथ–साथ विकास की राजनीति ने बौद्धिक वर्ग को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। भाजपा की समावेशी राजनीति के साथ–साथ माइक्रोसोशल इंजीनियरिंग की इसी नीति में उसे आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1– चुनाव आयोग, रिपोर्ट 2019
2– दैनिक जागरण, 16 मार्च 2019
3– दैनिक जागरण, 18 मार्च 2019
4– दैनिक जागरण, 19 मार्च 2019

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

3

निचले गंगा-घाघरा दोआब में कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप

डॉ. पूजा सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग
श्रीमती केशा देवी महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय, पकड़ी वीरभद्र, देवरिया, उ.प्र.

कृषि भूमि उपयोग क्षेत्रानुसार विभिन्न परिवर्तनशील भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों के पारस्परिक क्रिया–कलापों पर आधारित होता है। किसी स्थान विशेष पर इन प्रभावी तत्वों की उपस्थिति कृषि उपयोग की क्षमता एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का संकेत करती है।

कृषि प्रधान क्षेत्रों में प्रमुख समस्या सीमित कृषि भूमि पर तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का भार है। इसलिए कृषि भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों का समुचित क्षेत्रीय विश्लेषण करके नियोजन की ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत किया जाय जिससे प्रति इकाई कृषित भूमि क्षेत्रा से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। कृषि भूमि उपयोग भूमि प्रयोग की शोषण प्रक्रिया है। भूमि प्रयोग समय की एक अल्प अवधि है जबकि कृषि भूमि उपयोग मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी आवश्यकतानुसार भूमि के उचित एवं अनुचित उपयोग का विश्लेषण करता है।

प्रारंभिक रूप में भूमि एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है। कालान्तर में मानव अपनी आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करता है। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर भूमि क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तित होकर संपूर्ण क्षेत्रा पर सांस्कृतिक स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। बेनजेटी[1] (1972) के अनुसार भूमि उपयोग प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब में कुल 6 जनपदों को सम्मिलित किया गया हैं, इसमें गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी तथा जौनपुर जनपद के केराकत, विकासखण्ड को सम्मिलित किया गया है।[2] निचला गंगा–घाघरा दोआब मध्य गंगा मैदान की दो प्रमुख नदियों गंगा और घाघरा के बीच का क्षेत्र है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में $25^0 6'$, उत्तर से 26.8′ उत्तरी अक्षांश एवं $82^0 41'$ पूर्व से $84^0 40'$ पूर्वी

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

देशान्तर के मध्य विस्तृत है। यह एक त्रिभुजाकार प्रदेश है। जिसका शीर्ष पूर्व की ओर तथा आधार पश्चिम की ओर है। प्रदेश की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएं क्रमशः घाघरा एवं गंगा नदियों द्वारा निर्धरित होती हैं। पूर्व में दोनों नदियों का संगम क्षेत्र है। नदियों के लगातार परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच राज्य सीमा विवाद उठते रहते हैं।

पश्चिमी सीमा समुद्र सतह से लगभग 90 मीटर की समोच्च रेखा का अनुसरण करती है तथा पूर्व में 55 मीटर की समोच्च रेखा इस प्रदेश से गुजरती है। अतः इस प्रदेश के पश्चिम की ओर क्रमशः ऊँचाई बढ़ती जाती हैं। इस प्रदेश की पश्चिम पूर्व की लम्बाई 185 किमी. है। प्रदेश की पूर्वी सीमा से ज्यों–ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ते जाते है ऊँचाई के साथ–साथ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है।

यह एक पिछड़ा अर्थतंत्र एवं कृषि प्रधान क्षेत्र हैं जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 13029.26 वर्ग किमी. है, 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 11923961 है, जबकि क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर 1991–2001 में 24.71 प्रतिशत रही हैं। यहाँ का औसत जनंख्या घनत्व 1055 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. तथा साक्षरता 58.83 प्रतिशत है इस दोआब में 6 जनपद सम्मिलित है, जिसमें 25 तहसीलें, 70 विकासखण्ड एवं 12824 ग्राम है, जिसमें 1751 ग्राम गैर आबाद एवं 11509 ग्राम आबाद है। यहाँ 52 नगरीय क्षेत्र हैं जिसमें नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत सम्मिलित है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. क्षेत्र में भूमि उपयोग के स्वरूपों का अध्ययन।
2. अध्ययन क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलों का क्षेत्रीय अध्ययन करना।
3. कृषि के अनिवार्य आधार सिंचाई की उपलब्धता का अध्ययन करना।
4. क्षेत्र में कृषि आधारित अर्थतंत्र के स्वरूप का पता लगाना।

परिकल्पनाएं

1. सिंचाई की सुविधाएं कृषि गहनता को प्रभावित करती है।
2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र विशिष्ट प्रकार के कृषि स्वरूप को जन्म देते हैं।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

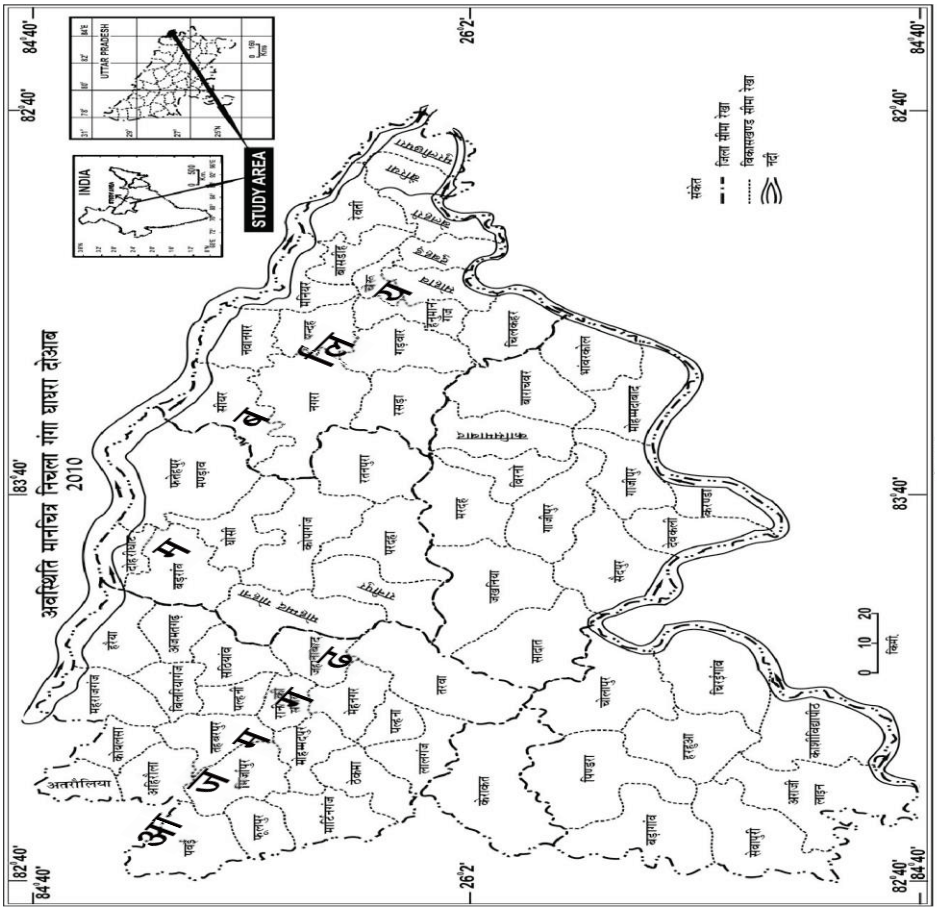

चित्र 1 :

सामान्य भूमि उपयोग

भूमि उपयोग भौतिक परिवेश, सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था एवं कालिक घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित है बढ़ती हुई। जनसंख्या कृषि भूमि का उपयोग उस गति से नहीं हो पा रहा है। अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब में कृषि ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अध्ययन क्षेत्रा के कुल 1448493 क्षेत्रफल हेक्टेयर के 65.60 प्रतिशत भू–भाग पर शुद्ध कृषि कार्य किया जाता है साथ ही 0.05 प्रतिशत भू–भाग पर वन, अकृषित भूमि 13.29 प्रतिशत भू–भाग पर कृषि योग्य बंजर भूमि, 1.13 प्रतिशत भू–भाग पर, परती भूमि साथ ही 18.31 प्रतिशत उद्यान, चारागाह एवं बाग (1.59 प्रतिशत) हैं। अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब के भूमि उपयोग

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

को निम्न वर्गो में विभक्त करके अध्ययन हेतु तालिका संख्या 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 1

निचले गंगा–घाघरा दोआब : सामान्य भूमि उपयोग

क्र.सं.	भूमि उपयोग वर्ग	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्रतिशत
1.	कृषित भूमि	950260	65.60
2.	वन भूमि	768	0.05
3.	कृष्य बंजर भूमि	16451	1.13
4.	परती भूमि + अन्य भूमि	265332	18.31
5.	अकृषित भूमि	192584	13.39
6.	उद्यान, चारागाह, बाग–बगीचे	23098	1.59
योग		1448493	100÷

शुद्ध कृषित भूमि

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब के निवासियों का जीवन का आधर कृषि है, यहाँ के कृषित भूमि का क्षेत्रीय विश्लेषण एवं उस पर आधरित शस्य प्रतिरूपों का अध्ययन कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के सन्दर्भ में किया गया है। क्षेत्र के कुल 1448493 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 65.60 प्रतिशत भू–भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, यहाँ सबसे अधिक कृषि भूमि अहिरौला विकासखण्ड में 81 प्रतिशत एवं सबसे कम कृषित भूमि काशी विद्यापीठ विकासखण्ड में 37.30 प्रतिशत हैं। क्षेत्रा के कृषित भू–भाग को विकासखण्ड स्तर पर 5 श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 2

निचला गंगा–घाघरा दोआब : कृषित भूमि का वितरण

क्र.सं.	शुद्ध कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	(प्रतिशत)
1.	> 80	अति उच्च	9	12.85
2.	75–80	उच्च	18	25.71
3.	70–75	मध्यम	21	30.00

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

4.	65–75	निम्न	19	27.14
5	< 65	अति निम्न	3	4.28
योग			70	100.00

तालिका 2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्रा गंगा–घाघरा दोआब में अति उच्च श्रेणी के अन्तर्गत 9 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में विरनो में 81 प्रतिशत, मोहम्मदाबाद 81.44 प्रतिशत, नगरा 80.87 प्रतिशत, सीयर 80.68 प्रतिशत, चिलकहर में 80.30 प्रतिशत नवानगर में 80.30 प्रतिशत, कृषित भू–भाग पाया जाता हैं, जिसकी स्थिति उत्तरी, पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों में उपजाऊ भू–भाग एवं सिंचाई की सुविधाओं के विकास के कारण कृषित भूमि है।

उच्च श्रेणी में कृषित भूमि (75–80 प्रतिशत) के अन्तर्गत 18 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में बड़रांव, रसड़ा, भांवरकोल, पन्दह, मुहम्मदाबाद गोहना, रानीपुरा, गड़वार, रतनपुरा, जखनिया, देवकली, जहानागंज एवं मनिहारी आदि विकासखण्ड सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों में नहरों एवं नलकूपों की अधिकता होने के कारण कृषित भूमि अधिक है।

मध्यम श्रेणी में कृषित भूमि (70–75 प्रतिशत) के अन्तर्गत 21 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में लालगंज, परहदहा, कोयलसा, अतरौलिया, सठियांव, मेहनगर, सादात, अजमतगढ़ आदि विकासखण्ड है। इन क्षेत्रों में मध्यम स्तर की सिंचन सुविधाओं के विकास के कारण कृषित भूमि मध्यम स्तर की है।

निम्न श्रेणी (65–75 प्रतिशत) के अन्तर्गत 19 विकासखण्ड सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में पफूलपुर, मोर्टीगंज, चोलापुर, रेवती, ठेकमा, अराजीलाईन, हनुमानगंज, मुरलीछपरा, पल्हनी आदि विकासखण्ड है। इन क्षेत्रों में सिंचन सुविधयें निम्न स्तर है।

अति निम्न श्रेणी (>65 प्रतिशत) के अन्तर्गत 3 विकासखण्डों सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सेवापुरी (44.15 प्रतिशत), सोहांव (63.59 प्रतिशत) एवं काशी विद्यापीठ (37.30 प्रतिशत) सम्मिलित है, जिनकी स्थिति पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या एवं द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाकलापों की अधिकता के कारण कृषित भूमि कम हैं।

स्पष्ट है कि सिंचाई की सुविधाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषित भूमि अधिक एवं नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में कृषित भूमि कम है।

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

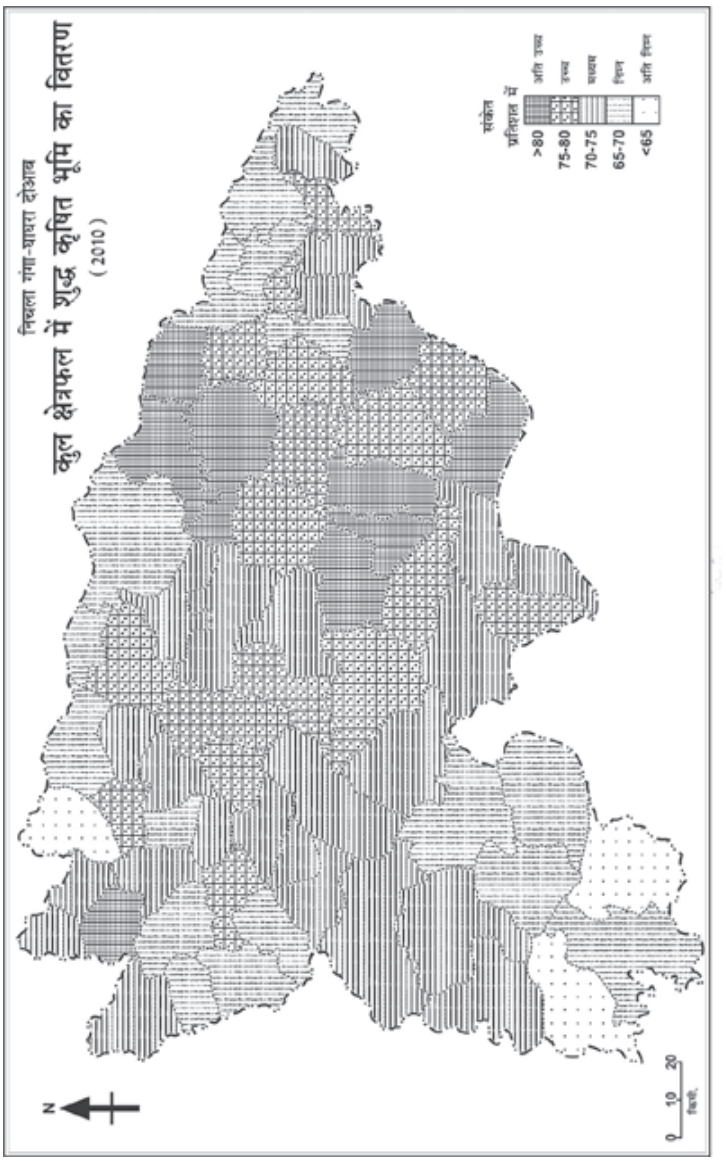

चित्र 2 :

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

वन भूमि

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब में वन 0.05 प्रतिशत भू–भाग पर वन पाया जाता हैं। यहाँ सबसे अधिक वन परदहा विकासखण्ड में कुल वन क्षेत्र के मुहम्मदाबाद गोहना 0.59 प्रतिशत, घोसी 0.47 प्रतिशत, पफतेहपुर मडांव 0.39 प्रतिशत, रतनपुरा 0.37 प्रतिशत, दोहरीघाट 0.32 प्रतिशत, सादात 0.17 प्रतिशत एवं सबसे कम वन गाजीपुर विकासखण्ड में 0.01 प्रतिशत भू–भाग पर पाया जाता है, साथ ही क्षेत्र के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में वन नगण्य है।

कृष्य बंजर भूमि

कृष्य बंजर भूमि वह भूमि हैं जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है लेकिन इस भूमि में कई कारणों से अभी तक कृषि कार्य सम्पादित नहीं हो पाया है। अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब में कुल 1.13 प्रतिशत भू–भाग पर कृष्य बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता हैं। यहां सबसे अधिक कृष्य बंजर भूमि वाराणसी जनपद के चिरईगांव (3.87 प्रतिशत), ठेकमा (2.76 प्रतिशत), परदहा (2.76 प्रतिशत), मेहनगर (2.62 प्रतिशत), तहबरपुर (2.56 प्रतिशत) एवं हरहुआ में 2.31 प्रतिशत एवं सबसे कम कृष्य बंजर भूमि दबहड़ विकासखण्ड में 0.12 प्रतिशत है।

परती भूमि

परती भूमि पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव के कारण कुछ वर्षो तक कृषि कार्य नहीं किया जाता हैं। अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा–घाघरा दोआब के कुल 18.31 प्रतिशत भू–भाग पर परती तथा अन्य भूमि पायी जाती है, यहाँ सबसे अधिक परती भूमि काशी विद्यापीठ विकासखण्ड में 31.78 प्रतिशत भू–भाग पर पायी जाती है और सबसे कम मरदहा विकासखण्ड में 0.48 प्रतिशत भू–भाग पर है। क्षेत्र के परती भूमि को पांच श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 3

गंगा–घाघरा दोआब : परती भूमि

क्र.सं.	परती भूमि कुल क्षेत्रापफल का प्रतिशत	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	(प्रतिशत)
1.	< 15	अति उच्च	4	5.71
2.	12–15	उच्च	4	5.71
3.	9–12	मध्यम	19	27.14

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

4.	6–9	निम्न	22	31.42
5	< 6	अति निम्न	21	3.00
योग			70	100.00

तालिका संख्या 3 से स्पष्ट है कि अति उच्च श्रेणी में परती भूमि के अन्तर्गत निचला गंगा–घाघरा दोआब के 4 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में काशीविद्यापीठ में 32.78 प्रतिशत, हरहुआ में 19.16 प्रतिशत, चोलापुर में 15.61 प्रतिशत एवं फतेहपुर मडांव विकासखण्ड में 15.05 प्रतिशत भू–भाग पर परती भूमि हैं, जिसकी स्थिति दक्षिणी, दक्षिणी–मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग में है।

उच्च श्रेणी में परती भूमि (12–15 प्रतिशत) के अन्तर्गत 4 विकासखण्ड सम्मिलित है, इस वर्ग में सेवापुरी विकासखण्ड में 13.83 प्रतिशत, अराजी लाईन 13.41 प्रतिशत, बड़ागांव में 12.75 प्रतिशत एवं तरवा में 12.43 प्रतिशत भू–भाग परती भूमि है।

मध्यम श्रेणी में परती भूमि (9–12 प्रतिशत) में अन्तर्गत 19 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में मार्टिनगंज, ठेकमा, मिर्जापुर, फूलपुर, अजमतगढ़, अहिरौला, जहानागंज, पल्हनी, पल्हना, पिण्डरा, रानी की सराय, हरैया, मोहम्मदपुर, मेहनगर, सठियांव, पवई आदि विकासखण्ड सम्मिलित है, जिनकी स्थिति क्षेत्र में बिखरी हुई है।

निम्न श्रेणी में परती भूमि (6–9 प्रतिशत) के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्रा के 22 विकाखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में चिरईगांव, लालगंज, रतनपुरा, सैदपुर, कोपागंज, सादात, महराजगंज, कोयलसा, दोहरीघाट, मनियर, बड़रांव एवं विरनों विकासखण्ड सम्मिलित हैं जिनकी स्थिति क्षेत्र में बिखरी हुई है।

अति निम्न श्रेणी (6 प्रतिशत से कम) के अन्तर्गत 21 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में बराचवर, जखनिया, सीयर, बासडीह, नगरा, मोहम्मदाबाद, बेलहरी, बैरिया एवं मरदहा विकासखण्ड में 0.48 प्रतिशत परती भूमि दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तरी भाग में अधिक है।

स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि पर बढ़ते हुए दबाव के कारण परती भूमि कम होती जा रही है। साथ ही सर्वाधिक परती भूमि नगरीय केन्द्रों पर अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर कम हैं।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

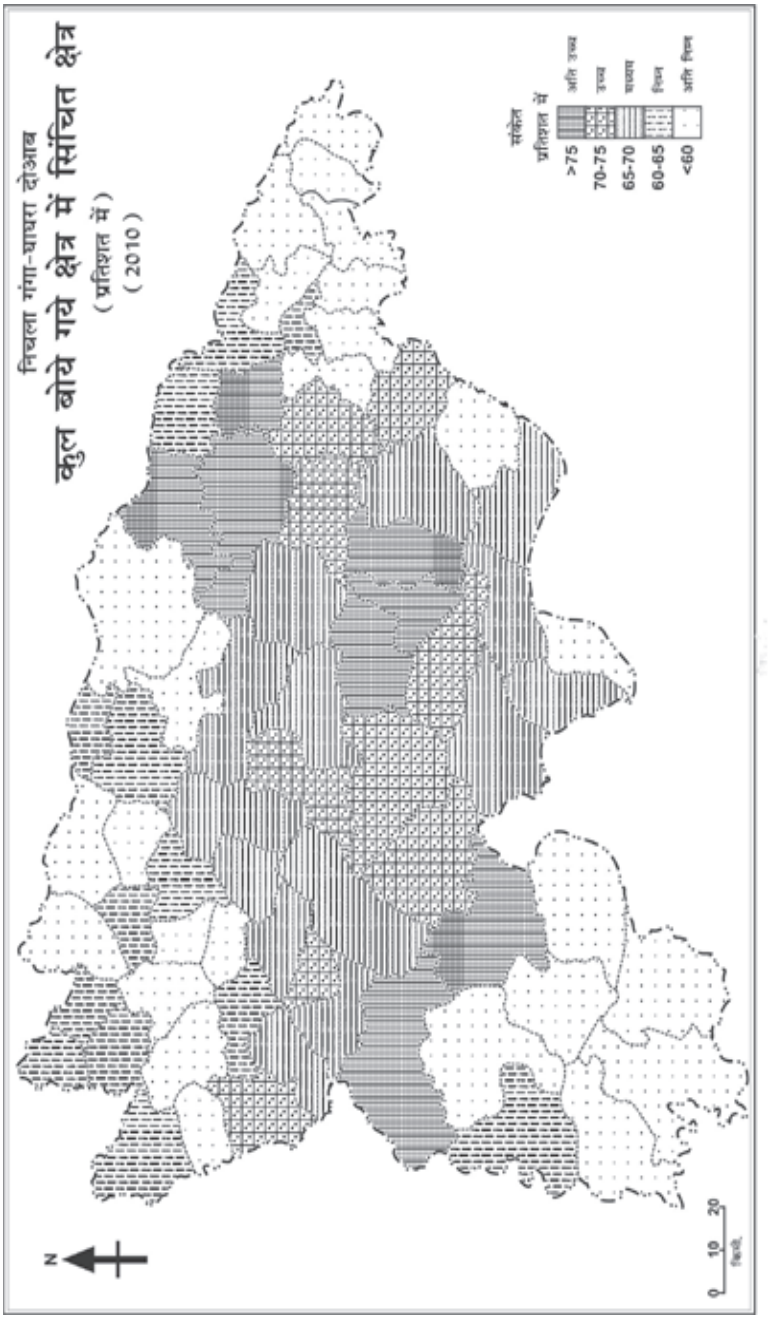

चित्र 3 :

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

कुल बोये गये क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत में)

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा घाघरा दोआब में कुल सिंचित क्षेत्र 798024 हेक्टेयर है। क्षेत्र में सिंचाई के मुख्य साधन है। नहर एवं नलकूप है। अध्ययन क्षेत्र के कुल 83.97 प्रतिशत भूमि सिंचित हैं। अध्ययन क्षेत्र का 11 प्रतिशत भाग अर्थात् कुल 8 विकासखण्डों का भूमि सिंचित है। यह मुख्यतः क्षेत्र के मध्यवर्ती, पश्चिमी मध्य भाग में है। 75 प्रतिशत से अधिक सिंचित भूमि वाले विकासखण्ड सीयर, नगरा, रसड़ा, पन्दह, कासिमाबाद विरनो, मरदहा तथा केराकत एवं चोलापुर विकासखण्ड है। अध्ययन क्षेत्र लगभग 12.85 प्रतिशत भू–भाग अर्थात 9 विकासखण्डों में कुल कृषित भूमि का 70–75 प्रतिशत भाग सिंचित है।

तालिका संख्या 4

गंगा–घाघरा दोआब : कुल बोये गये क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	(प्रतिशत)
1.	अति उच्च	> 75	8	11.42
2.	उच्च	70–75	9	12.85
3.	मध्यम	65–70	14	20.00
4.	निम्न	60–65	14	20.00
5	अति निम्न	< 60	25	35.71
योग			70	100.00

अध्ययन क्षेत्र के 20.00 प्रतिशत विकासखण्ड अर्थात 14 विकासखण्ड में कुल कृषि भूमि का 65 से 70 प्रतिशत भाग अर्थात 14 विकासखण्डों 60 से 65 प्रतिशत भाग नलकूपों अथवा नहरों द्वारा सिंचित है। यह क्षेत्र अध्ययन क्षेत्रा का उत्तरी, पश्चिमी भाग हैं।

अध्ययन क्षेत्र के 37 प्रतिशत अर्थात कुल 25 विकासखण्डों में कुल कृषित क्षेत्र का 60 प्रतिशत से भी कम भाग सिंचित है। यह क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी, पश्चिमी अर्थात वाराणसी जनपद के सेवापुरी, आराजीलाईन, काशी विद्यापीठ, चिरईगांव, हरहुआ तथा पिण्डरा हैं। 60 प्रतिशत से कम सिंचित भाग का दूसरा क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र का पूर्वी भाग अर्थात बलिया जनपद के मुरलीछपरा, बैरिया, बेलहरी, रेवती, दबहड़ आदि विकासखण्ड हैं।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

फसल प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा घाघरा दोआब में कुल सकल बोयी गयी भूमि 1571794 हेक्टेयर के 49.05 प्रतिशत भू–भाग पर रबी की फसल 48.40 प्रतिशत भू–भाग पर खरीफ एवं 1.95 प्रतिशत भू–भाग पर जायद की फसलें उगायी जाती है।

रबी की फसल

रबी के अन्तर्गत 49.05 प्रतिशत भू–भाग पर अधिक रबी की फसल दबहड़ (67.37 प्रतिशत) विकासखण्ड में एवं सबसे कम चिलकहर विकासखण्ड में (44.87 प्रतिशत) भू–भाग पर उगायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में रबी की कृषित क्षेत्र को 5 श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 5

निचला गंगा–घाघरा दोआब : रबी के अन्तर्गत क्षेत्र (कुल शस्यगत क्षेत्र का %)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	(प्रतिशत)
1.	अति उच्च	> 60	2	2.85
2.	उच्च	55–60	3	4.28
3.	मध्यम	50–55	26	37.14
4.	निम्न	45–50	38	54.28
5	अति निम्न	< 45	1	1.42
योग			70	100.00

तालिका संख्या 5 से स्पष्ट है कि अति उच्च श्रेणी में रबी की फसल (> 60 प्रतिशत) के अन्तर्गत 2 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में सोहांव विकासखण्ड में (64.94 प्रतिशत) एवं दबहड़ विकासखण्ड में (67.37 प्रतिशत) भू– भाग पर रबी की कृषि की जाती है, जिनकी स्थिति पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों में सिंचन सुविधाओं के विकास के कारण रबी की सर्वाधिक कृषि की जाती है।

उच्च श्रेणी में रबी की कृषि (55–60 प्रतिशत) के अन्तर्गत 3 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में भावरकोल विकासखण्ड में 59.26 प्रतिशत, मुरलीछपरा में 58.02 प्रतिशत एवं हनुमानगंज में 57.25 प्रतिशत भू–भाग पर रबी की फसल उगायी जाती है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

मध्यम श्रेणी में रबी की फसलें (50–55 प्रतिशत) के अन्तर्गत क्षेत्र के 26 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत करण्डा, कासिमाबाद, बराचवर, फतेहपुर मड़ांव, कोपागंज, मार्टिनगंज, पल्हना, नगरा, हरहुआ, अराजीलाईन, पिण्डरा, काशी विद्यापीठ, चोलापुर एवं चिरईगांव आदि विकासखण्ड सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में नलकूपों एवं नहरों द्वारा रबी की फसलें उगायी जाती है, जिनकी स्थिति क्षेत्र में बिखरी हुई है।

निम्न श्रेणी में रबी की फसलें (45–50) क्षेत्र के अन्तर्गत 38 विकासखण्डों में उगायी जाती है। इस वर्ग में जखनिया, मनिहारी, सादात, सैदपुर, विरनो, मरदह, गाजीपुर, मुहम्मदगोहना, दोहरीघाट, घोसी, बड़रांव, परदहा, बड़ागांव, सेवापुरी एवं केराकत विकासखण्ड सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में सिंचिन सुविधाओं का कम विकास पाया जाता है, जिसके कारण रबी की फसलें औसत से कम भू–भाग पर उगायी जाती है।

अति निम्न श्रेणी में रबी की फसलें (45 प्रतिशत से कम) निचला गंगा–घाघरा दोआब के चिलकहर विकासखण्ड में 44.87 प्रतिशत भू–भाग पर उगायी जाती है, जिनकी स्थिति दक्षिणी, पूर्वी भाग में है। इस क्षेत्र में सिंचन सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण रबी की फसल औसत से कम भू–भाग पर उगायी जाती है।

खरीफ की फसल

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा घाघरा दोआब में खरीफ की पफसलें दूसरे स्थान पर मुख्य रूप से उगायी जाती है। यहाँ के 48.40 प्रतिशत भू भाग पर खरीफ की फसलें उगायी जाती है। सबसे अधिक खरीफ की फसलें चिलकहर विकासखण्ड में (54.63 प्रतिशत) भू भाग पर एवं सबसे कम बेलहरी विकासखण्ड (26.68 प्रतिशत) भू–भाग पर उगायी जाती है। निचला गंगा–घाघरा दोआब में खरीफ उत्पादक क्षेत्र को 5 श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 6

गंगा–घाघरा दोआब : खरीफ के अन्तर्गत क्षेत्र (कुल शस्यगत क्षेत्र का प्रतिशत)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	(प्रतिशत)
1.	अति उच्च	> 52	4	5.71
2.	उच्च	50–52	16	22.85
3.	मध्यम	48–50	34	48.57
4.	निम्न	46–48	6	8.57

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

5	अति निम्न	< 46	10	14.28
योग			70	100.00

चित्र 4 :

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

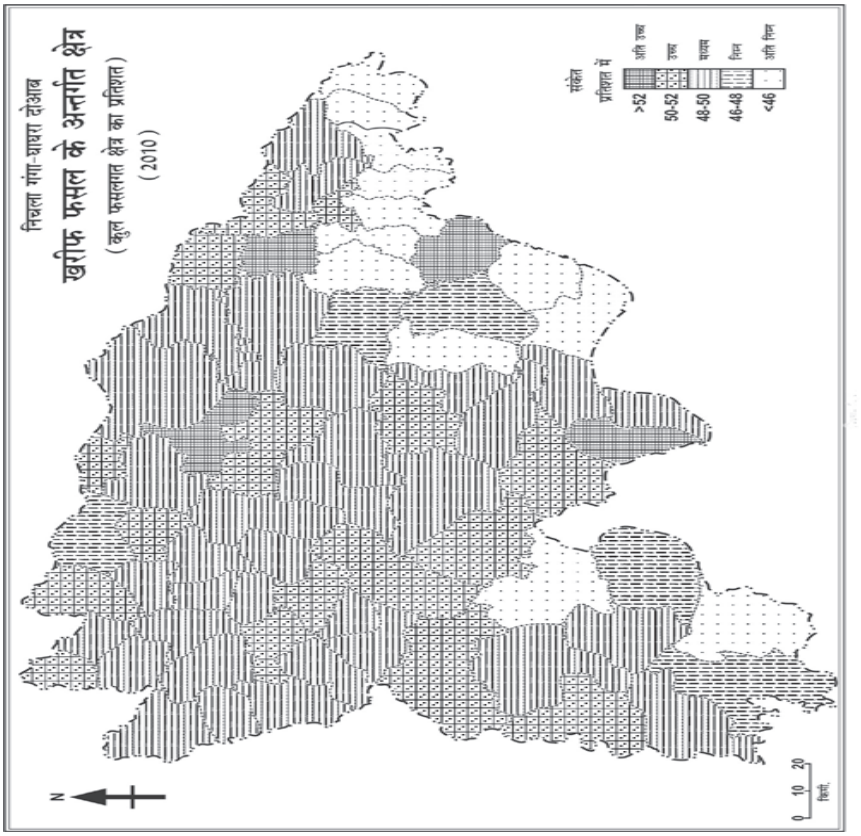

चित्र 5 :

तालिका संख्या 6 से स्पष्ट है कि अति उच्च श्रेणी में खरीफ की फसल (> 52 प्रतिशत) के अन्तर्गत 4 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में चिलकहर विकासखण्ड में 54.63 प्रतिशत, पन्दह में 53.52 प्रतिशत, देवकली में 52.20 प्रतिशत एवं घोसी विकासखण्ड में 52.08 प्रतिशत भू–भाग पर खरीफ की फसलें उगायी जाती है जिनकी स्थिति दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ एवं नमी युक्त मृदा की प्रधानता के कारण खरीफ की फसलें अधिक उगायी जाती है।

उच्च श्रेणी में खरीफ की फसल क्षेत्रान्तर्गत (50–52 प्रतिशत) में 16 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सादात, सैदपुर, मरदह, कोपागंज, महराजगंज, अजमतगढ़, मेहनगर, तरवा, केराकत आदि विकासखण्ड में उच्च श्रेणी में खरीफ फसल के क्षेत्र है। वन क्षेत्रों में सिंचन सुविधाओं एवं उर्वर मृदा की प्रधानता पायी जाती है। जिससे खरीफ की फसलें औसत से अधिक क्षेत्र में उगायी जाती है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

मध्यम श्रेणी में खरीफ फसल क्षेत्रान्तर्गत (48.50 प्रतिशत) 34 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत जखनिया, मनिहारी, विरनो, गाजीपुर, करण्डा, फतेहपुर मडांव, बड़राव, परदहा, रतनपुरा, मुहम्मदाबाद गोहना, कोयलासा, अहिरौला, तहवरपुर, पवई, फूलपुर, गड़वार, पिण्डरा एवं सेवापुरी विकासखण्ड है।

निम्न श्रेणी में खरीफ उत्पादक क्षेत्र (46–48 प्रतिशत) के अन्तर्गत 6 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत बराचवर, भदौरा, हरैया, रसड़ा, बेलहरी एवं अराजीलाइन विकासखण्ड सम्मिलित है, जिनकी स्थिति दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में है। इन क्षेत्रों में बांगर क्षेत्र के विस्तार के कारण खरीफ की फसलें उगायी जाती है।

अति निम्न श्रेणी में खरीफ उत्पादक क्षेत्र के अन्तर्गत (46 प्रतिशत से कमद्ध 10 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत कासिमाबाद, मोहम्मदाबाद, भावरकोल, सोहांव, हनुमानगंज, दबहड़, वैरिया, मुरलीछपरा, चोलापुर एवं काशी विद्यापीठ विकासखण्ड में नहरों के कम विकास के कारण खरीफ की फसलें औसत से कम उगायी जाती है।

जायद की फसल

अध्ययन क्षेत्र निचला गंगा घाघरा दोआब में सकल बोयी गयी भूमि के 1571794 हेक्टेयर 1.20 प्रतिशत भू–भाग पर जायद की फसलें उगायी जाती है। सबसे अधिक जायद की फसलें मोहम्मदाबाद विकासखण्ड में 5.16 प्रतिशत भू–भाग पर एवं सबसे कम महराजगंज विकासखण्ड में 028 प्रतिशत भू भाग पर उगायी जाती है। जायद उत्पादक क्षेत्र को 5 श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 7 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 7

गंगा–घाघरा दोआब : जायद के अन्तर्गत क्षेत्र (कुल शस्यगत क्षेत्र का प्रतिशत)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	(प्रतिशत)
1.	अति उच्च	> 4	1	1.42
2.	उच्च	3–4	2	2.85
3.	मध्यम	2–3	4	5.71
4.	निम्न	1–2	23	32.85
5	अति निम्न	< 1	40	57.14
योग			70	100.00

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

तालिका संख्या 7 से स्पष्ट है कि अति उच्च श्रेणी में जायद की फसल (> 4 प्रतिशत) के अन्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना विकासखण्ड में 5.16 प्रतिशत भू–भाग पर जायद की फसलें उगायी जाती है, जिनकी स्थिति मध्यवर्ती भाग में है।

उच्च श्रेणी में जायद की फसलें (3–4 प्रतिशत) के अन्तर्गत दो विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में गाजीपुर विकासखण्ड में 3.60 प्रतिशत एवं सेवापुरी में 3.46 प्रतिशत भू–भाग पर जायद की फसलें उगायी जाती है, जिनकी स्थिति मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में है।

मध्यम श्रेणी में जायद की फसलें (2–3 प्रतिशत) के अन्तर्गत 4 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत कोयलसा 2.49 प्रतिशत, भावरकोल 2.43 प्रतिशत, चिरईगांव में 2.08 प्रतिशत एवं वैरिया विकासखण्ड में 2.0 प्रतिशत भू भाग पर जायद की फसलें उगायी जाती हैं, जिनकी स्थिति उत्तरी, दक्षिणी–पूर्वी, पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में हैं।

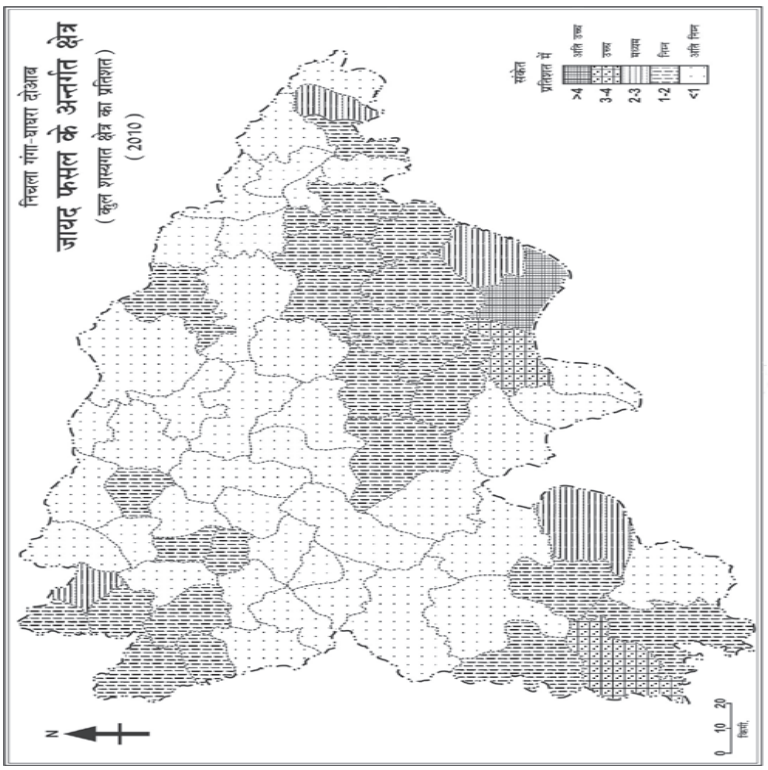

चित्र 6 :

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

निम्न श्रेणी में जायद की फसल (1–2 प्रतिशत) के अन्तर्गत 23 विकासखण्ड सम्मिलित है। इस वर्ग में जखनियां, मनिहारी, विरनो, कासिमाबाद, बराचवर, अतरौलिया, अहिरौला, रसड़ा, सीयर, अजमतगढ़, बेलहरी, हरहुआ एवं अराजीलाईन विकासखण्ड हैं, जिनकी स्थिति क्षेत्रा में बिखरी हुई है।

निम्न श्रेणी में जायद की फसल (1 प्रतिशत) से कम के अन्तर्गत 40 विकासखण्ड सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सादात, सैदपुर, देवकली, मरदहा, करण्डा, दोहरीघाट, फतेहपुर मडांव, बड़रांव, कोपागंज, परदहा, रतनपुरा, मुहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर, मोहम्मदपुर, नगरा, नवानगर, पन्दहा, मनियर, तरवा आदि विकासखण्ड सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में औसत से कम जायद की फसलें उगायी जाती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषित भूमि सर्वाधिक है, वन तथा कृष्य बंजर भूमि 3 प्रतिशत से कम है, परती भूमि केवल उन्हीं क्षेत्रों में है, जो बाढ़ प्रभावित हैं।

अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी तथा मध्यवर्ती तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों ने यहाँ के फसल प्रतिरूप को प्रभावित किया है। अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भागों में जहाँ री, खरीफ दोनों प्रकार की फसलें बोयी जाती हैं; वहीं पूर्वी, दक्षिणी–पश्चिमी, दक्षिणी एवं उत्तरी–पूर्वी भाग बाढ़ प्रभावित है जिसके कुछ क्षेत्रों में रबी की फसलें बोयी जाती हैं किन्तु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इसका प्रतिशत कम है। उक्त क्षेत्रों में सर्वाधिक जायद की फसलें बोयी जाती हैं जिसमें मुख्य रूप से तरबूज, खीरा, कंकड़ी, नाशपाती आदि प्रमुख हैं।

अध्ययन क्षेत्र का उत्तरी भाग इसी तरह की फसलों के लिए पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ का कृषि अर्थतंत्र भी इन्हीं फसलों पर निर्भर है। पश्चिमी भाग जहाँ खाद्यान्न आधारित कृषि अर्थतंत्र से पोषित होता है। वहीं पूर्वी भाग के अर्थतंत्र का मुख्य आधार जायद की फसलें हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिंचाई की सुविधा, बाढ़ प्रभावित भूमि का स्वरूप आदि कारक कृषि अर्थतंत्र को अति निकट से प्रभावित करते हैं।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

सन्दर्भ सूची

1. Bhatt, S.C. (1998) : 'The Encyclopaedic District Gazetters of India' Central Zone, Vol. 6, Gyan Publishing house New Delhi.
2. जनपद (2007) : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, गाजीपुर, उ.प्र., पृष्ठ 71
3. सांख्यिकीय पत्रिका (1996) : जिला सांख्यिकीय पत्रिका, विकास भवन, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ।
4. गाजीपुर (1997) : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, गाजीपुर, उ.प्र., पृष्ठ 33
5. Vanzetti, C. (1972): 'Land use and Natural Vegetation', International Geography,' Edited by W. Peter Adame and Fredrick M. Helleiner, Toranto, pp.1105- 06.
6. Wood, L.J. (1974) : Spatial Interaction and Partitions of Rural Market space, Tijdhchriftnoor, Econ. en Socio Geography, pp. 65.
7. Barlowe, R. (1961): 'Land Resource Economics', the Political Economy of Rural and Urban land Resource use', New York, pp. 1105-1106
8. Stamp, L.D. (1948): 'The Land of Britain Its use and Misuse London, pp. 351-387.

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

4

LONELINESS AND DISAPPROVAL EXPERIENCESS OF MIGRANT

Sadhana Singh Yadav
Assistant Professor
Department of English
Pt. D.D.U. Govt. Girls P.G. College, Rajajipuram, Lucknow

ABSTRACT- the aim of this paper is to present loneliness and disapproval experiences of migrant in hell- heaven short story by Jhumpa lhiri published in 2016

INTRODUCTION - **JHUMPA LIHRI NILANJANA** sudushna author lihri has been selected as the winner of the 29 the pen/Malamud award for excellence in the short story. Lihri's debut short story collection interpreter of maladies 1999 won 2000 Pulitzer prize. Her first novel the name shake 2003 was adopted in to the popular film of the same name. She was born nilanjana sudeshena but goes by her nickname jhumpa lihri .she was a member of the president committee on the arts and humanities appointed by U.S president Barak Obama. Her book the low land was nominated for booker prize currently she is a professor of creative writings in Prinicinton University.

Migrant literature in English literature written by migrant or tells the stories of migrant and their migration. It is a topic of growing interest with in literary studies since the 1980"

The term migrant literature also implies that the subject will have to do with migration and or the life and culture of another nations and peoples"

Human beings are fundamentally social creatures who depends on one another for their survival and wellbeing both physically and psychological. everyone is born with powerful need for love friendship and belonging similarly we fear and avoid rejection . loneliness and disapproval of other's despite the central role they play in our lives . However developing and maintaining happy and healthy relationship with family member. Spouse, friends and workmates is not easy.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

Loneliness can be define in two terms one in positive other is negative .positive is that gives birth creative ideas (works) creative works of arts paintings literary works writings it pave the path of happiness in life not only in their life but also for others on the other hand negative loneliness give birth to negative thoughts as suicidal ideas relation break , destructive feeling negligence and insecurity, theses thought arise when there is lack of communication psychological problem expectation are fulfilled isolation rejection .

Hell heaven written by jhumpa lihri is narrated by character Usha whose parents belongs to Calcutta his father was doing job in America he was a busy and serious person could not give time to her wife Aparna. Aparna is central character of this story is Usha's mother Aparna is traditional Bengali women in her dress , language and food she continue her tradition in America also but her daughter does not want to live like her mother she wants live like American daughter the relationship between Aparna and her husband is not described in detail but some statement tell that Aparna was not happy in America she was craving for love from her husband. There is no friend of Aparna in story her daughter and her husband did not like to listen her because there was communication gap between them. In the mid of the story pranab enter he is also Bengali bachelor he was searching for shelter in America he mingled with family as family member. He and Aparna with her daughter also go for picnic and talk about their days in Calcutta. Aparna begin to enjoy the company of pranab. "As there weather grew hotter we started going once or twice a week to Walden pond my mother always prepared a picnic of hard boil egg and cucumber sandwich and talked fondly about the winter picnic of her youth grand expectation with fifty of her her relatives all taking the trains in to the west Bengal country side pranab kaku listen to these stories with interest absorbing the vanishing details of her past he did not turn deaf ear to her nostalgic like my father or listen uncomprehendingly like me "

Relation break and repair - one day Aparna shocked from pranab when he told her that he has choose a girl for him and want to marry with her. she is

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

American her name is Deborah he pursued Aparna to talk his parents in Calcutta Deborah and pranab get married in American culture in place of Bengali culture now Aparna again alone just a relation break and repair she again feeling alone and show her annoyance saying that pranab has to repent for his marriage, he should not get marry with American woman she will not live him for longtime all these statement show that she was suffering with insecurity this also the reason of loneliness. Her daughter also adopting American life it was creating a gap between Aparna and her daughter her daughter also not like to listen her.

Social alienation- is a condition in social relation reflects by a low degree of integration or common value and high degree of distance or isolation between individuals or between a individuals and a group of people in a community a work environment.

Loss ; she was pregnant for the fifth time since my birth time and was so sick and exhausted and fearful for losing another baby that's why she slept most of the day often ten week she miscarried again and was advised by her doctor to stop trying'' loss of baby also created a feeling of desolation she was not able to make herself happy with these people so she started going opera to make herself away from isolation feeling.

Rejection

" how much hated life in suburbs and how lonely she felt she said nothing to placate of you are unhappy go to back to Calcutta he would often making it clear that their separation would not affect him. "

This statement from her husband makes lonelier and brings feeling of rejection in her mind. She finding everyone was rejecting her as an object.

Nostalgia; nostalgia is an affectionate feeling you have for the past especially for a particularly happy time

"She and pranab kaku would try to recall which scene in which movie the songs were from. who the actor were and what they were wearing my mother would describe raj Kapoor and nargis Singing under umbrella in the rain or devanand stumming guitar on beach in goa he did not turn deaf to her nostalgia."

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

Hell heaven is a story about the experiences of Bengali immigrants living in America Aparna who is struggling to preserve her Bengali culture. She suffers with loneliness and disapproval in her own family because of migration. it is a story about the struggle that all immigrant families faces as the young generation becomes Americanized and older generation is powerless to stop it baudi represent the older generation trying to preserve her Bengali culture value. At last narrators mother gradually accepts the reality of her daughter living in a modern American world.

Work cited

Jhumpa lahiri. Hell heaven
<http/www.newyorker.com/magazine/2004/24/hellheaven>
http://en.m.wikipedia.orgwi...
Rosch Heidi 'migrations literature iminterkulturellen Diskurs"htt:p/www.tu-berlin .de/fb2/fadi/hr/Drseden. Pdf.accessed September 10, 2006

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

5

युवाओं में मादक द्रव्य के दुष्प्रभाव भूमिका

बीना
शोध छात्रा
छत्रपति शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

आज समाज में नशीले द्रव्यों अफीम, गाँजा, चरस, कोकीन, भाँग, एलएसडी तथा अन्य नशा उत्पन्न करने वाली दवाएँ तथा बूटियों का प्रयोग इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि प्रत्येक समाज में मादक द्रव्य व्यसन एक चिन्ता का विषय बन गया है। मादक द्रव्य व्यसन व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह किसी औषधि का इतना सेवन करने लगता है कि वह सामान्य अवस्था में रहने के लिए उस पर आश्रित हो जाता है यदि वह औषधि उसे नहीं मिलती तो वह बीमार सा अनुभव करता है। वह मादक द्रव्य व्यसन मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं), के अत्यधिक सेवन की स्थिति है। अंग्रेजी में ड्रग शब्द का प्रयोग दवाई के लिए भी किया जाता है इन मादक द्रव्यों का सरल वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जाता है। एक वे जो प्रतिबन्धित मादक द्रव्य है। एक वे जो उपचार हेतु नुस्खा है जैसे–अफीम, माफीन, हेरोइन, गांजा, चरस, कोकीन आदि।

भारत में शराब का इतिहास अन्य देशों की तुलना में अत्यन्त प्राचीन है। आर्य लोग जब भारत में आये तो वे भी सोमरस पान करते थे। देवताओं में सोमरस का प्रयोग किया जाता था किन्तु इसको पीना बुरा नहीं माना जाता था। मादक द्रव्य सेवन की समस्या एक सामाजिक विघटन का रूप है अधिकांश लोग इसका प्रयोग किसी त्योहार पर्व या मांगलिक अवसरों पर करते है। प्रायः विश्व के सभी देशों में ऐसे पदार्थों को लाने ले जाने पर एवं इसके खुले उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अतः इसे चोरी छिपे ढंग से लाया तथा ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्यापार में युवा वर्ग के लोग लगे हुए हैं।[1]

अफीम का प्रयोग ही लोग अति प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं जिसके आधार पर प्रागऐतिहासिक काल में अफीम के उदाहरण मिलते हैं। भारत में अधिकांश पेचिस सिर दर्द और आंखों के रोगों में अफीम शराब, गांजा, भांग और चरस का प्रयोग

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

उच्च वर्ग के लोग करते थे। उस समय अफीम सबसे अधिक प्रचलित नशीली वस्तु थी और पोस्ता की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती थी। सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी मद्यपान का अस्तित्व बहुत पुराना है। इसका प्रयोग त्योहार युद्धों, मनोरंजन आदि के समय में होता है।[2]

हर काल और देश के विचारक ऐसा स्वीकार करते आये हैं कि मद्यपान का बुरा प्रभाव होता है ऐसा कहा जाता है कि जहाँगीर के समय भी मद्यनिषेध के प्रयत्न किये गये वह स्वयं में मद्यपानी था और खूब शराब पीता था। जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने महानिषेध के लिए अत्यधिक प्रयास किया था उसके प्रयत्नों से जहांगीर की आदत में सुधार हुआ था, किन्तु वह उसका पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सका था। इसके अलावा सामान्य लोगों में मद्यपान का जहां तक प्रश्न था वह केवल रात्रि में ही मद्यपान की छूट देता था। औरंगजेब ने भी मद्यपान का विरोध किया था। वर्तमान युग में मादक द्रव्य का सेवन एक गम्भीर समस्या के रूप में सामने आयी है इसके दुष्प्रभाव से कोई भी वर्ग चाहे वह युवा वर्ग हो या वृद्ध वर्ग सभी इसका सेवन करते हैं युवा तो युवा युवतियां भी अब मादक द्रव्य का सेवन करने लगी है मादक द्रव्य का दुरूपयोग गम्भीर समस्या बनकर हमारी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है अत्यधिक तनाव के कारण युवाओं में मादक द्रव्य के आदत लगती है। मादक द्रव्य की आदत इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वे चाह कर भी इससे छुटकारा नहीं पा पाते। मादक द्रव्य की आदत न कि सिर्फ युवाओं को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है।[3]

मादक द्रव्य की समस्या[4]–

मादक द्रव्य का सीधा सम्बन्ध पतन से है मादक द्रव्य के सेवन से व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। मद्यपान करने से व्यक्ति के शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है अधिक मात्रा में मद्यपान करने से व्यक्ति की विचारधारा चिन्तन, स्मरण, निर्णय और कल्पना की क्रियाएं अवरूद्ध हो जाती है उसे अपनी सत्यता और स्थिति का आभास नहीं रहता जिससे कि युवाओं का सम्पूर्ण जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है साथ ही समाज से विघटन हो जाता है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

युवाओं में मादक द्रव्य सेवन के कारणों की भूमिका–

भारत के सभी युवा वर्ग के युवकों में आज मादक द्रव्य सेवन की समस्या को देखा जाता है इन दशाओं में निम्नलिखित समस्या युवकों में मद्यपान और मादक द्रव्य सेवन के प्रति उत्तरदायी है।

टेलीविजन एवं मूवी–

टेलीविजन और लोकप्रिय फिल्मों आदि में नशीले पदार्थों का सेवन दिखाना और नशीले पदार्थों का दुरूपयोग दिखाना इसका प्रमुख कारण है फिल्मों में मादक द्रव्य के सेवन से काल्पनिक सकारात्मक, पहलुओं को दिखाया जाता है। युवाओं में मादक द्रव्य का सेवन करना इसी कारण से रोमांचकारी एवं मोहक मामला बन जाता है। जो अपने जीवन के अनुभव की कमी के कारण वे आसानी से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।

कुसंगति–

किशोरावस्था में युवा आसानी से भटक जाते हैं उनके कुछ दोस्त जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं वे शुरूआत में सिर्फ उन्हे थोड़ा सा चखने के लिए देते हैं और अगर वे मना भी करते है तो वे उन्हें जबरदस्ती और संवेगात्मक रूप से उन्हें मादक द्रव्य का सेवन करने के लिए प्रेरित करते हैं बाद में वही दोस्त मांगने पर भी नहीं देते जिसके कारण वे बहुत से अपराध करने लगते हैं वे चल कर भी मद्यपान की लत से छुटकारा नहीं पा पाते।

निराशा एवं कुण्ठा–

शिक्षा की उद्देश्यहीनता, सांस्कृतिक मूल्यों तथा भौतिकता के चकाचौंध के बीच की खाई अभावमय एवं आडम्बरपूर्ण जीवन उनकी निराशाओं की प्रमुख समस्या है। इन कठिनाईयों के बीच युवा वर्ग मे युवकों की प्रसन्नता समाप्त हो रही है लेकिन उनके दिवा– स्वप्न एवं आकांक्षाएं निरन्तर बढ़ रही है। इन परिस्थितियों से उत्पन्न निराशा को पूरा करने के लिए युवा वर्ग मद्यपान को एक सहारे के रूप में ग्रहण कर लेता है। बस्ती में मकानों की समस्या पड़ोस की अनैतिकता तथा दूसरे व्यक्तियों का मद्यपान करना उन्हें मद्यसेवन की प्रेरणा देता है।[5]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

इंटरनेट–

वर्तमान युग में युवाओं में मद्यपान के सेवन में इंटरनेट मुख्य भूमिका निभा रहा है पुराने समय में कुछ लोग शर्मवश शराब के दुकानों में जाकर शराब नहीं खदीदते थे तो आजकल इंटरनेट की सुविधा के कारण युवा वर्ग शराब एवं अन्य मादक द्रव्य को ऑनलाइन ही बुक करके मंगा लेते हैं इसके कारण उन्हे ये भी भय नहीं रहता है कि कोई उन्हें दुकानों से शराब लाता कोई न देख ले और युवा वर्ग इंटरनेट की सहायता से तरह–तरह के ब्राण्ड को देखता है जिसका पहले उसे ज्ञान भी नहीं होता। तरह तरह के ब्राण्ड देखकर युवा वर्ग इतना अधिक प्रभावित हो जाता है और विज्ञापन में दिखाये गये फायदे को देखकर वह खुद को रोक ही नहीं पाता और युवाओं में मादक द्रवय के सेवन की आदत लग जाती है।

2013–14 भारत के रजिस्टर जनरल कार्यालय और जनसंख्या आयुक्त के जनगणना कार्यक्रम के तहत किये गये नवीनतम सलाना सर्वे (ए एच एस) में कहा गया है कि बिहार में 9.5 फीसदी वयस्क शराब का सेवक करते हैं। इनमें से 9.8 फीसदी ग्रामीण आबादी और 8 फीसदी शहरी है। जबकि महिलाएं 0.7 फीसदी शराब का सेवन करती है।

भगवती प्रसाद बाजपेयी (2015) के अनुसार देश का पहला ऐसा वर्ष है जब देश की सेना में सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले पंजाब से नहीं है। इसका एक बड़ा कारण मादक पदार्थों के सेवन के कारण युवकों का कमजोर होना माना जा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के युवा भी इस व्यसन की चपेट में बड़े पैमाने पर आ चुके हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो (2016) के अनुसार 2015 में 53 और 2016 में 34 बच्चों की अप्राकृतिक मृत्यु नशीली दवा का अत्यधिक सेवन करने के कारण हो गई थी। इन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट (2018)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत में शराब की खपत 2005 में 2.4 लीटर से बढ़कर 2016 में 5.7 लीटर हो गई है जिसमें पुरूषों ने 4.2 लीटर और महिलाओं ने 1.5 लीटर का उपभोग किया गया है।[6]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

सेव द चिल्ड्रन एन जी ओ ने बताया कि 2011 में दिल्ली के फुटपाथ पर रहने वाले लगभग 50923 बच्चों में से 46411 बच्चे नशीली दवाओं के आदि थे।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि युवाओं में मादक द्रव्य की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आयी है इसके सेवन से युवाओं का स्वास्थ्य खराब होगा जिसके परिणामस्वरूप उनकी अगली पीढ़ी प्रभावित होगी। परिणामतः देश का विकास रूक रहा है। अतः सरकार को वो नियम बनाना चाहिए जिसे इस समस्या की रोकथाम हो तथा देश का विकास हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार सिंह अवधेश– ''भारत में मादक द्रव्यः आयाम, प्रवृत्तियां एवं पुनर्वासन'' न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ–2000।
2. पाण्डेय आर.डी.–''छात्रों में मादक द्रव्यों का बढ़ता प्रयोग एवं रोकथाम'' सत्यम पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली–110059।
3. डॉ0 दीक्षित डी.के.–''विद्यार्थी और मादक पदार्थ'' कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली, मुम्बई।
4. तेजस्वर पाण्डेय, ओजस्कर पाण्डेय, सम्पादक महोदय सम्पादक डॉ0 उपेन्द्र उपाध्याय 28।
5. सारिका, मल्होत्रा और अमिताभ श्रीवास्तव पटना– आज तक, 13 फरवरी 2011।
6- WHO - https://hindinews.18.com

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

6

भारत मे स्त्री शिक्षा का विस्तार या प्रगति 19 वीं शताब्दी तक

डॉ. कुमारी प्रियंका
अतिथि प्रवक्ता, इतिहास विभाग, जगदम कॉलेज, छपरा, बिहार

स्त्री शिक्षा प्राचीन काल से ही एक जटिल समस्या था। जिसके निदान की समय–समय पर बहुत कोशिशें की गई किन्तु कोई खास सफलता नहीं मिली। अब हम इस बात पर प्रकाश डालनें की कोशिश करेंगें कि प्राचीन काल से लेकर अब तक स्त्री-शिक्षा का विकास कब और कैसे हुआ। प्राचीनकाल से ही स्त्रियों को शिक्षा देने पर प्रतिबन्ध था। उन्हें वेदों के अध्ययन की मनाही थी। पर्दा–प्रथा एवं बाल–विवाह के कारण उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल सकी।[1] घर में लड़कियों को उतनी ही शिक्षा मिल पाती थी। जितनी कि उन्हें ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करने में आवश्यकता पड़ती थीं।[2] परिवार की आय–व्यय का हिसाब रखनें में स्त्रियों कों केवल मौखिक गणित का ही ज्ञान हों पाता था। वह अपनी स्त्रियों कों दर्शन शास्त्र की शिक्षा नहीं देतें थें परन्तुं इस नियम में कभी–कभी ढील दे दी जाती थी।[3] हिन्दू स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा सामान्यत: नहीं थी फिर भी उन्हें साहित्य, र्दशन शास्त्र, धर्म, र्तक शास्त्र तथा नृत्य, संगीत की शिक्षा दी जाती थी।[4] वास्तव में धनी परिवार की हिन्दू स्त्रियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी सामान्यतः स्त्रियां निरिक्षित थीं। फिर भी अपाला, घोष, विश्वतारा जैसी अनेक विदुषी महिलाएँ उस समय विधमान थीं। वैदिककाल में महिलाएँ शिक्षित होतीं थीं। इस सम्बन्ध में डा. तारा अली बेग ने लिखा है कि, "ऐसी प्रतीत होता है कि वैदिक स्त्रियां कदाचित आधुनिक भारनीय स्त्रियों से तुलनीय थीं। उच्च र्वग स्तर की या अत्यन्त प्रतिभवान स्त्रियों को शिक्षा का हर लाभ प्राप्त था और जो उच्चतम परिस्थिति और प्राधिकार तक पहूँच सकती थीं। जबकि निम्नतर स्तर पर स्त्रियों के अन्याय तथा बाधाएँ कष्टकर बनातीं थीं।[5] बालकों के समान ही कन्याओं के उपनयन सस्कार का प्राविधान था ताकि उन्हें वेदाध्ययन की शिक्षा दी जा सके। विशेष रुप से, शासक परिवीरों में भी कन्याओं को शिक्षा तथा सैनिक एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण दिये जाने का भी उल्लेख मिलता हैं।[6] बौद्ध काल मे भी अनेक महान विदुषी महिलाओं

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

की पुष्टि होती हैं। सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका तक गई थीं।[7] परन्तु 11 वीं 12 वी शताब्दी तक आते–आते स्त्रियों की दशा निरंतर खराब होने लगी। वैदिक काल में जहां अपाला, घोष, विशवतारा जैसी अनेक विदुशी महिलाएं थीं वहीं बाल–विवाह और पर्दा–प्रथा के कारण स्त्रियों की समुचित व्यवस्था नहीं हों सकीं। मध्यकाल एंव अभिजात वर्ग के लोगों ने अपने परिवार की लड़कियों की शिक्षा का अलग से प्रवन्ध किया। इस सम्बन्ध में डा. युसूफ हुसैन ने लिखा है कि, "राजकीय और सामन्तों कें परिवारों के अतिरिक्त मध्यम श्रेणी के लोगों में भी लड़कियों की शिक्षा प्रचलित थीं। लड़कियों के पढ़ाने के लिए निजी घरों में मकतब थे, जहॉ वृद्धाऍं उन्हें कुरान, गुलिस्तॉ बोस्तॉ और नैतिकता से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ाया करती थी। यह एक परम्परा थी कि जब एक लड़की नयी किताब शुरु करती थी तो उसके माता–पिता शिक्षक की आवभगत करते थें और उपहार भेंट करते थे, यहॉ तक कि मध्यम श्रेणी के परिवारो की विधवाऍं अपने पड़ोस मे रहने वाले गरीब आदमियों की लड़कियों को शिक्षा देने के लिए घरों में अपने निजी स्कूल खोलती थी और उसे पुण्य का कार्य समझा जाता था ।[8]

सल्तनत काल मे सुल्तानों एवं अमीरों ने अपने परिवार की स्त्रियों को शिक्षित करने की व्यापक व्यवस्था की। सुल्ताना रज़िया अरबी, फारसी में पारंगत होने के साथ ही साथ घुड़सवारी एवं तलवारबाज़ी मे भी पारंगत थी। शाहतुर्कान और मलके–जहॉ राज्य–प्रशासन में दक्ष थीं।[9] हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम फारसी की एक कुशल लेखिका थी। सम्राट अकबर ने अपने महल की स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षित करने की व्यवस्था की थी। फतेहपुर सीकरी में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए।[10] मुगलसम्राटों ने अपनी पुत्रियों को फारसी पढ़ने के लिए शिक्षित महिलाओं की नियुक्ति की।[11] अरबी, फारसी और इतिहास आदि विषयो की शिक्षा भी इस काल में दी जाती थी। इसके अतिस्क्ति कुरान का गहन अध्ययन, गुलिस्ता बोस्तां की भी शिक्षा दी जाती थी। अभिजात वर्ग के लोग भी अपनी स्त्रियों के लिए अलग से अध्यापिकाएं रखते थे।[12] माहम अनगा अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्ताना बेगम, नूरजहॉ, चॉद, सुल्ताना,मुमताज़ महल, जैबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा आदि अनेक सुशिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है।[13] शाहजहॉ की पुत्री जहॉआरा बेग़म उच्च विदुषी थी। जिनकी कब्र पर खुदी हुई उसकी कविता भी उनकी बौद्धिक क्षमता

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

की पुष्टी करती है।[14] मध्यकाल में लड़के लड़कियों के स्कूल अलग नहीं थे। उच्च एवं धनी वर्ग के लोग घर पर ही अध्यापक रखकर लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था करते थे।[15] लेकिन साधारण एवं निम्न वर्ग एवं र्निधन वर्ग में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था मध्यकाल में नहीं थी और न ही उनके पाठयक्रम अलग थे।[16] इसके अतिरिक्त मघ्यम वर्ग मे सामान्य नारियों को भी हिन्दी, संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं ज्ञान होता था। मांसरेट ने लिखा है कि, "अकबर ने शहज़ादियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया .....उन्हें लिखना–पढ़ना सिखाया जाता था और वृद्ध स्त्रियां उन्हें अन्य व्यवहारिक बातें सिखाती थी।[17]

इस तरह यह बात सिद्ध होती है कि इस काल में स्त्री–शिक्षा की कोई खास प्रगाति नहीं हुई। सर्वप्रथम 1899 ई. में राजा राधाकान्त देव तथा डेविड हेयर ने ठोस कदम उठाए तथा कलकत्ता मे 'फीमेल जुवेनाइल सोसायटी' की स्थापना बालिकाओं की शिक्षा के लिए की। कुछ समय उपरान्त 'लेडिज़ सोसाइटी' नामक संस्था द्वारा कुछ बालिका विद्यालय कलकत्ता से इलाहाबाद तक फैलाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा बालिकाएँ लाभान्वित हो सके।

धीरे–धीरे बहुत से समाज सेवकों ने अपने सुधार आन्दोलनों के द्वारा स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया। हालांकि स्त्री–शिक्षा के विकास मे यह प्रगाति धीमी थी किन्तु निरन्तर प्रयासों के फलस्वरुप आधुनिक सुधार आन्दोलनो से स्त्री–शिक्षा को काफी प्रोत्साहन मिला। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय स्त्री–शिक्षा के अग्रणी सरंक्षक के रुप में उभर कर सामने आए। ब्रहमा समाज के अनेक प्रमुख सदस्यो ने अनेक पत्रिकाओं को प्रकाशित कर उनके बीच शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार में सहायता प्रदान की। बामाबोधिनी (1863 ई.), अबला बान्धव (1869 ई.द्वारकानाथ गांगुली), महिला अन्तःपुर (शशिपदा बनर्जी), भारती (द्विजन्द्रनाथ टैगोर), भारत महिला और सुप्रभात। आर्य समाज ने जालन्धर में महाकन्या विद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त र्प्राथना समाज तथा दक्खिन एजुकेशन सोसाइटी ने भी धीरे–धीरे अनेक माघ्यमिक तथा प्राथमिक विघालयों की स्थापना की और राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन ने भी शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव अपने वार्षिक अधिवेशनों में पारित किया।

ब्रिटिश सरकार के नुमाइन्दे बैंटिक एंव मैकाले ने स्त्री शिक्षा कि ओर कोई विशेष ध्यान नही दिया और न ही कोई ऐसा कोष बनाया जिससे कि स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कोई भी फीमेल स्कूल की स्थापना की जा सके। 1962-63 की वार्षिक

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

रिर्पोट से ही इस बात का पता चलता है कि डिंकवाटर बेथ्यून ने 1849 में कलकत्ता में बेथ्यून फीमेल स्कूल अथवा हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बेथ्यून ने इस विद्यालय को स्वंय 800 रु प्रतिमाह देते थे। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए डलहौज़ी ने भी इस विद्यालय को 8000रु हर महीने 5 र्वष तक लगातार निजी रुप से देते रहे। प्रारम्भ में इस विधालय में 11 छात्रांए थी किन्तु बाद में इनकी संहया घटकर 7 रह गई।

ईश्वरचन्द्र विधासागर ने 1855 में बंगाल के लेफटिनेन्ट गर्वनर सर पैडरिक हैलाडे के साथ 20 बालिका विद्यालय बंगाल के चार जिलों में स्थापित किये। किन्तु लार्ड केनिंग स्त्री–शिक्षा के विकास में कुछ भी धन खर्च करने को तैयार नहीं थे इसी कारण इन विद्यालयों को कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिल सका। ढाका, हुगली, फरीदपुर, त्रिपुरा, सिलहट आदि जगहों पर अनेक विद्यालय केशवचन्द्र सेन द्वारा स्थापित किये गए। 1873 ई0 तक 1640 बालिका विद्यालय ब्रिटिश भारत में स्थपित हो चुके थे जिसमें लगभग एक लाख बालिकाएं 1881–1882 तक शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस तरह से यह बात कही जा सकती है कि 1879–1882 के बीच स्त्री–शिक्षा के विकास में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1881 में छात्राओं के लिए कलकत्ते के मेडिकल कालेज में एडमीशन की सुविधा भी प्रदान की गई।

इन सब प्रयासों के बावजूद स्त्री शिक्षा की प्रगति लम्बे समय तक रुकी रही। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 1882 ई0 में र्लाड रिपन ने एक हण्टर कमीशन गठित किया जिसने यह लिखा कि सारी प्रगाति के बावजूद स्त्री शिक्षा भारत में पिछड़ी अवस्था में थी और इस कमीशन के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बालिका विधालयों को सरकारी अनुदान दिया जाए और तभी से सरकार तथा नगरपालिका जैसी संस्थाएं स्त्री शिक्षा पर अनुदान देने लगीं। 1888 ई0 में बेथ्यून स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय परीक्षा के नियमो–विनिमयों में संशोधन करके उच्चतर शिक्षा का मार्ग बालिकाओं के लिए खोल दिए गए ताकि वे प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित न रहे। धीरे–धीरे सरकारी अनुदान के कारण विधालयों की संख्या में वृद्धी होती गई और बालिकाएं पुरुषों के विद्यालयों में अध्ययन करने लगी। सन 1895 ई0 में र्लाड हाबहाउस के सभापतित्व में एक नेशनल इण्डियन एसोसियेशन की बैठक हुई जिसमें मनमोहन घोष ने चर्चा करते हुए यह कहा था कि अभी देश के लगभग हर गॉव में स्त्रियों के लिए स्कूल है तथा कलकत्ता शहर में हिन्दू स्त्रियों के लिए एक कॉलेज है जिसका पोषण सरकार करती है और इसमें हिन्दू महिलांए यूनिर्वसिटी

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

आर्नस की योग्यता प्राप्त कर रही है किन्तु लार्ड कर्जन की सरकार के द्वारा प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया था कि स्त्री –शिक्षा के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।(18) आर्य समाज, ब्रहम समाज और सरकारी प्रोत्साहन से धीरे-धीरे स्त्री-शिक्षा अभियान जोर शोर से चल रहा था और उनकी स्कूलों एवं कालेजों में दिन पर दिन बढ़ोत्तरी होती जा रही थी। 1854 में जबकी स्कूलों में केवल 25000 बालिकाएं थी 1881 में 1,17000 और 1892 में यह संख्या बढ़कर 1,27000 हो गई। 1901–02 तक बंगाल में 3 मद्रास में और 6 संयुक्त प्रान्तों में महिला कॉलेज स्थापित किये जा चुके थे। जिसमें 1902 के अन्त में महिला कॉलेजों में छात्राओं की सख्या 177 थी बंगाल में, 55 मद्रास में 35 बम्बई में, 30 संयुक्त प्रान्त में 49 और बर्मा में 81 बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 461 थी। धीरे–धीरे छात्राओं की यह संख्या बढ़कर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में क्रमशः 3,48,510,41582 और 263 थी यानि कि कुल मिलाकर 3,90,355 थी यह आंकड़े 1902 में हुए स्त्री–शिक्षा सम्बन्धी ऑकड़ों से ज्ञात होता है ।[19] 19 वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में स्त्रियों ने व्यवसायों में प्रवेश लेना प्रारम्भ कर दिया और अब वे अध्यापन कार्य, डाक्टर तथा नर्सों के रुप में कार्य करने लगी। 1910 और 1917 में स्थापित स्त्री सेवा मण्डल सरला चौधरानी द्वारा तथा वीमेन्स इण्डियन एसोसियोशन दोनों ही संस्थाओं ने स्त्रा–शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के अनेक सुझाव रखे। In 1917 the social reform conference also had passed a resolution that,'sex shall form no disqualification to women entering any position or profession for which she shows herself capable.'[20] The president of the Bombay presidency Social Reform Association Sir Narayan Chandravarkar, also sent a cable gram to joint select committee, in support of female franchise.[21]

स्त्री–शिक्षा में सुधार के अनेक सुधाव अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के द्वारा रखे गए। इन सुझावों के फलस्वरुप शिक्षा–ग्रहण करने वाली लड़कियों की सख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी और यह संख्या 1901–02 ई0 तक में 454616 हो गयी। 5 प्रतिशत लड़कियां 1912 में स्कुलों में शिक्षा ग्रहण कर रही थी जबकि 1902 में स्कुलों में पढ़ने वाली लड़कियों की शिक्षा 2.5 ही थी स्त्रियों की शिक्षा–प्रसार के सम्बन्ध में 1911–12 ई. के मॉरल एण्ड मैटेरियल प्रोग्रेस रिर्पोट में कहा गया था कि, "स्त्रियों की सख्या के अनुपात में यह सख्या नगण्य है किन्तु भारत सरकार का यह विश्वास है कि कुछ क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा का प्रसार किये जाने को मांग तेजी से बढ़ रही है।"[22] इसी

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

सम्बन्धं में लार्ड चैम्सर्फोड ने सन् 1917 ई0 में हुए जन–शिक्षा निर्देशकों के एक सम्मेलन में यह कहा था कि हम सबको सामाजिक रीतियों के दायरे के अन्दर स्त्री–शिक्षा में सुधार लाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

1917 में सैडलर कमीशन एक बोर्ड का गठन स्त्री–शिक्षा पर ध्यान देने के लिए किया। सन 1919 ई. में कलकत्ता विश्वविधालय आयोग ने एक रिर्पोट प्रस्ततु कि जिसके द्वारा यह कहा गया कि लड़कों की शिक्षा के लिए जो तरीके, पाठयक्रम एवं व्यवस्था निश्चित की गई है, वह कितना भी उत्तम क्यों न हो किन्तु उसे पूरा का पूरा लड़कियों पर लागू कर देना ठीक नहीं होगा। इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि स्त्री–शिक्षा पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाय तथा इसके लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाय। इस आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला–शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा स्त्रियों को तकनीकी विषयों की भी शिक्षा दी जाए।

इस तरह से सभी लोगों के सम्मिलित प्रयासों से स्त्री–शिक्षा ज़ोर पकड़ रही थी परन्तु फिर भी शिक्षित स्त्रियों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बहुत कम ही था। क्यूंकि विधमान भारत में स्थापित सामाजिक कुप्रथाएँ पग–पग पर स्त्रियों के लिए बांधाएँ ही उत्पन्न कर रही थी परन्तु फिर भी इस बात की खुशी है कि पुरुषों की साथ भी धीरे–धीरे बदल रहा थी और मध्यवर्गीय शिक्षित युवक शिक्षित पत्नियों की आकॉक्षा करने लगे थे।[23] जब तक शिक्षा केवल पुरुषों तक ही सीमित रहती तो देश की समाजिक संरचना राजनैतिक प्रगति पर प्रभाव डालती और उसकें बाधक बनती। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री व पुरुष के बीच विधमान खाई देश के समक्ष सर्वाधिक गम्भीर समस्या थी।[24]

1921 तक शिक्षित भारतीयों की मनोवृत्ति में निश्चित परिवर्तन आ गया था जो अपनी पुत्रियों को शिक्षा प्रदान करने को तत्पर थे। भारतीय स्त्री व पुरूष अनुभव करने लगे थे कि शिक्षा देश की भीषण सामाजिक समस्या थी और जब तक भारतीय सामाजिक परम्पराओं द्वारा आरोपित निषेधों के कारण स्त्री शिक्षा को पहुंचाने वाली क्षति की पूर्ति नहीं होती जब तक भारत आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपना अभिलषित स्थान प्राप्त नहीं कर सकता था।[25] सन 1911–1921 के बीच पुरूषों की साक्षरता बढ़ी,इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु स्त्रियों में यह वृद्धि केवल 0.7 प्रतिशत थी। 1921 की जनगणना की रिर्पोट्र से ज्ञात होता है कि 5 और इससे अधिक उम्र वाली लड़कियों में शिक्षितों का 2 प्रतिशत से अधिक नहीं थी। सन् 1927 तक स्त्री–शिक्षा शिश्चित रूप से

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

बढ़ी क्योंकि इस समय पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बट रही थी। सन् 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अवसर पर सांग्ली की रानी ने यह कहा था कि अब स्त्री शिक्षा पूर्ण उदासीनता,उपहास, समालोचना एवं अस्वीकृति की सभी स्थितियों से गुज़र चुकी है। अब यह निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि भारत में हर जगह लड़को की शिक्षा की तरह लड़कियों की शिक्षा भी राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनिर्वाय मानी जाने लगी है।[26]

फरवरी 1927 में बंगाल वुमेन्स एजुकेशन लीग की बैठक हुई। फरवरी 1928 ई0 में पंजाब सरकार ने अपने एक प्रस्ताव में लड़कियों की शिक्षा का महत्व स्वीकार किया तथा यह सामान्य मत व्यक्त किया गया कि भारत की प्रगति लड़कियों की शिक्षा के लिए सम्बद्व है। यदि उनकी शिक्षा की प्रगति के लिए सक्रिय रुप से कार्यवाई नहीं की जायेगी और इसके लिए सार्वजनिक मांग उत्पन्न नहीं की जाएगी तो देश की सामान्य प्रगति अवरुद्व हो जायेगी। इसी सम्बन्ध में चर्चा करते हुए हार्टोंग समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि सर्म्पूण भारतीय शिक्षा की प्रगति के लिए विकास की हर योजना में लड़कियों कि शिक्षा को अधिक महत्वर्पूण स्थान दिया जाना आवश्यक है। 1927 ई0 में पूना में आयोजित शैक्षणिक सुधार सम्बन्धी प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने उन छात्राओं के लिए वैकल्पिक पाठयक्रम का सुझाव रखा जो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहती थी। उनके पाठयक्रम गृहविज्ञान, ललित कलाओं, हस्त शिल्पों तथा उधम को शामिल करने का सुझाव था। अन्य सम्मेलनों के द्वारा भी इसी प्रकार का सुझाव रखे गये। प्राइमरी विद्यालयों में लड़कियों के लिए प्रथम वैकल्पिक विषयों का प्रावधान था जबकि माध्यमिक विधालयों में इनकी संख्या कम थी। विश्वविद्यालयों में वैकल्पिक पाठयक्रम प्रदान करने की ओर नगण्य ध्यान दिया गया।[27]

सन् 1927 से लेकर 1932 ई0 तक मद्रास के सन्त थेरेसा कॉलेज और त्रिवेन्द्रम के महाराजा महिला कॉलेज को स्नातक स्तर का बना दिया गया। बम्बई में पुरुषों के कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या सन् 1927 ई0 में 382 थी जोकि 1932 ई0 में बढ़कर 704 हो गई। 1917 ई0 में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या 1,230,000 थी जो 1937 ई0 में बढ़कर 2,89,1000 हो गई। 1920 –37 में बालिका संस्थाओं तथा छात्राओं की संख्या में भारी वृद्वि हुई। किन्तु इससे बढ़कर महत्व था जनता की मनोवृत्ति में आने वाले परिर्वतन का, लड़कों के कॉलेजों में भी सह–शिक्षा की व्यवस्था की गई है।[28] स्त्री–शिक्षा की प्रगति गावों में धीमी थी क्योंकि सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

के अधिकांश गावों में स्कूल नहीं थे और अधिकॉश प्राइमरी स्कूलों में लड़कियां नहीं भेजी जीती थीं क्यूंकि इन स्कूलों शिक्षिकांए नहीं होती थी। दूसरे, समाज में विधमान अंधविशवास, गरीबी, आर्थिक कमी, शिक्षकों का अभाव, गावों में स्कूलों का अभाव, आवागमन की असुविधा आदि बहुत बड़ी बाधाएं स्त्री–शिक्षा की प्रगति में अवरोधक थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास नहीं किया बल्कि स्त्री–शिक्षा के सन्र्दभ में प्रत्यक्ष प्रयासों की अपेक्षा यह व्यवस्था निजी प्रयासों पर अधिक र्निभर थी। तीसरे, स्त्री –शिक्षा को सुचारु रुप से चलाने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। चौथे, राजनीतिक व्यवस्तता के कारण जनता का सहयोग नहीं मिल पाता था। पांचवे, ब्रिटिश काल मे शिक्षा को सदैव द्वितीयक (गौण) महत्व प्रदान किया जाता था जिससे इसके लिए कोष का भी प्राय: अभाव रहा। अत: कतिपय उपलब्धियों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति अपर्याप्त एवं असंतुलित थीं।[29] धीरे–धीरे यह सब कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो गई है। क्योंकि राज्य तथा समाज दोनों ने स्त्री–शिक्षा की प्रगाति के प्रति जागरुकता दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त महिला सम्मेलन के कार्यों से भी इसकी प्रगाति में सहायता मिली है। गर्ल्स गाइड आन्दोलन के द्वारा स्त्रियों में शारिरिक शिक्षा की प्रगति हुई है। भारत सरकार के 'रिसेंट सोशल इकनामिक ट्रेडस इन इंडिया' नामक एक युद्धोत्तर प्रकाशन (1944-45) में यह लिखा है कि हाल के शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों में सबसे दिलचस्प बात स्त्रियों की बौद्विक प्रगति के बारे में देखने को मिलती है। क्योंकि सन् 1921 सक लेकर 1941 ई के बीच स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या दिगुनी हुई। स्त्री शिक्षा में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या 1,230,000 थी और 1937 में यह संख्या बढ़कर 2,891,000 हो गई।[30]

शिक्षा तथा सुधार के बीच निकट सम्बन्ध है। स्त्री–शिक्षा ने सामाजिक सुधारों के लिए आधार भूमि तैयार की। शिक्षा से मानसिक क्षितिज का विस्तार हुआ और शिक्षित स्त्रियां समझने लगीं कि उनके लिए क्या सही था और क्या गलत। स्त्री–शिक्षा (तथा उनकी राजनीतिक जागृति) हिन्दू सामाजिक जीवन के झाड़ झंखाड़ों को उनमूलित करने का उपयुक्त साधन प्रदान किया।[31] स्त्री–शिक्षा को अनुमति प्रदान कर हिन्दू कट्टरपंथियों ने स्वयं अपने गढ़ पर प्रहार किया।[32]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

स्त्री–शिक्षा का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण के बाद राधाकृष्णन आयोग ने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें पेश की।

- पुरूषों के कालेजों में बढ़ती हुई संख्या में भर्ती होने वाली महिलाओं के लिए सामान्य सुविधाएं एवं भद्रतार्पूण स्थिति की व्यवस्था की जाए।
- शिक्षा एवं उदाहरण के द्वारा गृह–अर्थ विज्ञान एंव गृह–प्रबन्ध के विरूध फैली हुई भावना दूर की जाए।
- महिलाओं के शिक्षा ग्रहण करने के अवसरों में कटौती नहीं बल्कि अधिकतम वृद्धि की जाए।
- छात्राओं का साधारणतः समाज में नागरिक एंव स्त्री के रुप में अपना उचित स्थान प्राप्त करने तथा उसके लिए तैयार करने की शिक्षा दी जाए और उसी के अनुरुप कॉलेजों में उनके लिए पाठयक्रम तैयार किया जाए।
- एक तरह के कार्य करने के लिए महिला–शिक्षकों को भी पुरुष–शिक्षकों के समान वेतन दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं को अपनी सच्ची शिक्षा सम्बन्धी हितों को स्पष्ट रुप से समझने में सहायता देने के लिए सुयोग्य पुरुष एंव महिला–निर्देशकों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे पुरुषों का अनुकरण मात्र करने की कोशिश न करें बल्कि वे अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। स्त्रियों तथा पुरुषों की शिक्षा में कुछ समानता अवश्य हो किन्तु आज की तरह हर प्रकार से समरुपता न हो।[33]

आयोग की इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की यथासम्भव कोशिशें की जा रही ताकि स्त्री–शिक्षा के विस्तार और प्रगति को बढ़ाया जा सके। स्त्रियों को पुरुषों के समान का दर्जा समाज में मिल सके। समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करके अधिक से अधिक सख्या में महिलाएं जागरुक हो। सुधारकों का ये मानना था कि शिक्षा प्राप्त स्त्रियां अपेक्षा कृत कार्यकुशल गृहिणियां होंगी। अत: स्त्रियों के लिए पृथक संस्थाओं, यहॉ तक कि भिन्न माध्यम और मानदण्ड की भी मागं स्त्री शिक्षा के अधिकाशं समर्थकों द्वारा की गयी।[34] इन सुधारकों की सम्मति में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयोजन उन्हें स्वाधीन बनाना नहीं बल्कि गृहिणियों के रूप में अपने कार्यों के सुचारू सम्पादन के लिए प्रशिक्षित करना था। इसी कारण गणित विज्ञान या विधि व इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठयक्रमों की अपेक्षा गृहविज्ञान और अपेक्षाकृत सरल उदार कलाओं जैसे विषयों पर विशेष ज़ोर दिया गया। आगरकर को छोड़ किसी अन्य सुधारक ने स्त्रियों का जीविकोपार्जन और व्यवसायों के लिए शिक्षा प्रदान करने

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

का विचार नहीं किया। 19 वीं शताब्दी के अंत की ओर, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से र्आथिक प्रशिक्षण की आवश्यकता अवश्य अनुभव की जाने लगी। स्त्री शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं के प्रसार के फलस्वरुप शिक्षकों चिकत्सकों व नर्सों की मांगो में वृद्वि हुई। प्रारम्भ में इन क्षेत्रां में ईसाई समुदाय की स्त्रियॉ आगे आईं। शनैः शनैः अन्य समुदायों से भी–शिक्षक व चिकित्सक का कार्य करने के लिए स्त्रियॉ आने लगीं।[35]

इन सब कोशिशों के बावजूद भी स्त्री शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त हीं कर सकी और आज भी पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता कम है।

सन्दर्भ

1. एम.एन.ला.प्रमोशन आफ लर्निंग इंण्डिया, पृष्ठ 200; यदुनाथ सरकार –स्टडीज़ इन मुगल इंण्डिया–कलकत्ता 1919–पृष्ठ–30।
2. F.E- A History of education in India and Pakistan. P.73 M.L.Bhagi–Medieval India, culture and thought ,Ambala-1965-P.361
3. मनुस्मृति–रमेधातिथि कीटी का के साथ ,कलकत्ता–1932 ix.11,F.F.कि–P.74-75
4. M.L.Bhagi-Medieval India ,culture and thought P-36
5. शैलेन्द्र पाथंरी और अमरेन्द्र प्रताप सिंह–आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास–P.230
6. लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इण्डिया, 1923-P.70-80
7. शैलेन्द्र पांथरी एंव अमरेन्द्र प्रताप सिंह, "आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास वही P.231
8. डा.के.एल.खुराना द्वारा ,उद्वत ,मध्यकालीन भारतीय संस्कृति P.133-34
9. इब्नबतूता–किताब उर रेहला–अंग्रेज़ी अनुवाद आगा मेंहदी हुसैन ,बड़ौदा–1953 vol-2, P.25-26
10. S.M.jafar education in Muslim India ,Peshwar-1936,P.197
11. Yadunath Sarkar-Studies in Mugal India P.301
12. Studies in Mugal India P.301 ,S.K.Banargi लेख Some of the women relation of Babar-Indian culture vol.4-1937 P.331
13. डा.के.एल.खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति P.141
14. जहांआरा की कब्र पर खुदी उसकी कविता का अंग्रेजी निम्नवत है–*"Except with grass and green things Let not my tomb be covered, For grass in an all sufficient fall, For the graves of the poor."*
15. A.L.Srivastava Medieval India culture-Agra-1964 P.113
16. वही
17. शैलेन्द्र पाथंरी और अमरेन्द्र प्रताप सिंह–आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास–P.264
18. वही
19. प्रताप सिंह–द्वारा उद्वत–आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास P.26

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

20. Woman's work in Madras Reminscenes, Madras, woman's Indian association n.d. P.7
21. Reddi, Mr. (Mrs.) S.Muthu Lakshmi, Mrs.Margret Cousins and her work in India, PP.15-
22. शैलेन्द्र पंथारी और अमर प्रतापसिहं–आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास–P-266
23. रिर्पोट आनॅ कान्स्टीटयूशनल रिफार्म्स (आर मान्ट–फोंड रिर्पोट), पार्ट–2,पैरा 184 (रिप्रिन्ट),1928,P.120.
24. मान्टफोंड रिर्पोट , आप सिट, P.120
25. वी.चिरॉल ,इण्डिया, 1997,P.152.
26. आर लिटिल हेल्स, प्रोग्रेस आफ एजूकेशन इन इण्डिया, क्वीनक्वनिल रिर्पोट, 1922–27,1929,P.171
27. रिर्पोट आफ दा आक्जीलरी कमिटी एप्वाइण्टेड बाइ साइमन कमीशन,प्रेसाइडेड अकेवर बाइ सर फिलिप हार्टोंग.P.172.
28. शैलेन्द्र पंथारी एवं अमरेंद्र प्रताप सिंह "आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास" P.268
29. रिर्पोट आफ दा नेशनल कमेटी आन वुमेन्स एजुकेशन, मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, गर्वमेण्ट आफ इण्डिया, 1959-P-28
30. शैलेन्द्र पंथारी एवं अमरेन्द्र प्रताप सिंह आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, P.269
31. के.ए.पणिक्कर, हिन्दू सोसाइटी ऐट ग्रास रोड्स, P-40.
32. वही, P.36
33. शैलेन्द्र एवं अमरेंद्र , वही-P 269
34. आर.सी.मजूमदार, 'ग्लिम्पसेज आफ बंगाल इन द नाइन्टीन्थ सेन्चुरी'
35. अर्पणा वसु, द रोल आफ वुमेन इन इण्डिया स्ट्रगल फार फीडम, बी. आर नन्दा (स.), इण्डियन वुमेन, P.48

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

7

प्राग् ऐतिहासिक काल में उपकरण प्रद्यौगिकी का स्वरूप

आनन्द कुमार मिश्र
यू.जी.सी. नेट

पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के क्रम में मानव का उद्विकास एक युगान्तकारी घटना है। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। आज भी कौतुहल का विषय है। वर्तमान नृतत्व शास्त्रीयों ने पृथ्वी पर मानव के विकास का काल आज से 56 साल वर्ष पूर्व अत्यंत (प्राति) नूतन काल में (प्लीस्टोसीन युग) स्वीकार किया है।[1] परन्तु आज हम जिस मानव को देखते हैं, प्रज्ञ मानव या आधुनिक मानव होमो सेपियन कहते हैं। मानव का विकास क्रम भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। आप्ट्रेलोपिथैकस, होमो नियंडरथल होमो इटेक्टस तत्पश्चात् होमोसेपियन एवं अन्ततः आधुनिक मानव होमो सेपियन रसेपियंस। इन सभी का विकास चरण बद्ध रूप से नहीं हुआ। इनमें आप्ट्रेलोपिथेकस पश्चात किस मानव की उत्पत्ति हुयी आज भी शोध का विषय बना हुआ है।[2]

उपकरण प्रद्योगिकी का विकास भी मानव के क्रमिक विकास से सम्बन्धित है। सन् 1778 में बेंजामिन फ्रेकलिन ने ''मानव को औजार बनाने वाला प्राणी'' कहा था।[3] इस प्रकार मानव ने अपने मस्तिष्क के क्रमशः विकास के फलस्वरूप (Set and Regular Pattern) निश्चित आकार और प्रकार के काटने छाँटने के कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजारों का निर्माण एवं प्रयोग करने लगा। उपकरण निर्माण की प्रविधि पर बहुत कुछ मानव के शारीरिक बदलाव का भी परिमाण थी। सीधा खड़ा होकर सत्वर गति से चलने की क्षमता, त्रिविमदर्शी दृष्टि (Stereo Scopic Vision) अंगुठे और किसी एक अंगुली की सहायता से किसी वस्तु को पकड़ने की क्षमता तथा मस्तिष्क का क्रमिक विकास एवं जीवित रहने के लिए प्रकृति प्रदत्त कठिनाइयों से अपने को अभ्यस्त बनाने की क्षमता ने औजार निर्माण उपकरण प्रद्यौगिकी के क्षेत्र महत्वपूर्ण कारक बनी। इन सबसे बढ़कर मस्तिष्क और विभिन्न अंगों में ताल मेल, उपकरणों एवं औजारों के निर्माण तथा प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

मानव के सभी प्रजातियों ने यद्यपि अपनी आवश्यकतानुसार उपकरण निर्माण किया परन्तु होमो प्रजाति ने पहली बार पत्थर के पेबल उपकरण, हस्त कुठारो के अतिरिक्त हड्डी, दाँत, श्रृंग, आदि के उपकरणों का निर्माण करने लगा था।

विश्व एवं भारतीय प्राग् इतिहास को उपकरण निर्माण तकनीक एवं जलवायु परिवर्तन के आधार पर निम्न तीन युगों में विभाजित किया गया है।[4]

1. पूर्व पाषाण काल : (Palaeolithic Era 25 लाख से 12000 BCC)
2. मध्य पाषाण काल : (Masolithic Era 15 हजार BC से 8000–7000)
3. नव पाषाण काल : (Neolithic Era 10 हजार BC से 1 हजार)

पूर्व पाषाण काल को पुनः तीन उप कालों में विभाजित किया गया–

1. निम्न पुरा पाषाण काल[5] Lower Paleolithic (25 से 1 लाख BCE)
2. मध्य पुरा पाषाण काल Midde Paleolithic (1 लाख से 40 हजार BCE)
3. उच्च पुरा पाषाण काल Upper Paleolithic (40 हजार से 10 हजार BCE)

मानव के तकनीकी प्रगति की कहानी अत्यंत सुदीर्घ इतिहास है। मानवकृत कृत पुरावशेषों को तकनीकी आधार पर अधोलिखित तीन कालों में विभाजन को समाजशास्त्रीय विचार धारा का परिणाम माना जाता है।

1. पाषाण काल : Stone Age
2. ताम्र–कांस्य काल : Copper – Bronze Age
3. लौह काल : Iron Age

पुरावशेषों के वर्गीकरण की उपर्युक्त परम्परा का प्रवर्तन डेनमार्क के कोपेन हेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष सी0जे0 टामसन (क्रिश्चियन जर्गेन्सन थामस 1788–1865) ने सन् 1816 में किया था।[6] टामसन का यह वर्गीकरण प्रारम्भिक मानव समुदाय द्वारा किये गये उपकरणों के प्रयोग एवं तकनीकी विकास पर आधारित था। प्राग्–एतिहासिक अवशिष्ट भौतिक पुरावशेषों में पाषाण निर्मित उपकरणों एवं पाषाण सामग्री की अधिकता थी परन्तु इसमे संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि प्राग्–ऐतिहासिक मानव ने शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं जैसे काष्ठ हड्डी तथा श्रृंग आदि का उपयोग भी उपकरण बनाने में किया होगा।[7] मानव द्वारा निर्मित उपकरण प्रद्योगिकी का स्वरूप विश्व में विभिन्न स्थानों से प्राप्त उपकरणों को स्थानगत आधार पर विभेदित किया गया है। जैसे– काफुआ उपकरण युगाण्डा के काफू नदी के सोपानों से प्राप्त, ओल्डना तंजानिया स्थित ओल्डुवई गार्ज से प्राप्त पेबल उपकरण, फ्रांस की सोम नदी घाटी से हेण्डएम्स, अवेवलील उपकरण, फ्रांस की सोम नदी घाटी

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

से हैण्डएक्स, अवेवली (Abbeville) नामक पुरास्थल के आधार पर अवेवलली हैण्डएक्स, एश्युली परिष्कृत हैण्डेक्स (Achelilian) फ्रांस के सेंट एश्युल नामक स्थान से प्राप्त हुआ, फ्रांस के ही दार्दोन (Dardogne) क्षेत्र से स्थित ल–माउस्टर Le- Mountier शिलाश्रय के नाम पर यहाँ से प्राप्त उपकरण को माउस्तीरियन संस्कृति के उपकरण नाम दिया गया। मैगदिलनी, मौस्तारी लेवा–लेवा, क्लैक्रोनी आदि उपकरण परम्परा का नाम भी स्थान विशेष एवं तकनीकी स्वरूप में विविधता को स्पष्ट परिलक्षित करता है।[8] पाषाण युग के प्रारम्भिक चरण में मानव खाद्य संग्राहक था पशु–पक्षियों का मांस, फल–फूल और जंगली वनस्पतियों पर जीवन यापन करता था। इन खाद्यान सामग्रियों को काटने–छिलने पर खुरचने या अपनी रक्षा के लिए आदिम मानव ने अपनी योग्यता और मास्तिष्क का प्रयोग कर लकड़ी और प्रस्तर उपकरण बनाये थे। आत्मरक्षा या शिकार हेतु जो उपकरण प्रारम्भिक चरण में बने। इन्हें **इयोलिथ** कहा गया जो तकनीकी रूप से उत्तम नहीं था, विशेषताहीन था जो देखने में बिल्कुल नैसर्गिक पाषाण खण्ड प्रतीत होता है। परन्तु यही से मानव को उन्नत पाषाण उपकरण की आवश्यकता समझ में आने लगी। समय का चक्र उसे उन्नत हथियारों के निर्माण के लिए प्रेरित करने लगा।[9]

प्रारम्भिक चरण के यह उपकरण 'इयोलिथ' मानव निर्मित था या नैसर्गिक प्रस्तरखण्ड इस पर विवाद है। परन्तु अधिकांश पुरातत्वविद इसे मानव निर्मित स्वीकार करते हैं। इयोलिथ हथियारों की तिथि अत्यंत नूतन युग (प्लीस्टोसीन ए) के अन्तिम भाग से लेकर प्रथम अर्न्तहिम युग तक मानी जाती है।[10] आष्ट्रेलोपिथेकस को इयोलिथ उपकरण परम्परा से जोड़ा जाता है। ''इयोलिथ'' उपकरण में धुरी छ, आरा, खुरचनी आदि का आदिम स्वरूप सदृश उपकरण रक्खे जाते हैं। पाषाण युग के उपकरण के पश्चात् प्रथम अर्न्तहिम युग से हमें ऐसे पाषाण औजार मिलने लगते हैं। जो निःसंदेह मानव निर्मित थे। इन औजारों और उनके प्रयोग के आधार पर ही पुरातत्वविदों ने **'संस्कृति'** और **'उद्योग'** शब्द का प्रयोग किया है।

संस्कृति का अर्थ ''उस मानव समूह के लिए होता है जिसके उपकरण, अस्त्र–शस्त्र और मृदभाण्ड इत्यादि एक जैसे हो।'' परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह मानव समूह एक ही जाति के हो। संस्कृतियों के नाम उन स्थान पर रक्खे जाते हैं जहाँ वे उपकरण पहली बार मिलते हैं, और शब्द उद्योग अर्थ किसी स्थान एक मानव समूह द्वारा निर्मित उपकरणों से है।[11]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

पुरा पाषाण कालीन उपकरणों से निर्माण प्रविधि के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है।

1. निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण
2. मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरण
3. उच्च पुरा पाषाण कालीन उपकरण।

निम्न/आरम्भिक पुरा–पाषाण कालीन उपकरण परम्परा में मुष्ठिछुरा प्रमुख था जो सामने की ओर से नुकीला अलग–बगल से धारदार और पीछे की ओर गोल था जिससे हाथ से पकड़ने में आसानी होती थी। इसी से वह पशुओं का शिकार करता था और अपनी आवश्यकताओं जैसे उसके बाल, नाखून की प्राप्ति करता था।[12] मानव मस्तिष्क के विकास के साथ–साथ वह अलग अलग कार्यों के लिए अलग–अलग औजार बनाने लगा। औजारों को उपयोग के आधार पर तीन प्रकार से बाँटा जा सकता है[13]–

1. आन्तरक हथियार
2. फलक हथियार
3. चापर हथियार

आन्तरक हथियार बनाने हेतु एक बड़े प्रस्तर खण्ड के कुछ छिलकों या फलकों को इस प्रकार अलग किया जाता था कि बीच का भाग जिसे आन्तरिक या गुदा कहा जाता है एक हथियार के रूप में बच जाय।[14]

विकास की दृष्टि से आंतरिक हथियारों को तीन संस्कृतियों में बाँटा जाता है। प्रारम्भिक–चैलियन संस्कृति : इस संस्कृति के मुष्टिछुरे एकदम सादे हैं, इनके निर्माण में कोई कौशल प्रकट नहीं किया गया है। इनकी तिथि द्वितीय हिमयुग के लगभग रखी जाती है। इस समय पिथेकेंथ्रोपस मानव पृथ्वी पर विचरण कर रहा था।[15]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. लीकी, एल0एस0बी0, फाइडिंग द वर्ल्ड्स आलिएस्टमैन
2. पुरातत्व विमर्श, पाण्डेय जयशंकर
3. पाण्डेय, जय नारायण, पुरातत्व विमर्श, पेज 163
4. पंत, डॉ0 रजनीकांत, प्राचीन सभ्यताओं में विज्ञान एवं तकनीक, पेज नं0 17
5. वर्मा, राधा कान्ट, पुरातत्व अनुशीलन, पेज नं0 9
6. पंत, डॉ0 रजनी कांत, प्राचीन सभ्यताओं में विज्ञान एवं तकनीकी
7. पाण्डेय, जय नारायण, पुरातत्व विमर्श, पेज नं0 178

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

8. भट्टाचार्या, डी0के0, भारतीय प्राग इतिहास की रूपरेखा
9. पंत डॉ0 रजनीकांत, प्राचीन सभ्यताओं में विज्ञान एवं तकनीकी
10. तत्रैव
11. विनफोर्ड, एल0आर0, 1962, आर्कियोलाजी एण्ड एन्थोपोलाजी
12. इग्नू के नोट्स, उपकरण तकनीक एवं विकास
13. वर्मा राधा कान्ट, पुरातत्व विमर्श
14. चक्रवर्ती, डी0के0, ए हिस्ट्री आफ इण्डियन आर्कियालोजी फ्राम बिगनिग टू 1947
15. तत्रैव

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

8

Sharqi Architecture (Atala Mosque)

Ashu Kamboj
Research Scholar
Dept. of History, J.V.Jain College, Saharanpur

Introduction

Atala Masjid is an historic mosque and amongst the well-known traveler locales of Jaunpur, a district in the Indian state of Uttar Pradesh. It belongs to the 15th century and used to be erected via Sultan Ibrahim between the period of 1401 and 1440, while the simple foundations of the mosque had been installed via Sharqi Sultan of Jaunpur, during the regime of Tughlaq Sultan Firuz Shah III. The final development work of Atala Masjid used to be achieved in the year 1408. The architectural points of this mosque undergo testimony to the age throughout which it had been built.

The Atala Mosque is stated to be an best instance of all sorts of mosques scattered across the nation and also in Uttar Pradesh. It is primarily based at a distance of nearly 26.3 km from the north-western element of Kirakat, 7.3 km from the north-western section of Zafarabad and 2.2 km from the north-western section of Jaunpur.The grand dome, which has an octagonal shape, is 56'-2'' in height from the inner side. For its indoors decoration black marble has generally been used and for the equal reason there have been made arches, mihrabs and architraves. The pinnacle section of this dome is sixteen-sided; from it springs the cupola, which has been divided into enriched panels by projecting ribs of black marble. The external cornice from which this dome springs is done in stone, although its external coating has been cemented. Its crowning bands are ornamented with pointed arcading which initiatives from the face 1'-1/2''. Finally there are rosette carvings in the centre of every arch in relief, which provide a very noble appearance.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

Each of the pillared oblong rooms on both facet of the central room measures 62'-0'' via 28'-8''. They are also roofed by way of smaller domes. These domes have stone moulding around their bases, in the equal way as that of the drums and cornices of the different one.

Architecture of Atala Mosque

The Atala mosque, an early specimen of the Jaunpur style, is the most ornate and most lovely of all the Jaunpuri mosques. The wonderful piece of architecture covers an area of 258 rectangular feet. Its courtyard is 177 feet in diameter, around which on three facets are the cloisters and on the fourth the sanctuary. The west aspect the place the sanctuary two stands is divided into 5 compartments. At the back of the primary propylon is the central room. Next to it on both side, is one rectangular room, 62'-0'' with the aid of 28'-8'', of one storey. Then there are two extra small rooms each corner. These small rooms consist of two storeys and had at first been separated with stone display screen work from the rest of the buildings.[1]

The central chamber is oblong in form, i.e., 35 feet in length and 29'-6'' in width, and has been roofed above with a grand dome. This whole chamber which once fashioned an intricate and inventive piece of work has now been marred by various coats of whitewash from time to time. It has transept pillars on either side. Its ornamental treatment consists of three distinctive stages, each relying on an arrangement of arches or arcades for its effect. The lowest stage of this compartment has three mihrabs; of these the central one has been recessed 4'-4'' from the face of the wall. All these mihrabs have been superbly carved and have black bands round their arches. To the north of the central mihrab stands a pulpit. The 2d decorated stage of the above-mentioned compartment, i.e., of the central chamber, has ornamental arches, 4 of which are squinched as properly as bridged across the angles. This offers it the form of an octagon. Through the screened openings of these arches light comes to its top part. Then comes the top stage which is sixteen-sided and supports the dome.[2]

The grand dome, which has an octagonal shape, is 56'-2'' in height from the internal side. For its indoors ornament black marble has largely been

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

used and for the same purpose there have been made arches, mihrabs and architraves. The top area of this dome is sixteen-sided; from it springs the cupola, which has been divided into enriched panels by projecting ribs of black marble. The exterior cornice from which this dome springs is finished in stone, though its external coating has been cemented. Its crowning bands are ornamented with pointed arcading which projects from the face 1'-1/2''. Finally there are rosette carvings in the centre of each arch in relief, which provide a very noble appearance.[3]

Each of the pillared rectangular rooms on either aspect of the central room measures 62'-0'' via 28'-8''. They are also roofed by way of smaller domes. These domes have stone moulding around their bases, in the same way as that of the drums and cornices of the other ones.

Atala mosque

Heart of central mihrab

Mihrab of Atala Masjid

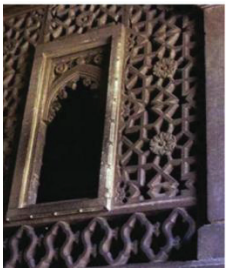

Upper floor gallery meant for female worshippers

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

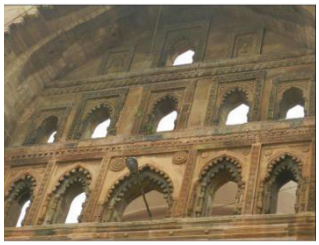

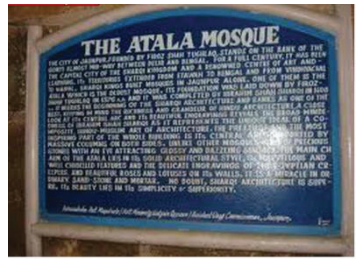

Two circles of Atala Masjid Details of mosque provided by ASI

But the third entrance of the eastern side is the largest and most beautiful, and in layout typically resembles that grand propylon which is in the the front of the grand dome. From the centre it is recessed and spanned by way of a four-centred arch of ogee structure and the areas above its spandrels are paneled and two ornamented through pietra dura. The upper section of the gables is pierced `whereas the decrease is divided into panelled bands which are beautifully fretted. The whole structure stands on a huge podium. Its top is crowned by means of an elaborate, daring cornice and its dome has the identical kind of ornament as that of the different two. Like the different two gateways it additionally had a Persian inscription slab, which has now been replaced by using a new one.

This mosque has the regular cloisters on its three sides, each very spacious and 42 ft in width. So some distance as the ground flooring cloisters are worried they are three aisles in depth and have square and coupled columns. Towards their outer facet there is a row of rooms and in the front of them is a pillared verandah which faces the street. The upper storey differs from the lower.[4]

The most hanging function of this Sharqi architectural gem is its propylon, where Jaunpur architects have Combined their artistic skill with great originality. This terrific phase of the mosque recollects the propylon of an Egyptian temple. It was once used alternatively of minarets. Its height is 75'-0" and its width across the base is 54'-7"; throughout the top it stays solely 47'-0". There are staircases on each side of it leading to its top.[5] Their exterior is divided into six storeys which have been embellished via string courses.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

The central portion has a awesome arched recess of eleven feet in depth. There are propylons on a smaller scale which have been positioned on both facet of it and have additionally been adorned with carvings and other geometrical devices.

The courtyard of this grand mosque is reached by means of three big gateways, which lie in the centre of the north, south and east facades. They have staircases on either side of them which lead to the higher cloisters. The height of each of these gateways is 34'-6" from the base and from the top which remains 38'-0". The screen walls of these gateways over the internal arch are panelled where in the centre of each a Persian inscription nevertheless exists, even though in a damaged condition. Towards the courtyard facet at there are additionally rows of square as well as octagonal columns.[6]

A thorough find out about of this mosque testifies that many elements in its format have been immediately derived from the the Tughluq architecture, for instance, the recessed arch with its fringe of ornamentation as properly as its shape two and sloping facets is to be observed in Sultan Muhammad Shah's (1390-93) tomb at Tughluqabad. Also the irregular arches right here are borrowed from the equal source, and the undeniable square shafts of the pillars and in particular the tapering turrets on the quoins of the western exterior wall appear to have been copied from two Sultan Firuz Shah's buildings. It indicates that the workmen who had been employed right here had been educated in the identical traditions as these of the imperial capital of Delhi; two in fact, most of them had taken refuge below the Sharqis after the disintegration of the Tughluq Empire, and flourished here underneath two their benevolent patronage. Moreover, the unique and extraordinary manner in which the elements comprising the scheme have been combined right here shows that this last concept was done by way of the genius of grasp builders, who had a very high coaching and mature vision. Local Hindu artisans had been also employed; they made their personal contribution to the architectural synthesis.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

References

1. Percy Brown, 'Provicial Style of the Mosque of Jaunpur' in Indian Architecture(Islamic Period), Bombay: D.B. Taraporevala, 1975, pp, 42-46.
2. Brown, op. cit., 44; Saeed, 139-47; A. Fuhrer, The Sharqi Architecture of Jaunpur, Varanasi: Indological Book House, 1971 rpt., pp.46-55.
3. Giles Tilloston, 'Architecture and Identity in Three Indian States', in Doris Behrens-Abouself, ed., Islamic art in the 19th century: Tradition, Innovation, and Electicism, Leiden: Brill, 2006, p. 394.
4. Archnet Digital Library: Atala Mosque Archived.
5. Michell, George (ed). Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning. London: Thames and Hudson, 272.
6. Nath, R. 1978. History of Sultanate Architecture. New Delhi, Abhinav Publications, 98-100.

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

9

भारत-नेपाल सम्बन्ध पर चीन की सौम्य शक्ति राजनय का प्रभाव

बागेश कुमार सिंह
एम०ए०, बी०एड्०, नेट

दक्षिण एशिया में राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों की दृष्टि से भारत–नेपाल सम्बन्ध अपने आप में एक अनुठा सम्बन्ध है। भारत व नेपाल का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही अपनी आदर्श उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भगवान बुद्ध जो नेपाल में अवतरित हुये, उनके सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा का साक्षी भारत भूमि है। कोशलाधिपति राम की भार्या का जन्मस्थल जनकपुर नेपाल ही रहा। दोनों ही प्रतिभाओं का जीवन–काल, भारत–नेपाल के प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों को आज भी प्रतिबिम्बित कर रहा है।

भारत का अंग्रेजी दासता से मुक्त होना व नेपाल के साथ 1950 में शांति व मित्रता समझौता हुआ ही था, कि इसी दौरान विस्तारवादी चीन ने बुद्ध उपासक क्षेत्र तिब्बत को रौदना शुरू कर दिया। जिससे नेपाल को भी खतरा महसूस होने लगा। 1955 में नेपाल ने चीन के साथ राजनितिक सम्बन्ध स्थापित किया। 1962 के भारत–चीन युद्ध में नेपाल, तटस्थ रहा। 1970 में नेपाल को शांति का क्षेत्र घोषित करने की मांग नेपाली नरेश द्वारा किया गया, जिसे चीन और पाकिस्तान ने समर्थन दिया।[1] 1980 से नेपाल के द्वारा चीन से हथियार व अन्य सामग्री का आयात किया जाने लगा। नेपाली गृह युद्ध (1996–2006) के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत ने नेपाल को शस्त्रों की आपूर्ति रोक दी। परन्तु चीन ने नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र को हथियारों की आपूर्ति की।

नेपाल में हुये 2008 के चुनाव में माओवादी सत्ता में आये। प्रचण्ड ने परम्परा को तोड़ते हुये चीन की प्रथम राजकीय यात्रा की, एवं चीन के साथ मजबूत सम्बन्ध बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया। सम्बन्धों की प्रगाढ़ता के बीच चीन, सौम्य शक्ति राजनय के द्वारा नेपाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने लगा।

चीन की यह निति अन्य दक्षिण एशिया व अफ्रीकी देशों की भांति यहा भी सफल हो रही है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था व ढ़ाचागत परियोजनाओं का सुदृढ़ प्रदर्शन कर तीसरी दुनिया के देशों को आकर्षित किया है। नेपाल में चीन की 'सौम्य

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

शक्ति राजनय' निति का उद्देश्य भारत–नेपाल सम्बन्धों व तिब्बत की अस्मिता पर चोट करना है। चीन भारत विरोधी अध्ययन केन्द्र, एफ0एम0 रेडियो स्टेशन आदि को बढ़ावा देने के लिये बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च कर रहा है। तराई क्षेत्र में ही 22 चीनी अध्ययन केन्द्र चल रहे है।[2] इन केन्द्रों पर चीनी भाषा सिखाई जा रही है। ये केन्द्र माओवाद के प्रसार और भारत विरोधी प्रचार में लगे है। अभी हाल ही में काठमाण्डु में स्थापित चीनी एफ0एम0 रेडियो केन्द्र से अविरत भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है।

चीन ने पिछले कुछ सालों से नेपाल में अपनी पैठ और बढ़ा ली है। और अपनी आर्थिक नितियों के चक्कर में नेपाल को उलझा दिया है। नेपाल में भारतीय हितो पर चीन के द्वारा चोट किये जा रहे है। अक्सर वह माओवादियों को शह देकर भारतीय प्रतिष्ठानों, व्यपारियों और उद्योगपतियों के विरूद्ध प्रदर्शन तोड़–फोड़ और आगजनी करवाता रहता है। जिससे भारतीय उद्योगपतियों को नेपाल में निवेश करने से डर लग रहा है।

2012 में चीन के द्वारा जल विद्युत क्षेत्र में अब तक का नेपाल में सबसे बड़ा निवेश 1.6 बिलियन डालर किया गया। इसका निर्माण सी.टी.जी.सी.(China Three George Corporation) द्वारा किया जायेगा।[3] इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिमी सेती नदी पर 750 M.W. के जल विद्युत उत्पादन केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। 450 M.W. की एक अन्य परियोजना का निर्माण कार्य तमकोशी क्षेत्र में चीनी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

चीन के द्वारा तिब्बत नेपाल सीमा पर व्यापक रूप से सड़क व रेल नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं ने भारत की सामरिक चिंताये बढ़ा दी है। चीन की स्थानीय मीडिया में एक खबर आयी है कि चीन द्वारा माउण्ट एवरेस्ट के नीचे से सुरंग बनाकर 2020 तक नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने की योजना है।[4] अगर ऐसा होता है तो सामरिक व पारिस्थितिकी दोनों खतरो का सामना करना पड़ सकता है। सड़को के निर्माण की अन्य चीनी योजनाओं में काठमाण्डु–तिब्बत सीमा तक 145 मिलियन डालर व साइफ्रबुसी से केरुंग 20 मिलियन डालर की है। नेपाल में पहला 8 लेन हाइवे का निर्माण चीनी इंजनियरो द्वारा किया जा रहा है।[5]

2010–2013 के बीच नेपाल–चीन व्यापार में 67प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चीन–नेपाल में सड़क, रेलवे, जल विद्युत परियोजनाओ, लुम्बिनी के तीर्थस्थलों, हवाई अड्डो से जुड़े ढ़ाचागत परियोजनाओ के निर्माण के लिये भारी मात्रा में धन निवेश कर रहा है। वर्ष 2014 में चीन ने नेपाल में सबसे ज्यादा निवेश किया, हालाकि अभी भी

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

नेपाल में भारत सबसे बड़ा विदेशी निवेशकर्त्ता देश है। चीनी पर्यटको की नेपाल यात्रा में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भारत के बाद चीनी पर्यटक दूसरे बड़े नेपाल भ्रमण पर आने वाले सैलानी है।

25 अप्रैल को नेपाल में आये भयानक भूकम्प से हुये आधारभूत संरचनाओं के पुर्ननिर्माण हेतु चीन ने 3 मिलियन डालर की सहायत देने की घोषणा की है। पहले ही वह 2014 में नेपाल को दी जाने वाली पारम्परिक सहायता में 5 गुना से अधिक वृद्धि करते हुय 24 मिलियन डालर से बढ़ाकर 128 मिलियन डालर कर दिया था।[6]

भारत नेपाल के सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ़ रहे है। लेकिन चीन की सौम्य शक्ति कूटनीति ने सम्बन्धों पर काली छाया डालना शुरू कर दिया है। चीन द्वारा समर्थित गुटों द्वारा भारतीय परियोजनाओं का विरोध व भारत विरोधी आंदोलनों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर समय रहते प्रयास नहीं किया गया तो भारत को घेरने की निती (String of Pearls) का एक मोती नेपाल बन जायेगा।

भारत–नेपाल सीमा पर चीनी अध्ययन केन्द्रो को लेकर सशस्त्र सीमा बल अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। चीन की कूटनीति का लक्ष्य नेपाल में भारतीय उपस्थिति को कम करने के साथ ही नेपाल में शरण लिये तिब्बतियों द्वारा तिब्बत को स्वतंत्र करने की माँग पर भी नियंत्रण करना है।

नेपाल में भारतीय विदेश निती चीन के मुकाबले पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुई थी, परन्तु नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विदेश निती में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 17 साल बाद प्रधानमंत्री की यात्रा ने रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री ने भारत–नेपाल प्राचीन सांस्कृतिक सम्बंधों को दोहराते हुये नेपाल को 1 बिलियन डालर की सहायता देने की घोषणा की,[7] जिसका उपयोग जल विद्युत व सड़क निर्माण हेतु किया जायेगा।

अप्रैल 25 को नेपाल में आये भूकम्प के 4 घंटों के भीतर 1 एन.डी.आर.एफ. टीम के साथ 187 टन की राहत सामग्री भारत द्वारा भेजा गया। नेपाली लोगों की मदद के लिये 450 एन.डी.आर.एफ. के जवान 13 सैन्य विमान, 3 यात्री विमान, 10 हेलीकाप्टर लगाने के साथ ही भारतीय सेना द्वारा आपरेशन मैत्री चलाया गया।[8] दुःख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी ने कहा ''नेपाल की पीड़ा हमारी पीड़ा है, भारत के सवा सौ करोड़ नागरिक नेपाल के साथ खड़े है।''[9]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

निष्कर्श :

चीन की आर्थिक उपनिवेशवाद, की स्त्रातजी 'सौम्य शक्ति राजनय' का लक्ष्य नेपाल–भारत सम्बन्धों को कमजोर करना व नेपाल में अपनी मजबूत स्थिति बनाना है। नेपाल में तिब्बती शरणर्थियों द्वारा किये जाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर भी अंकुश लगाना चीन का उद्देश्य है। चीन नेपाल से यह भी चाहता है कि वह तिब्बत से नेपाल जाने वाले लोगों को भारत जाने से रोकने में उसकी मदद करें।

भारत को अपनी विदेश नीति में और मजबूती लाकर नेपाल में चीन को सीमित करने के प्रयास तेज कर देना चाहिये। भारतीय हित इसी मे है कि चीनी कूटनीति को उसी के अंदाज में जवाब दे। नेपाल की जनता से समाजिक व सांस्कृतिक, धार्मिक जुड़ाव बढ़ाना चाहिये। जिसमें बौद्ध सर्किट मददगार सिद्ध हो सकता है। भारत के द्वारा नेपाल में चीन की गतिविधियों को नियंत्रित करना वर्तमान की जरूरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 बी0एल0 फड़िया 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध', पृ0 398।
2. Daily mail 'Dragon act in Nepal a big worry for India' 26 Nov. 2014. *http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2238874/Dragon-act-Nepal-big-worry-India.html*
3- NIHAR R NAYAK 'STRATEGIC HIMALAYAS, P. 98.
4- NDTV, China PLANS to Builed Rail link with Nepal Through Mt. everest. *http://m.ndtv.com/world-news/china-plans-to-build-rail-link-with-nepal-through-mount-everest-753785*
5- Bloomberg 'China Breaks India Monoplay on Nepal Economy as Inustment croures" Dec. 2014. *www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-14/china-breaks-indiamonopoly-on-nepal-economy-as-investment-grows*
6- Times of India' China Raises Aid five to compete India Dec. 26.2014. *http://m.timesofindia.com/world/south-asia/China-raises-Nepal-aid-5-fold-to-compete-with-India/articleshow/45652472.cms*
7- IBNLIVE 'Modi Announces Vs Dollar I billion consessional line of Credit to Nepal' 3 Aug. 2014.

http://m.ibnlive.com/news/india/modi-announces-us-dollar-1-billion-concessional-line-of-credit-to-nepal-705837.html
8. हिन्दुस्तान गोरखपुर, 27 अप्रैल 2015, पृ0 8।
9. दैनिक जागरण गोरखपुर, 26 अप्रैल 2015, पृ0 1।

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

10

भारतीय चिन्तन एवं महिला सशक्तीकरण

नवनीत कुमार
एम.एड.

भारतीय चिन्तन में महिलाओं के बारे में जो हम विचार करते हैं, वो आज की अवस्था में फिर से प्रभावी रूप से करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार का स्खलन विचार और व्यवहार के बारे में आज हो रहा है वह बड़ी चिन्ता उत्पन्न करने वाला विषय है। भारतीय चिन्तन में हमने महिलाओं को माँ के स्थान पर समझा। पश्चिम के विचार में इसके बारें में जो–जो होता है वो केवल एक व्यक्ति के रूप में होता है। हमारे चिन्तन में हम उसको एकात्म रूप से देखते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि ''पुरुष और स्त्री का अस्तित्व कैसा है? एक पक्षी के दो पंखों जैसा है। एक पंख अगर घायल हो गया तो पक्षी उड़ नहीं सकता है।'' इसमें सारे विषय आ जाते हैं– आत्मसम्मान का, व्यवहार का, आदर सत्कार का, महिला की राष्ट्र जीवन और समाज जीवन में सहभागिता का। इसलिये हमारे यहाँ सांस्कृतिक मूल्यों को मातृशक्ति के रूप में जोड़ा गया है। जैसे हम हमारी मातृभूमि, भारत माता, वसुधा, जगज्जननी या जगदीश्वरी का उल्लेख करते हैं। इन सारे शब्दों को मिलाकर हम देखें तो उसमें एक उदात्तता है, एक उच्च भावना है। उस प्रकार की उदात्तता के कारण व्यवहार में भी एक पवित्रता उत्पन्न हो जाती है।

भारतीय संस्कृति में महिला और पुरुष से ही परिवार की संकल्पना उत्पन्न होती है। यहीं संकल्पना आगे चल कर समाज, राष्ट्र, विश्व परिवार का कल्याणकारी विचार, से जुड़कर हमारे चिन्तन में आती है। इसकी जो मूल इकाई है परिवार (कुटुम्ब), उसमें महिलाओं के स्थान का विचार सर्वोच्च है। सारा मनुष्य जीवन महिला और पुरुष से मिलकर ही उत्पन्न होता है। महिला बिना परिवार जीवन अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। जहाँ महिला और पुरुष इन दोनों में सामंजस्य नहीं है वहाँ परिवार क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए परिवार हमारे लिए सबसे छोटी किन्तु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

आश्रम व्यवस्था इसका मूल आधार है। आश्रम व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम। इसमें सबसे लम्बी अवधि तथा महत्व का आश्रम गृहस्थ आश्रम है और उस गृहस्थ आश्रम के अस्तित्व से ही सारी परिवार भावना उत्पन्न होती है। गृहस्थ आश्रम में कामों का बंटवारा कृत्रिम आधार पर नहीं होता है, कामों का बँटवारा सामंजस्य के आधार पर होता है। कम या ज्यादा आधार पर नहीं होता है। परिवार की कल्पना हमारे यहाँ 'सोशल कान्ट्रेक्ट' के रूप में नहीं है। हमारे यहाँ विवाह पद्धति एक संस्था के रूप में विकसित हुई है। स्त्री व पुरुष इसे मिलकर चलाते हैं। सप्तपदी के रूप में सात फेरे लेते हुए जो वचन हैं उनसे यह भावना व्यक्त होती है।

आज की विवाह पद्धति का विश्लेषण करना होगा जिसमें एक ही विवाह मण्डप में रजिस्ट्रेशन भी होता है और पारम्परिक रूप से विवाह भी होता है। कहीं छूटने का, विच्छेद का विचार आ गया तो मेरा व्यक्तित्व स्वतंत्र है, आपका स्वतंत्र है, ऐसे व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की होड़ बहुत बड़ी मात्रा में आजकल दिखाई देती है। इसमें मतभेद है, कलह इत्यादि कारणों से हमें ऐसा दिखाई देता है कि यह जीवन–दर्शन से हटकर चलने वाला विषय है।

जीवन व्यवहार के जो उदाहरण हमारे गृहस्थ आश्रम के बारे में बार–बार आते हैं। सारा विषय भावात्मक यानि भावना से जुड़ा होता है। बच्चा 16 साल का हो गया, अपने पैरों पर खडत्रा होने के के लिए परिवार से निकल जाएगा, ऐसी अमेरिकन सोशियोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है। जहाँ तक सम्भव होगा, माँ–पिता–पुत्र साथ में ही रहेंगे। परिवार विभक्त भी होगा तो भी स्नेह में कमी नहीं होगी। उत्सव में, सुख–दुःख में, सब एकत्र आते हैं। यह स्वाभाविकता जो है वह हमारे जीवन व्यवहार के कारण है। जब जीवन व्यवहार में परिवर्तन, जीवन दर्शन व जीवन मूल्यों के विपरीत होने लगता है तब हम यह कहते हैं कि यह ठीक नहीं है।

आजकल हम विवाह विच्छेद देखते हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व का इतना आग्रह होता है कि मैं स्वतंत्र रहूँ। पति, वह भी स्वतंत्र है। मैं आपके व्यवहार में दखलन्दाजी नहीं करुँगी, इसलिए मेरे व्यवहार में दखलन्दाजी की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के विषय आजकल की शहरी–नगरीय व्यवस्था में जाने लगे हैं। और इन विषयों के आने से अस्वस्थता का अनुभव होता है। अमेरिका में जब स्त्री–मुक्ति का आन्दोलन चला,

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

बेट्टी–फ्रेडान नाम की एक विदुषी थी, आपने उसके बारे में सुना–पढ़ा होगा। उसने पहली पुस्तक लिखी 'फीमेल मीस्टिक' (स्त्रीत्व का मूल–वलय)। सारा प्रचार और 10–15 वर्षों में जो गतिविधि चली उसमें कहा गया कि हमारा व्यक्तित्व स्वतंत्र है, पुरुषों पर हम अवलम्बित नहीं, और उसके बाद उस परिवेश से लेकर सभी प्रकार के व्यवहार जो पुरुषों को ही शारीरिक क्षमता के अनुसार करने चाहिए, उसके ऊपर आक्रमण होने लगे। विवाह में विश्वास रखा नहीं, और ऐसी अवस्था में सारा जीवन अस्त–व्यस्त हो गया।

लगभग 18–19 वर्ष बाद इसी लेखिका ने दूसरी पुस्तक लिखी **'सैकेंड स्टेज़'** (दूसरी अवस्था) इसमें लेखिका ने अपने प्रकार के उदाहरण दिए। एक ऑफिस में एक युवती मुझे मिलने आई, वहाँ की वह सेक्रेटरी थी, वह कहने लगी कि आपके आन्दोलन के कारण मुझे अपने माता–पिता के पंखों की छाँव नसीब नहीं हुई, आपने स्वयं के जीवन में तो परिवार व्यवस्था के सारे आनन्द ले लिए और ये सारा मुक्ति का वातावरण हम पर थोप दिया। मुक्ति पाऊँ किससे? जब कोई अपना है ही नहीं? तो कैसी मुक्ति, किससे मुक्ति। जब परस्पर साहचर्य का विषय नहीं आता तब ये मुक्ति वाला विषय आता है। साहचर्य में मुक्ति का स्थान नहीं। साहचर्य परस्परावलम्बित है। साहचर्य में परस्पर पूरकता है। **'सैकेंड स्टेज'** नामक इस पुस्तक में सारे लोगों ने पश्चात व्यक्त किया, परिवार व्यवस्था पर जोर दिया। हमारे यहाँ हम इस प्रकार की कल्पना ही नहीं करते। स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध का चिन्तन परस्परावलम्बन का है, परस्पर पूरकता का है।

वे लोग एक दूसरे के जीवन से परस्पर पूरकता से जुड़े होते हैं। बहुत सारे विवाहों में सम्बन्ध होते समय 10–15 मिनट देखने–दिखाने का कार्यक्रम रहता है। आपस में कोई पुराना परिचय नहीं होता लेकिन जीवनभर एकत्र रहते हैं। जीवन भर दोनों की निष्ठा एक–दूसरे के प्रति होती है। यह जीवनमूल्यों के कारण है। इन जीवनमूल्यों के परिणाम के आधार पर वास्तविक रूप में पति–पत्नी बहुत ज्यादा परिचित न होने के बावजूद आनन्द से जीवन व्यतीत करते हैं और उसी खुशी में पति भी अपने परिवार का प्रबन्धन करने लगते हैं। वहाँ एसेन्स ऑफ कमिटमैंट है। और ये कमिटमैंट (प्रतिबद्धता) कोई लिखकर कान्ट्रेक्ट के रूप में देने वाली कमिटमैंट नहीं है। प्रतिबद्धता है, वह अपने संस्कारों के कारण रहने वाली है और उस प्रतिबद्धता का अनुभव हम सारे व्यवहारों में करते हैं।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

भगवद्गीता में स्त्री का वर्णन भगवान् श्रीकृष्ण ने किया उसमें उन्होंने सात गुणों का उल्लेख किया स्त्री का अस्तित्व ही ईश्वरीय अस्तित्व है, क्योंकि उसमें मेधा, स्मृति क्षमा, धृति, श्री, वाक् और कीर्ति है। ये सारे स्त्री के गुण हैं और स्त्री की विशेषता में ही आते हैं। स्त्री ही ईश्वरीय अस्तित्व है, स्त्री के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण हमारे जीवन मूल्य हैं। इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर हमारा साथ का व्यवहार चलता है। हिन्दू चिन्तन में क्या महिलाओं के बारे में परस्परावलम्बन का विषय सामने आता है। स्त्रियों की, महिलाओं की समस्याएँ बहुत सारी हैं। क्या महिलाओं की समस्याएँ केवल महिलाओं के कारण ही हैं? अपना चिन्तन यह कहता है कि महिलाओं की समस्या वह सारे समाज की है इसको महिला ही केवल हल करेगी उसमें हमारा विश्वास नहीं। एकात्म–चिन्तन के अनुसार महिलाओं की समस्या, समाज की समस्या है तो समाज के पास इसका उत्तरदायित्व आता है। इन समस्याओं के हल का दायित्व भी पूरे समाज का है। महिलाओं की समस्या है तो महिला की ही है, इस प्रकार का चिन्तन हमार नहीं है।

महिलाओं के बारे में हमारे जो सारे विचार हैं, वे राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए हैं और जैसे हमार व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन महिला और पुरुष के बिना अस्तित्व में नही आ सकता, महिलाओं की उसमें अनिवार्य सहभागिता है। उसी प्रकार हमारा राष्ट्र–जीवन भी महिलाओं की सहभागिता से युक्त होना चाहिए। वह नहीं होने से अपूर्णता उत्पन्न होती है, अपूर्णता को अगर निकालना है तो हमारे राष्ट्रजीवन में महिलाओं का सहभाग, उनकी सहभागिता पर्याप्त मात्रा में होने की आवश्यकता है।

एकात्म–मानव–जीवन, हमारा मूलभूत चिन्तन है, एकात्मता का चिन्तन, शरीर के अवयवों का चिन्तन है, इसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। पहली चुनौती पाश्चात्यों के अनुकरण की है जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। स्त्री आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में लगी है, विशेषकर नगरीय–शहरी व्यवस्था में। शिक्षा का प्रमाण बढ़ा है जो कि निश्चित रूप से बढ़ना भी चाहिए और इसमें भी ऐसी कोई शिक्षा जो केवल पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए नहीं ऐसा भी अब नहीं रहा। इसलिए महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में पूरा अवसर है। वे आगे बढ़ सकती हैं, ये सारे विषय आर्थिक स्वतत्रंता के चलते ऐसा होने लगता है कि ये मेरा व्यक्गित जीवन है, आप इसमें मत झाँकिए। ऐसी 'पर्सनल लाइफ' वाली बातें परिवार में शंका उत्पन्न करने वाली समस्या बन जाती हैं। जो परम्परागत काम पुरुष करेंगे, उसी प्रकार करने की इच्छा महिलाओं

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

में उत्पन्न होने लगती है। आज परिवेश की स्थापना है, इसके कारण पुरुष के समान महिला होनी है। यह समता, समानता का विचार आने लगता है।

हम अपने चिन्तन में एकात्मता पर विश्वास रखते हैं जबकि वहाँ समता से समानता, समानता से प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न होने लगता है। इसके कारण बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारे स्थानों पर दिखाई देती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षा का प्रभाव उत्पन्न हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षा का अभाव भी है।

संदर्भ

1. कृषि एवं जैव–विविधता की प्रयोक्ताओं, संरक्षकों एवं प्रबंधकों के रूप में महिलायें, महिला एवं जनसंख्या प्रभाग, स्थायी विकास विभाग, खाद्य एवं कृषि संगठन।
2. पर्यावरण विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992।
3. सरला गोपालन और मीरा शिवाः पेशनल प्रोफाइल ऑन वीमैन, हैल्थ एंड डवलपमैंट, भारत 2000।
4. सरला गोपालन और मीरा शिवाः पेशनल प्रोफाइल ऑन वीमैन, हैल्थ एंड डवलपमैंट, भारत 2000।
5. मीराई चटर्जी और सुनयना वालिया, हैल्थ इश्यूज रिलेटेड टू लाइॅ स्टाइल्स एंड टू होम एण्ड वर्क एनवायरमेंट्स 1998।
6. ज्योति पारिख, किर्क स्मिथ, विजयालक्ष्मी, इकनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, खण्ड 34, संख्या 27 फरवरी 1999–इनडोर एयर पोल्यूशनः ए रिफलेक्शन ऑन जेण्डर बायस।
7. स्वर्णलता आर्या, जे0 एस0 समरा और एस0 पी0 मित्तलः केन्द्रीस मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़, रूरल वीमैन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ट्रेप्स एण्ड अपोर्चुनिटिज।

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

11

स्त्री शिक्षा एक अवलोकन

अस्मित शर्मा
जे.आर.एफ. शोध छात्र इतिहास विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

हमारे समाज में स्त्री को ज्ञान शक्ति एवं सम्पति का प्रतीक माना गया है। स्त्री को परिवार समुदाय की नीव और समुदाय को राष्ट्र की प्राचीन काल से ही स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता रहा है। परन्तु मध्यकाल में इनके पद एवं प्रतिष्ठा की सर्वाधिक हानि हुई नाना प्रकार के प्रताड़ना से गुजरना पड़ा या यह कह सकते है कि स्त्रियों को उपभोग की वस्तु समझा जाता रहा है। उन्हें कोई भी कार्य बिना किसी के अनुमति के नही करनी पड़ती थी।[1] परन्तु स्वतंत्र भारत में संविधान के द्वारा पुरुषो के साथ साथ स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया गया है। पुरुषो की तुलना में तमाम अधिकार स्त्रियों को दिए गये जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो।

शिक्षा ने स्त्रियों को आत्मविश्वास से युक्त आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता और रुढ़िवादी परम्परागत स्थिति को दूर करने का प्रयास किया। स्त्रियों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। औद्योगीकरण व नगरीकरण ने स्त्रियों की स्थिति को बदलने में योगदान दिया। स्त्रियों के भी नौकरियों के अवसर दिखाई देने लगे। उनमे आत्मविश्वास जागृत हुआ। शिक्षित स्त्रियों कार्यालयों, उद्योगों, शिक्षण संस्थाओ, चिकित्सालयो, समाज कल्याण केन्द्रों आदि में अधिक संख्या में कार्य करने लगी[2]।

डॉ अल्तेकर ने कहा है कि "हमे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है। घोर तपस्या के पुराने आदर्शो का आकर्षण समाप्त हो चुका है। सत्ता का युग जा चुका है। और उसके स्थान पर तार्किकता तथा समानता का काल आ चुका है। इसलिए हमें प्रस्तावित प्रयत्नों को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थिति का समायोजन करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो भारतीय महिलाओं की क्षमता कुशलता और प्रसन्नता बढ़ेगी। परिणामस्वरूप हमारा समुदाय राष्ट्रों के समुदाय में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बन सकेगा और मानव जाति की प्रगति और प्रसन्नता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पायेगा। अब महिलाओं को पुरुषो पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगेंगी। वे अब स्वतंत्र रूप से स्वयं के

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षो में उनकी सुधारों में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया हैं। जिनका साकारात्मक परिणाम निकला कि आज बड़ी संख्या में समाज की मध्यमवर्ग महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रो में अपना परचम लहराया। विभिन्न आधुनिक मान्यताओं की वजह से नवयुवतियो का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है।[3] उन्हें पम्परागत स्त्री बंधन में रहना अब ठीक नही लग रहा है। वे अपने व्यक्तित्व विकास तथा आत्म संतुष्टि के लिए अपने घर से बाहर निकालकर काम करना चाहती है।

भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार था। मुगल काल में भी अनेक महिला विदुषियों का उल्लेख मिलता है। पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वार सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता के दर 0.2ः से बदकर 6ः तक पहुँच गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। 1986 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रत्येक राज्य को सामाजिक रूपरेखा के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 से लेकर भारत सरकार पाठशाला में अधिक लड़कियों को पढ़ने का मौका देने के लिये, अधिक लड़कियों को पाठशाला में दाखिला करने के लिये और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में अनेक योजनाएँ बनाए हैं जैसे कि निरूशुल्क पुस्तकें, दोपहर की भोजन आदि। जोन इलियोट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था। सन् 1849 में और उस विश्वविद्यालय क नाम बेथुन कालेज था।[4]

सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्गठन देने को सरकार ने फैसला किया। सरकार ने राज्य कि उन्नती की लिये, लोकतंत्र की लिये और महिलाओं का स्थिति को सुधारने की लिये महिलाओं को शिक्षा देना जरूरी समझा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं कि शिक्षा में गुणवता में सुधार लिया जाए। भारत सरकार ने तुरन्त ही महिला साक्षारता की लिये साक्षर भारत मिशन की शुरूआत किया था। इस मिशन में महिलाओं की अशिक्षा की दर को नीचे लाने की कोशिश की गई है। बुनियादी शिक्षा उन्हें अनिवार्य है और अपने स्वयं के जीवन और शरीर पर फैसला

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

करने का अधिकार देने, बुनियादी स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन की समझ के साथ लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान हो रही है।

लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा गरीबी पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ परिवारों का काम कर रहे पुरुष दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में विकलांग हो जाते हैं। उस स्थिति में, परिवार का पूरा बोझ परिवारों की महिलाओं पर टिका रहता है। महिलाओं की ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हे शिक्षित किया जाना चाहिए। वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं। महिलाएँ शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रशासक के रूप में काम कर रही हैं। शिक्षित महिलाएँ अच्छी माँ बन सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा से दहेज समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि सामाजिक शांति से जुड़े मामलों को आसानी से हल किया जा सकता है।

संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है– 'नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरुरू'. इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में विद्या के समान क्षेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है।' यह बात पूरी तरह सच है। बालक के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में इतने असामाजिक तत्व उभर आए हैं, जिन्होंने मां–बहनों का रिश्ता खत्म कर दिया है और जो भोग–विलास की जिंदगी जीना अधिक उपयोगी समझने लगे हैं। यही कारण है कि कस्बों से लेकर शहरों की मां–बहनें असुरक्षित हैं।

असुरक्षा के कारण ही बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी अनेक घटनाओं के जाल में फँसकर महिलाओं का जीवन नर्क बन चुका है। वास्तव में कहा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा, किसी भी पुरुष की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की नई रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों से सौ गुना अधिक उपयोगी है। इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए सरकार को प्रयासरत होना चाहिए। तभी अत्याचार जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है।

पूर्व वैदिक युग की भांति उत्तर वैदिक युग में भी स्त्री ब्रह्मचर्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। उसका उपनयन संस्कार भी होता था। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ही कन्या योग्य पति को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। अतः कन्याएं लड़कों के समान ब्रह्मचारी को धारण करके शिक्षा ग्रहण करें। विवाहित स्त्रियों को हम यज्ञों में भाग लेते हुए पाते हैं। वैदिक ज्ञान के अस्तित्व ललित कलाओं में भी पारंगत

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

होती थी, किंतु समय के प्रवाह के साथ हम स्त्री शिक्षा में कुछ गिरावट पाते हैं। कन्याओं को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गई तथा घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया जाने लगा। अभी केवल अपनी पिता भाई या चाचा आदि से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऐसी स्थिति में केवल कुलीन परिवार की कन्याए ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। परवर्ती काल में नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगने लगा था। यद्यपि बौद्ध परंपराओं सीमित होता है कि स्त्रियां शिक्षित और विद्वान हुआ करती थी। विद्या, धर्म और दर्शन के प्रति उनके अगाध रूचि होती थी। थेरीगाथा की कवियित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और 18 विवाहित भिक्षुणियां थी। भिक्षुणी खेमा उस युग की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री थी जिसकी विद्वता की ख्याति दूर–दूर तक फैली थी। इस युग में साधारणतः स्त्रियां ज्ञान पिपासु थी। ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करके भी अत्यंत मनोनिवेश पूर्वक ज्ञानार्जन करती थी।

जैन साहित्य से भी स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस युग में अनेक महिलाएं शिक्षिका बनकर अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। जो अपना शिक्षण कार्य उत्साह और लगन के साथ संपन्न करती थी। पुराणों से विदित होता है कि नारी शिक्षा के दो रूप थे–एक आध्यात्मिक तथा दूसरा व्यावहारिक। कन्याएं गृह कार्य की शिक्षा भी ग्रहण करती थी।

पूर्व मध्य युग तक आकर नारी शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हो चुका था किंतु अभिजात वर्ग में सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित स्त्रियों की कमी नही थी। साधारणतया स्त्रियों को न तो शिक्षा दी जाती थी न समाज मे उनका सम्मान था। कठोर पर्दाप्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक जीवन उचित नही था। पर्दाप्रथा के कारण केवल छोटी आयु की बालिकाएं ही मकतबों में जाकर बालको के साथ शिक्षा ग्रहण करती थी। उनमे उच्च शिक्षा की अनुमति नही थी परंतु मुस्लिमो की अपेक्षा हिन्दू अपने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे चुकि गाव में शिक्षा केंद्रों का अभाव था एवम नगरो में ही शिक्षा की व्यवस्था थी। अतः इनमे भी शिक्षा को ले पाना थोड़ा कठिन था। तुर्को ने अपनी पुत्रियों को खुद ही घोड़े की सवारी एवम युद्ध कौशल की शिक्षा दी। यद्यपि इस युग मे अनेक महिलाये विदुषी, कवियित्री तथा कुशल ग्रंथकार थी।

भारत मे आधुनिक शिक्षा का आरंभ यूरोपीय मिशनरियों के आगमन के साथ हुआ। सन 1765 में अंग्रेजो को अपनी कंपनी में दुभाषिये की आवश्यकता पड़ी । 1787 में श्रीमती कैम्पवैल ने स्वयं प्रयास कर महिला आश्रम का उद्घाटन किया तथा 1819

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का गठन हुआ।[5] लार्ड बेंटिक के समय बंगाल में यह अंधविश्वास था कि यदि लड़कियों को पढ़ने लिखने की सुविधा दी जाएगी तो वे विवाह के बाद विधवा जो जाएंगी। इस कारण उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी लडकियों को शिक्षा देना नही चाहता था सन 1854 में वुड के द्वरा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतिहास में पहली बार स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया सन 1875 ई. में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण ब्रिटिश निति में कुछ परिवर्तन आया तथा लार्ड कैनिंग ने घोषणा किया की सरकार लडकियों की शिक्षा में विशेष ध्यान देगी वैसे जैसे लडको की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हालांकि स्टेनली के आदेश पत्र के अनुसार बालिका शिक्षा केवल प्राइमरी तक ही रहा परन्तु इस दौरान समाज सेविका मिस कारपेंटर के भारत दौरे एवं उनके सुझावों से प्रेरित होकर 1870 में स्त्री प्रशिक्षण विद्यालय पूना में खोला गया।[6]

रिपन ने आते ही शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की इस आयोग ने 27 सिफारिशो में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया और कन्या पाठशालाओं का व्यय स्थानीय संस्थाओ की आय के श्रोतो से पूरा करने का भी सुझाव दिया फिर भी ये उनकी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नही क्र पाया और आने वाले 20 वर्षो में केवल प्राथमिक तक की शिक्षा ही अग्रणी रही तथा ये शिक्षा माध्यमिक स्तर तक नही पहुच पाई 1905–1921 ई. तक देश में रास्ट्रीय आन्दोलन की भावनाए बढती जा रही थी तथा रास्ट्रीय शिक्षा का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था।[7] 1913 में सरकारी आदेश द्वारा 16 वर्ष के कन्या के लिए पर्दा प्रथा, चिकित्सीय शिक्षा सुविधा को बढ़ावा, स्त्री शिक्षा व् प्रशिक्षण के विद्यालय की स्थापना का अनुमोदन प्रेषित हुआ। जिससे स्त्री शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई 1916 मे दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। यह भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज था तथा इसी वर्ष कर्वे ने महिला महाविद्यालय की स्थापना की 1921 तक भारत में लगभग 23000 शिक्षण संसथान खुले, जिनमे सर्वाधिक प्राथमिक पाठशालाए थी एवं तकरीबन 600 के आस पास माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हुई। कुछ महाविद्यालय एवं व्यावसायिक कॉलेज में लगभग 1400000 बालिकाए शिक्षा ग्रहण कर रही थी।[8] हाल के वर्षों में समाज में एक जागृति आई है। वैचारिक स्वतंत्रता ने सामाजिक पुरुषवादी सोच की जड़ता को झकझोर डाला है और लोग स्त्री शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की परिधि के भीतर ही होना चाहिए और स्त्री शिक्षा लाभ से अधिक हानि

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

देती है। फिर भी, इन नकारात्मक सोचों को दरकिनार कर स्त्री शिक्षा दर दिनोंदिन बढ़ रही है। सह शिक्षा के साथ–साथ देश भर में लड़कियों की शिक्षा के लिए सैकड़ों अलग विद्यालय और महाविद्यालय भी खुले हैं, जिनमें हजारों लड़कियाँ पढ़ती हैं।[9]

कहते हैं, एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि अगर एक स्त्री को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। स्त्री परिवार की धुरी होती है। वह माँ होती है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों में शिक्षा और संस्कार तो देती ही है, उनके स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखती है। शिक्षित स्त्री घर–परिवार का प्रबंधन अधिक कुशलतापूर्वक कर सकती है, आय–अर्जन तथा अन्य कामों के मामले में पति का हाथ बँटाती है, अपने अधिकारों और दायित्वों को बेहतर रूप से समझती है और समाज में फैली कई बुराइयों के विरोध में खड़ी हो सकती है।[10]

अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके लिए सहशिक्षा का वातावरण बेहतर है या अलग शिक्षा का। कई अभिभावक सहशिक्षा का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों से इतना घुलना–मिलना सही नहीं है। वह अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन अब वह समय नहीं, जब लड़कियों को घर के भीतर ही रहना होता था।[11] अब उन्हें किसी न किसी काम से बाहर तो निकलना पड़ता ही है। ऐसे में लड़कों से संपर्क तो कहीं भी हो सकता है। अगर बचपन से ही उन्हें लड़कों से दूर–दूर रखा जाए तो वह अव्यावहारिक तथा अतिसंवेदनशील होने के साथ ही साथ आत्मविश्वासहीन भी हो जाएँगी।[12] इसके अलावे, उन्हें लड़कों की प्रकृति की पहचान नहीं हो पाएगी, जो उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। सहशिक्षा उन्हें लड़कों के स्वभाव से परिचित कराती है, जो उनके आगे के जीवन के लिए जरूरी है। साथ ही, उनमें लड़कों से प्रतियोगिता तथा मित्रता की भावना भी जगाती है। अत्यधिक संकोच और हिचकिचाहट मिटाकर जीवन में खुलकर आगे बढ़ने का विश्वास देती है।[13]

लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी समग्र शिक्षा मिलनी चाहिए। वह शिक्षा जिसमें उनकी रुचि हो, जो उनके भविष्य के लिए नई राह खोलती हो, साथ ही, उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान देती हो। जो उसे मानवता की रक्षा करने का नैतिक साहस दे। अपनी भावना व्यक्त करने की भाषा सिखाए और अपने तथा अपने परिवार और समाज का कल्याण करने का विज्ञान भी।[14] इसके अलावा, जरूरी है कि उनकी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा और आत्मरक्षा के गुर भी शामिल होने चाहिए।समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना होता है। जब तक दोनों को समान शिक्षा तथा अवसर न

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

दिया गया, तब तक समाज में संतुलन नहीं कायम होगा और सही अर्थों में विकास नहीं हो सकेगा।[15] दोनों पक्षों की मजबूती ही समाज में वास्तविक मजबूती ला सकती है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नायक ,जे0 पी0 और नुरुल्ला ,एस0, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा का इतिहास (1800 से 1961 तक) ,मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड, 1943
2. गुप्ता, डॉ. मंजू ,भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास ,के. एस के. पब्लिशर्स : नई दिल्ली,2008
3. गुप्ता ,प्रो. एस. पी. एवं डॉ0 अलका गुप्ता ,भारतीय शिक्षा का इतिहास ,शारदा पुस्तक भवनः इलाहबाद, 2012
4. वालिया ,डॉ. जे. एस. ,भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास , अहम् पाल पब्लिकेशन : पंजाब, 2012–13
5. कपूर, डॉ. उर्मिला, भारतीय शिक्षा की समस्याएं, साहित्य प्रकाशन : आगरा,1996
6. गुप्ता, डॉ. मंजू, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, के. एस के. पब्लिशर्स : नई दिल्ली,2008
7. गुप्ता, प्रो. एस. पी., एवं डॉ अलका गुप्ता, भारतीय शिक्षा का इतिहास, शारदा पुस्तक भवनः इलाहबाद, 2012
8. गुप्ता, एस. पी. एवं अल्का गुप्ता, भारतीय शिक्षा का इतिहास : विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन : इलाहाबाद, 2009
9. चौबे, डॉ. सरयू प्रसाद, हमारी शिक्षा समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर : आगरा, 1983
10. चौबे, डॉ. सरयू प्रसाद, शिक्षा दर्शन, दि मैकमिलन कं. ऑफ इंडिया लि. : दिल्ली, 1975
11. जायसवाल, डॉ. सीताराम, बाल विकास और शिक्षण, नंद किशोर एंड संस : वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1953
12. जीत, योगेन्द्र, हिंदी भाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर : आगरा, 1964
13. जोशी, ओमप्रकाश, शिक्षा–तब से अब तक, कल्पना पब्लिकेशनः जयपुर, 2012
14. जैना, एस. एल. , गणित शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी : जयपुर, षष्टम संस्करण, 2009
15. जौहरी, बी. पी. एवं पी. डी. पाठक, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर : आगरा, चतुर्थ संस्करण, 1968

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

12

भारतीय राजनीति में महिलाएं

डॉ. अरुण श्रीवास्तव
प्राचार्य, श्री मुरलीधर भागवत लाल महाविद्यालय, मथौली, कुशीनगर

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में इसे सबसे स्थिर लोकतंत्रों में शुमार किया जाता है। लक्ष्मी चरण सेन और अन्य बनाम ए0के0 एम0 हसनुज्जमां और अन्य के मामलें में उच्चतम न्यायालय के कथनानुसार ''भारत तो लोकतंत्र का नखलिस्तान है, समसामयिक इतिहास की सच्चाई''[1], भारत को स्वतंत्र हुए छह दशक बीत चुके है और बीते हुए दशक अपने गति को कायम रखते हुए परिवर्तन के नवीन आयामों को लाते रहे है। इस अवधि में समाज में बहुत कुछ बदला है। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहां जो लोकतांत्रिक प्रणाली लाई गई वह वैश्विक व्यवस्क मताधिकार पर आधारित है। नागरिकों को मिले समान अधिकारों के साथ ही भारतीय महिलाओं को समान शैक्षिक अवसर, सम्पत्ति और विरासत में बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे सामाजिक स्तर पर स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया, लेकिन राजनीति मानचित्र फिर भी नही बदला। महिला सशक्तीकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर हयूमन राइट्स ने लिखा है कि ''यह औरतों की शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वह अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके। अर्थात यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे अपितु साथ ही साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता प्रदान करे। राजनीति के क्षेत्र में लम्बे समय से पुरूषों का वर्चस्व कायम रहा है। गाँधीजी ने कहा है कि–''स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरूषों ने इस सत्य को पूरी तरह से पहचाना नही है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरूषों ने अपने को उसका स्वामी माना है।[2]

महिलाओं की स्थिति की विवेचना करने के लिए श्रीमति इंदिरा गाँधी की सरकार ने 22 सितम्बर 1971 को एक समिति का गठन किया। 'टुवार्ड्स इक्वीलिटी' शीर्षक से 1974 में प्रकाशित इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि ''संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद राजनीति पर महिलाओं का असर

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

नाममात्र है।[3]'' इस संबंध में समिति ने सुझाव दिया था कि इसका उपाय यही है कि हर राजनैतिक दल महिला उम्मीदवारों का एक कोटा निर्धारित करे और जब तक उपाय के तौर पर समिति ने नगर परिषदों और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन के माध्यम से ऐसा किया भी गया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि की दिशा एक क्रान्तिकारी कदम था। आरक्षण का अभिप्राय समाज में शोषण व असमानता का शिकार रही जनसंख्या को संरक्षणात्मक अवसर देना है जिससे वे भविष्य में निर्णय प्रक्रिय का हिस्सा बनें और कालांतर में स्वयं को लोकतांत्रिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय हिस्सा मानें। अगर महिलाओं को संसद तथा विधानमंडलें में आरक्षण प्राप्त होगा तो एक तरफ महिलाएं चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा, जिससे महिला सशक्तिकरण की अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण कर सकेगी। यह आरक्षण उन्हें संकीर्ण व सीमित दायरे से बाहर लाने में मददगार सिद्ध होगा।

भारत में किसी राजनीति दल ने महिला आरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नही उठता है। सबसे मजबूत और विशाल लोकतंत्र का दावा करने वाला हमारे देश के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8.3 प्रतिशत है। ये ऑकड़े पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के नेतृत्व की अस्वीकार्यता की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करते है। जिसकी पुष्टि गाँधीजी के इन कथनों में है कि कानून की रचना ज्यादातर पुरूषों के द्वारा हुयी है और इस काम को करने में, जिसे करने का जिम्मा पुरूषों ने अपने ऊपर खुद ही उठा लिया है, उसने हमेशा न्याय और विवके का पालन नही किया है।[4] संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1999–2004 में 49 महिला सदस्य थी। 15वीं लोकसभा में उम्मीदवारों की कुल संख्या 2070 थी जिनमें 7514 पुरूष के मुकाबलें 556 महिलाएं थी।

महिलाओं की परिस्थिति पर कमेटी की रिपोर्ट 'समानता की ओर' में उल्लेख किया गया है कि भारतीय राजनीति परिदृश्य में किसी एक कारक और राजनीतिक व्यवहार के मध्य परस्पर सम्बन्ध था। सामान्यीकरण करने में बहुत कठिनाईया है विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक व्यवहार का आदर्श विभिन्न सम्बन्धों को दर्शाता है और उन पर प्रभाव डालता है क्योंकि वे सब राजनीतिक व्यवहार द्वारा अन्तर सम्बन्धित होते है जैसे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक मानक और विस्तृत

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

समाज में महिलाओं की भागीदारी की ओर सभी क्षेत्रों का दृष्टिकोण।[5] महिला नेतृत्व को तभी बल मिलता है जब उन्हें आरक्षण प्राप्त हो। महिला आरक्षण से सम्बन्धित विधेयक के विरोध में आम तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं के लिए दावपेचों का समझना मुश्किल है क्योंकि महिला का जीवन घर–परिवार के मध्य ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए राजनीति जैसे गुढ़ विषय को समझना एवं नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना महिलाओं की वश की बात नही है। राजनीति में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं में पहली है, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण और दूसरा है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति में न केवल राजनीतिक प्रक्रिया उलझ जाती है वरन् कई निर्णय पर्दे के पीछे से लिए जाते है। लेकिन भारतीय समाज में पुरूषों की तुलना में महिला उम्मीदवारों के समक्ष विश्वसनीयता की समस्या ज्यादा होती है। विश्वसनीयता की समस्या तीन तथ्यों के आस–पास घूमती है–योग्यता, दृढ़ता और चुनाव जीतने की क्षमता। हमारी चुनावी प्रणाली मुख्यतः तीन (M) मनी पावन (धनराशि), 'मसल पावर (बाहुबल) और मिनिस्ट्रियल पावर (मंत्री पद की ताकत अर्थात् सरकारी तंत्र का दुरूपयोग) से पीड़ित है। इसे तीन (C) कैश (पैसा), क्रिमिनल (अपराधी, बाहुबली) और करप्सन (भ्रष्टाचार) भी कहा जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता पर सख्ती और प्रभावी ढंग से अमल कराये जाने के कारण सरकारी तंत्र की दुरूपयोग पर अब काफी हद तक रोक लग गयी है क्योंकि निर्वाचन आयोग चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल अर्थात् सत्तारूढ़ गठबन्धनों द्वारा सरकारी शक्ति के दुरूपयोग पर कड़ी जनर रख रहा है। चुनावी अग्निपरीक्षाओं को पार कराने में महिला आरक्षण सहायक सिद्ध हो सकता है। स्वतंत्रता, विकास, खुलेपन एवं उदार दृष्टि का समुच्चय व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य को अपरिमित बना देता है। हमें यह नही भूलना चाहिए कि राष्ट्रवादी आन्दोलन के गाँधीवादी दौर में महिलाएं बड़ी संख्या में घर की चहारदीवारी से बाहर निकली थी और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अहम् एवं सक्रिय भागीदारी निभाई थी। गाँधीजी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ''समाज महिलाओं की समानता उनके सम्मान और अधिकारों को स्वीकारे और उन्हें पतियों और परिवार के साथ बराबर की भागीदारी माने।'' पुनः आगे गाँधीजी कहते है कि स्त्री–पुरूष की साथिन है, जिसकी बौद्धिक क्षमताएं पुरूष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी तरह कम नही हैं। पुरूषों की प्रवृत्तियों में उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग और उपांग में भाग लेने का उसे अधिकार है, और आजादी तथा स्वाधीनता का उसे उतना ही अधिकार है जितना पुरूषों को है।[6]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

भारत में सामाजिक विविधता का काफी महत्वपूर्ण स्थान है जिसके लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक प्रावधान किए गए है। समाज के हर तबके खासकर पीछे रह गये तबको को भी देश अपना महसूस करें और राजकाज से लेकर संसाधनों में उनका हिस्सा सुनिश्चित करें, इसके लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है कि क्या यह कानून विधायिका अर्थात् संसद और विधानमण्डलों की सामाजिक विविधता को नष्ट करेगा। गाँधी का कहना है कि मैंने जिस लोकतंत्र–अहिंसा द्वारा स्थापित लोकतंत्र की कल्पना की है, उसमें सबके लिए समान स्वतंत्रता होगी। हर एक अपना स्वामी होगा।[7]

भारत की सामाजिक विविधता जो आजादी के बाद प्रारम्भिक लोकसभाओं में जनर नही आयी थी और अगड़े जाति समूहों का वर्चस्व विधायिका पर था वहां से देश जब काफी आगे निकल चुका है। आजादी के बाद से ही संसद और विधान सभाओं में दलितों–आदिवासियों के लिए आरक्षण था। इस समय महिला आरक्षण का विरोध जिस आधार पर किया जा रहा है, उनका तर्क यही है कि यह दशकों के सामाजिक बदलाव और पिछड़ों को उभार को फिर से नकार देगा। महिला होना अपने आप में पिछड़ेपन का एक बिन्दु तो है, लेकिन जैसे कि सभी समुदायों के पुरूष बराबर नही होते, वैसे ही सभी समुदायों की महिलाएं भी बराबर नही होती। महिलाओं में भी मुस्लिम महिलाओं का पिछड़ापन ज्यादा है। भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन संगठन की संस्थापक नाईस हसन का मानना है कि महिलाओं के मुद्दे सभी वर्ग में एक से है चाहे वह मुस्लिम हो, हिन्दु हो या किसी और वर्ग की हो। मुस्लिम समुदाय में लीडरशिप की कमी है। इस समुदाय में केवल महिलाओं को मजहब के दायरे में ही बांधकर देखा जाता है। उन्हें घर के बाहर निकलने की इजाजत नही है। शिक्षा के नाम पर कुरान है और वह भी मौलानाओं द्वारा समझी गयी है। यही इस वर्ग की दुदर्शा का सबसे बड़ा कारण है। इनका मानना है कि अशिक्षा महिलाओं की प्रगति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा से तात्पर्य डिग्रियॉ हासिल करना नही है शिक्षा का अर्थ है–जानकारी। अपने आस–पास के वातावरण की जानकारी और खुद को समझने की क्षमता ही जुर्म के खिलाफ लड़ने का हथियार बनती है। यही जानकारी उसे अपनी पहचान दिलाने में भी सहायक होती है।[8] गाँधीजी ने कहा है कि स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नही कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नही लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो।[9]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

महिला कोटे के अन्दर कोटे का वही आधार है, जो वर्तमान आरक्षण है। यानि जो कमजोर है उसे विशेष अवसर मिले, ताकि वह भी लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी निभाए साथ ही महिला आरक्षण के अन्दर अगर क्रिमिलेयर भी लागू हो, तभी आरक्षण का फायदा उन्हें मिलेगा, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। महिला आरक्षण का विधेयक लम्बे समय से लम्बित था। इस पर काफी बहस न किया गया। अगस्त 2009 के प्रारम्भिक दिनों में भी बहस न किया गया जब अनुसूचिज जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण सम्बन्धी 109वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संविधान लागू होने के 60 वर्षो की अवधि के पश्चात 25 जनवरी 2010 को उपर्युक्त आरक्षण प्रणाली को समाप्त होना था। साथ ही इस विधेयक के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए भी आरक्षण अगले दस सालों के लिए बढ़ा दिये जाने का प्रावधान था। इसे भी समाप्त किए जाने का प्रावधान उचित था। लेकिन ऐसा नही किया गया और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा वर्तमान आरक्षण प्रणाली को 10 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया यानि 25 जनवरी 2010 तक वर्तमान आरक्षण प्रणाली काम करेगी। महिला आरक्षण का विरोध करने वाले कोटे में कोटा की बात कर रहे है पर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, रामबिलास पासवान और शरद पवार को 3 और 4 अगस्त को यह बात क्यों न याद आयी कि आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान महिला आरक्षण में किया जाए और वर्तमान आरक्षण प्रणाली को समाप्त किया जाये।

मेरे ख्याल से किसी भी राजनीतिक दल या नेता में इतना दम नही है कि इसका विरोध विधायिका में करते। इसका कारण मूल रूप से दो है–पहला 'पुरूष सर्वस्व की मानसिकता और दूसरा–'वोट बैंक की राजनीति। हम लोगों का मानना है कि संविधान में अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, 334, 335 के वर्तमान आरक्षण को समाप्त कर महिला आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। भारतीय समाज में अभी तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में हिचक होती है। यह बात अलग है कि महिलाऐं अपने कौशल के कारण आज चॉद तक चली गयी व सभी महत्वपूर्ण ओहदों पर आसीन हो चुकी है। गाँधीजी का मानना है कि–जिस रूढ़ि और कानून को बनाने में महिलाओं का कोई हाथ नही था और जिसके लिए सिर्फ पुरूष ही जिम्मेदार है, उस कानून और रूढ़ित्र के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है। अहिंसा की नीवं पर रचे गये जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपने

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

भविष्य की रचना का है उतना और वैसा अधिकार महिलाओं को भी अपना भविष्य तय करने का है।''[10]

कितनी दुःखभरी बात है कि इतिहास में पहली बार राज्य सभा के सभापति का माइक छीना गया और उनकी टेबल से पेन और कागजात फेंक दिये गये। विधेयक की प्रतिमा तक फाड़ी गयी हंगामा देख सदन में मार्शल तक को बुलाना पड़ा। लोकसभा में भी लोकसभाध्यक्ष के आसन तक चढ़ने की कोशिश की गयी। कुछ दलों के नेताओं के मन मरने और मारने पर थे। इस दौरान लोकसभा को चार बार स्थगित किया गया जबकि राज्यसभा में छः बार स्थगित करना पड़ा। इतना जबरदस्त हंगामा शायद ही किसी विधेयक को झेलना पड़ा हो। गाँधी जी ने माना है कि अनुशासनबद्ध जागृत लोकतंत्र संसार के सुन्दर से सुन्दर वस्तु है। पूर्वग्रहों से जकड़ा हुआ, अज्ञान में फसा हुआ तथा अंध विश्वासों का शिकार बना हुआ लोकतंत्र अराजकता और अंधाधुंधों के दलदल में फस जायेगा और खुद ही अपना नाश कर लेगा।[11] राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामलें में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। यह जानकारी 100वें अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ;न्छक्च्द्ध की पेश हुयी एक अहम रिपोर्ट में दी गयी। यह रिपोर्ट एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर केन्द्रित है।[12]

यू0एन0डी0पी0 के स्थानीय प्रतिनिधि पेट्रिस कोउर बिजॉट ने कहा कि भारत में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिलता है और उन्हें संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन इसके साथ वह हिंसा और उपेक्षा के शिकार भी है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए हमें उन्हें अधिक राजनीति प्रतिनिधित्व देना होगा।[13] भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का कथन उपयुक्त है कि.....हम वक्त के ऐसे मोड़ पर खड़े है जहां महिलाओं के सशक्तिकरण को हमारे विकास के एजेण्डों तथा नीति के एक अहम अंग के रूप में प्राथमिकता देने की जरूरत है। महिलाओं की रक्षा और कल्याण के लिए तमाम कानून है लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए अक्षरशः लागू करना जरूरी है। इसके लिए समाज को मानसिकता बदलनी होगी। महिलाओं के हितों की रक्षा व उनका सशक्तिकरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।[14]

पंचायती राज संस्था, जो जमीनी लोकतांत्रिक ढ़ॉचे का निर्माण करती है, में महिलाओं की भागीदारी में ग्रामीण संरचना को सकारात्मक की दिशा में बढ़ाया है। महिलाओं को पंचायत के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता एक ओर सामाजिक, राजनीतिक न्याय तथा समानता के मध्य सम्बन्धों को

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

अभिव्यक्त करती है तथा दूसरी ओर लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करती है साथ ही महिलाएं वित्तीय संसाधनों उचित प्रयोग करती है। अपने इस क्षमता का उपयोग उन्होंने गॉवों के वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करने में किया है। जहॉ महिलाएं पंच व सरपंच है जिन्होंने पानी, सड़क व शिक्षा के लिए प्रस्तावित बजट से कम में ही कार्य को पूर्ण कर दिखाया है। ऐसा भी नही है कि यह सारे कार्य उन्होंने सहजता से कर दिखया हैं इनके मार्ग में भी अनेक बाधांऍ आयी और आ रही है। परन्तु अनुभव और आत्मविश्वास उन बाधाओं को पार करने के रास्ते खोज लेता है।

पुरूष–सत्तात्मक समाज में महिला के नेतृत्व को स्वीकार कर पाना आसान नही है और यही कारण रहा कि ऐन–केन प्रकरेण महिला सरपंचों को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाने के प्रयास भी किये गये। इस समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2008 के मध्य में केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महिला सरपंचों को डेढ़ साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से न हटाया जाए। सरकार द्वारा उठाया गया कदम न केवल महिला नेतृत्व की स्वीकारोक्ति का प्रमाण है अपितु विश्वास का प्रतीक भी है जो कि महिला नेताओं पर किया गया है। पर दुःख की बात यह है कि इस विश्वास का अभाव राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक मंच पर है। गाँधीजी के शब्दों में जो राष्ट्र अमर्यादित त्याग और बलिदान करने की क्षमता रखता है, वही अमर्यादित ऊचाई तक उठने की क्षमता रखता है। बलिदान जितना अधिक शुद्ध होगा, प्रगति उतनी ही तेज होगी।[16]

परिवर्तन के वाहक के तौर राजनीतिक दलों को लैगिंक विषयों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यहॉ तक कि जब महिलाओं को मताधिकार मिला था, तब भी राजनीतिक दलों के भीतर उनकी स्थिति ने मात्र आंशिक सुधार ही आया था। विश्व के लगभग सभी भागों में महिलाओं बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व सिर्फ उन्हें सामान्य नागरिक के तौर पर स्वीकार करने के लिए नही, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्री परक दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया।

राजनीतिक नेतृत्व महिला के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है इसलिए आवश्यकता है कि राजनीतिक दल और उनसे सम्बद्ध संगठन अपनी पुनर्रचना करें जहॉ महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता और जबावदेही हो। हमें इस सत्य को स्वीकार करना हागा कि विधायिका में महिलाओं की संख्या न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगी बल्कि, लैंगिक समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध समाज का निर्माण ही करेगी।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

संदर्भ सूची

1. A.I.R 1985, S.C 1233
2. मेरे सपनों का भारत, पृ0 236, नवजीवन, 1960
3. 'टुवार्ड्स इक्वीलिटी' 1974.
4. स्पीसेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी, पृ0 424
5. Towards equality report 1974 p.287-89
6. स्पीसेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी, पृ0 425
7. Gandhiji's Corespondence with the Government-1942-44, Page-173
8. राष्ट्रीय सहारा, 09.03.2010
9. यंग इण्डिया–17.10.1929
10. मेरे सपनों का भारत, पृ0 236, नवजीवन, 1960
11. यंग इण्डिया–30.07.1931
12. Power Voice and Right's Report, July 2009 (UNDP)
13. राष्ट्रीय सहारा, 09.03.2010
14. मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार, 08 मार्च, 2010
15. हरिजन, 16.03.1947
16. यंग इण्डिया–20.08.1920

*****

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

13

प्रभा खेतान की कविताओं में विविध सामाजिक विमर्श

सोनम सिंह
शोध अध्येता, हिंदी विभाग
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,मधेपुरा, बिहार

साहित्यकार के साहित्यिक व्यक्तित्व निर्माण में समाज की महती भूमिका है, उसी प्रकार साहित्यकार भी अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्तम समाज निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। समाज और परिवेश दोनों से रचनाकार गहरे प्रभावित होता है और प्रभावित करता भी है। संवेदनशील रचनाकार अपनी कृतियों के माध्यम से अपने समय की युगीन मानस की अविकल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की चेष्टा भी करता है क्योंकि कोई भी रचना अपने युग के लिए तो महत्वपूर्ण होती ही है कई अंशों में परवर्ती युग के लिए भी आवश्यक एवं प्रासंगिक होती है। यही नहीं कभी–कभी तो रचना के सम्यक अध्ययन के लिए सामाजिक परिस्थितियों का सम्यक ज्ञान आवश्यक हो जाता है क्योंकि सर्जक प्रायः समकालीन सामाजिक परिस्थितियों से ही गहन प्रभावित होकर रचना कर्म करता है।

प्रभा खेतान (1 नवंबर 1942–20 सितंबर 2008) की कविताएं भिन्न–भिन्न मनोभाव से लबरेज होकर सामाजिकता का गहन चित्रण करती प्रतीत होती हैं। उनकी 1981 से 1988 तक प्रायः हर वर्ष प्रकाशित हो रही काव्य कृतियों– अपरिचित उजाले(1981), सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं (1982), एक और आकाश की खोज में (1985), कृष्णधर्मा मैं (1986), हुस्नबानो और अन्य कविताएं (1987), और अहल्या (1988) के साथ उनकी आत्मगत एवं सामाजिक चेतना, समसामयिक समस्याओं के प्रति सूक्ष्म दृष्टि हर नई कविता के साथ प्रखर और भावाभिव्यक्ति उत्कृष्ट होती गयी।

प्रभा की कविताओं में सामाजिक–पारिवारिक चेतना और जीवन बोध के विविध आयाम दिखाई पड़ते हैं। भारतीय समाज के अंतर्गत इन्होंने उच्च, मध्य और निम्न तीनों वर्गों एवं उनमें अंतर्निहित भावना, संवेदना, नैतिकता, जीवन मूल्य और सांस्कृतिक बोध को अपनी कविताओं का विषय बनाया है। अपने प्रथम संग्रह से ही प्रभा समाज के गरीब और शोषित तबके– पान वाले, फुटपाथ पर मूंगफली बेचने वाले, दलित, शोषित मजदूरों, कामगारों या दिन–भर चूल्हे– चौके में उलझी, पिसती फिर भी शोषित होती

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

स्त्री के प्रति संवेदना ही नहीं रखती, बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित भी कराती हैं। चाहे वह महानगरीय जीवन एवं मूल्यों में आए बदलाव के परिणाम स्वरूप पारिवारिक संबंधों की जटिलता, उलझन एवं विघटन हो अथवा मां– बेटी के रिश्तों में आए बदलावय अकेलापन हो या स्वावलंबन की समस्याय बेरोजगारी, भूख और रोटी की समस्या हो अथवा आश्रयहीनता एवं एक अदद मकान की लालसा– महानगरीय सामाजिक जीवन की विषमताओं के अनेक बिंब अपनी कविताओं के माध्यम से प्रभा ने उकेरे हैं ।

समाज में व्याप्त वर्ग विषमता एवं समाज, परिवार में हो रहे नीतिगत व मूल्यगत परिवर्तनों, परंपरागत व आधुनिक दृष्टि भिन्नता आदि भिन्न–भिन्न सामाजिक विडंबनाओं और समसामयिक मुद्दों को प्रभा द्वारा अपनी कविताओं का विषय बनाया गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति व तकनीक ने मानव जीवन को तमाम सुख–सुविधाओं और उपभोग की चीजों से भर दिया है। सबके अपने–अपने ख्वाब हैं और उसे पूरा करने के लिए अपने– अपने तरीके भी। किंतु इस प्रवृत्ति ने मानसिक सुख–शांति तो छीना ही, संबंधों में जटिलता और दूरियां भी बढ़ाई। 'सुनो' नामक कविता संबंधों की इसी जटिलता को बयां करता है जिसमें एक आम रोमांटिक भावुक पत्नी पति से चांदनी रात में विचरने और चांद का दीदार करने का आनंद एक दूसरे से बांटने के बहाने प्रियतम के कुछ पल के साथ का आग्रह करती है, इस वचन के साथ कि इससे उसके व्यस्त दिनचर्या में कोई रुकावट नहीं होगी और वह नियत समय पर लौट कर वापस ही नहीं आ जाएगी, उसे ससमय सुबह ऑफिस पहुंचाने और अन्य जरूरतों का भी ध्यान रखेगी किन्तु आधुनिक आम मानव का प्रतिनिधित्व करता, दिन भर के काम से थके पति के इंकार करने पर उसकी असमर्थता समझते हुए मासूम प्रश्न करती है–'अच्छा ठीक है आज नहीं/लेकिन क्या कल हम चांद को देखेंगे/या कभी नहीं/क्या तुम्हारे ऑफिस की दुनिया में/चांद नहीं उगा करता।'[1]

प्रियतम का साथ पाने की निरंतर चलती यह प्रतीक्षा व्यक्ति के अंदर कितनी आकुलता भर देती है इसका चित्र उनकी 'प्रतीक्षा कितनी बेमानी है' कविता में देखने को मिलती है– 'आखिर कब तक लटकी रहूं/सारी सारी रात/सूखते कपड़ों–सी बरामदे में/प्रतीक्षा करूं तुम्हारे आने की/एक क्षण से दूसरे क्षण तक।'[2] संबंधों की जटिलता, शहरी भागमभाग, रात दिन की समस्याओं और तनावों से जूझता व्यक्ति परिवार के साथ या खुद के साथ भी व्यतीत करने को फुर्सत के दो क्षण तक नहीं निकाल पाता। परिणाम रिश्तों के बिखराव एवं व्यक्ति की मानसिक कुंठा के रूप में

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

सामने आता है। आज के समाज की विडंबना पूर्ण सच्चाई ही है कि भरा–पूरा परिवार होने के बाद भी बच्चे प्रेम और अपनत्व के लिए तरस जाते हैं। मां–बाप अपने–अपने कार्यों में व्यस्त हैं और बच्चों के हिस्से आता है–आया की देखभाल और बेहद एकाकी एवं उपेक्षित बचपन।वहीं एक समय ऐसा भी आता है जब उनके जीवन में मां या परिवार की जगह अन्य चीजों से भरने लगती है और उनके सतरंगी सपने उन्हें उनसे क्रमशः दूर ले जाते हैं– 'मेरे सपनों में/अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं/मेरे सामने/एक दुनिया खुलती है।'[3]

यह दुनिया कभी उसे स्वप्न लोक का सैर कराती है, तो कभी राह भी भटकाती है। कभी यह ऊबाऊ, एकरसता युक्त जीवन के दर्शन कराती है, जहां खुशी या आनंद के स्थान पर बोझिल जीवन की त्रासदी ही अधिक है, मन–पंक्षी उन बोझिल परिस्थितियों से उड़ना चाहता है, किंतु जिम्मेदारियाँ ऊबाऊ जीवन जीने को बाध्य करती हैं। उम्र यूं ही एकरस गुजरती है– 'मैं मुंह घुमाकर/फाइलों में डूब जाती हूँ /मुझे करने हैं बहुत–से काम/लेकिन चिड़ियाँ चुप नहीं होतीं/तेज धूप में उसकी आंखें कातर हैं/सूरज आधा रास्ता तय कर चुका है/चिड़ियाँ चुप नहीं होतीं।'[4] तो कभी वह भौतिकवादी मूल्यों के चकाचौंध से लबरेज जीवन को भोगने का लती भी बना देती है– ष्मैं सोचने लगती हूँ/इस जादुई लम्हे का/शराब की पहली घूँट से/जरूर कोई संबंध है।/और घबराकर गिलास होठों से लगा लेती हूँ।'[5]

भौतिक सुख–सुविधाओं से संपन्न महानगरीय समाज में यदि किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वह है प्रेम और अपनत्व। प्रभा के कविताओं की नायिकाएं अजनबीपन, अकेलेपन का दंश झेलती उदास और खिन्न हैं। 'कैसा अजीब यह अकेलापन' शीर्षक कविता में कवयित्री इस दर्द को व्यक्त करती है– 'कैसा अजीब यह अकेलापन/जो लोगों की भीड़ में/हाथ बांधे खड़ा रहता/एक विनयी मेजबान सा/सिसक उठता/कहकहों के बीच/टपक पड़ता/बासी रजनीगंधा की तरह/अचानक बेलौस/किताबों और कापियों से भरी हुई मेज पर/कभी–कभी बज उठता/रॉन्ग नंबर बन/मुझे इस अकेलेपन पर/चिढ़ नहीं/शर्म आती है।'[6]

इस अजनबीयत से जूझती स्त्री को यदि कहीं प्रेम, स्नेह और अपनत्व मिलता भी है, तो समाज उसे रिश्तों के चौखटे में बांधना चाहता है, किंतु इस बंधन से मुक्त संबंध समाज के नजरों में 'अवैध' हैं। इसके दोषी स्त्री–पुरुष दोनों होते हैं, किंतु घृणा, अपमान, वंचना, लांछन, पीड़ा या सामाजिक व मानसिक शोषण, उद्विग्नता की शिकार महिलाएं ही होती हैं। प्रभा ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज द्वारा किये जा रहे

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर प्रश्नचिह्न उठाया है। समाज की दृष्टि में विवाहेतर संबंध पाप हैं और ऐसे संबंधों को जीने वाले चरित्रहीन। स्त्रियोंके लिए तो यह और भी बड़ा व अक्षम्य अपराध है। कुलटा, कलंकिनी, चरित्रहीन आदि अनेकानेक तानों एवं व्यंग्य–बाणों से उसे निरंतर छलनी किया जाता है। किंतु प्रभा के स्त्री पात्र इन परिस्थितियों से डरकर छुपते नहीं, डटकर मुकाबला करते हैं– 'मैंने तुम्हें प्यार किया है/साहस और निडरता से/मैं उन सबके सामने खड़ी हूँ /जिनकी आँखें/हमारे संबंधों पर प्रश्नवाचक/मक्खियों की तरह मँडराती हैं/मैं उन सभी लोगों की घृणा से टकरायी हूँ /जो अपनी व्यवस्था में/अत्यंत निर्मम थे/जो परम शक्तिशाली थे/जिनके पास/संबंधों के नाम पर सिर्फ चौखटे थे।'[7]

समाज, परिवार में दोयम जीवन बसर करती नारी की समस्याओं व चुनौतियों का जीवंत दस्तावेज है प्रभा का साहित्य। उनके प्रायः हर संग्रह में स्त्री विषयक मुद्दों और समस्याओं का बेबाक चित्रण हुआ है। 'अपरिचित उजाले' से लेकर प्रतिनिधि रचना 'अहल्या' तक की स्त्री संघर्ष, शोषण, मुक्ति, स्वावलंबन, स्व–अस्तित्वहीनता आदि अनेक समस्याओं से जूझती दिखाई देती है। आदि काल से ही पितृसत्तात्मक मानसिकता स्त्री को घर की चारदीवारी में कैद कर गुलाम की–सी भूमिका में रखती आई है, जहां उस पर हजार–हजार पाबंदियां लगाई गई हैं। स्त्री ने भी अपने स्व की हत्या कर अपनी पहचान अपने प्रिय पुरुषों–पिता, पति, पुत्र या भाई से मान चूल्हा–चौका, बर्तन और घर की चारदीवारी को ही अपनी नियति मान लिया। शताब्दियों से चूल्हे पर चढ़े पतीले की चावल–सी धीरे–धीरे सीझती नारी की दुनिया घर–परिवार और पति तक ही सीमित भी रह जाती है,किंतु जब उसके सामने उसकी पहचान का प्रश्न खड़ा हो जाता है तब वह सोचने को बाध्य हो जाती है–'वह बनना चाहती है/अच्छी प्रेमिका/वह बनना चाहती/आज्ञाकारिणी पत्नी/वह बनना चाहती/हमेशा प्यार करती मां/वह बनी रहना चाहती/पापा की सबसे प्यारी बिटिया/लेकिन राह चलते/अचानक कोई पूछता, तुम कौन/अपने बारे में उत्तर देती हुई सोचती/मैं कौन'[8]

इससे विचित्र विडंबना और क्या हो सकती है कि नई नवेली दुल्हन अपना घर छोड़कर सर्वथा अजनबी नये परिवार में आती है और वहां के सदस्यों, रीति–रिवाज, तौर–तरीकों और परंपराओं को अपनाने में खुद के व्यक्तित्व तक को स्वाहा कर देती है किंतु उसके इस अवदान को स्वीकारने, सराहने की बात तो दूर रही, कहीं–कहीं तो उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि इस प्रताड़ना से मुक्ति उसे मृत्यु के बाद ही मिलती है, कभी आत्महत्या द्वारा तो कभी उसकी हत्या द्वारा। प्रभा लिखती हैं–'बगल

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

के फ्लैट वाली दुल्हन/मर गई छिड़ककर अपने ही ऊपर/किरासन तेल/लोग कहते सास ने जला दिया/लोग कहते/कि निकम्मा था उसका मरद।'[9]

प्रायः सभी समाजों का कटु यथार्थ है, उसमें व्याप्त वर्ग वैषम्य। पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग में बंटे समाज में जहां पूंजीपति अपनी संपत्ति निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं सर्वहारा वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी कठिन से कठिनतम संघर्ष करता दिखाई पड़ता है। प्रभा एक सफल व्यवसायी होने के बाद भी सर्वहारा वर्ग के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। इनकी कविताओं का पात्र कभी पान वाला बनता है तो कभी फुटपाथ पर मूंगफली बेचने वाला, दमित, शोषित मजदूर अमीतुल्ला कविता का विषय बनता है तो कभी घरेलू श्रम–शोषण की शिकार आम स्त्री। कृषक, भिखारन, नौकरानी या समाज के दबे–कुचले शोषित पात्र–सभी संवेदना के स्तर पर इनसे गहरे जुड़े दिखाई पड़ते हैं। उच्च वर्गीय समाज के भोग विलास और वैभव का चित्रण करते हुए सर्वहारा वर्ग के प्रति इनकी दृष्टि–भिन्नता के अनेक चित्र उनकी कविताओं में बिखरे पड़े हैं। 'बड़ी अच्छी मेमसाब' नामक कविता में आर्थिक रूप से संपन्न मालकिन निम्न वर्गीय रत्ना का छोटी से छोटी गलती पर भी लगातार शोषण करती रहती है।अपनी दयनीय स्थिति को विचारती रत्ना प्रश्न करती है–'ऐसा क्यों होता है मीरा दी/ऐसा क्यों/मालकिन का बाघिन गुस्सा/मुझे क्यों बना जाता है बकरी/'[10]

इस वर्ग वैषम्य को इंगित करती प्रभा की ये पंक्तियां समाज की गहरी विडंबना को ही उजागर करती हैं, जहां गरीबों के श्रम की कीमत मात्र दो कौड़ी और उसी श्रम में अपनी पूंजी लगा देने पर उद्योगपति या व्यवसायी अरबों का मालिक बन जाता है–'कीमत तो सभी की/आंक ली जाती है/चाहे वह बाटे का जूता हो/या फिर पिकासो की पेंटिंग/उद्योगपति अरबों का मालिक है/और सड़क किनारे पत्थर तोड़ने वाला/दो पैसों का!'(मंथन कविता में,(सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं), पृष्ठ 25.)

एक सफल व्यवसायी होते हुए भी प्रभा समाज के वंचित व दलित वर्ग के प्रति बेहद संवेदनात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण रखती हैं। अभाव से निरंतर जूझता यह वर्ग अपने अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक नहीं कर पाता, भूख, रोटी व आवास पूर्ति की चिंता में घुलता हुआ। कवयित्री के पांचवें संग्रह की प्रतिनिधि कविता 'हुस्नबानो' का तो प्रारंभ ही गरीबी और पेट की भूख से शुरू होती है। पेट की आग में जलते आदमी की एक ही मुख्य चिंता है–रोटी,एक ही मुख्य धर्म है–अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाना 'रोटी'–'हर आदमी का चेहरा/तवे पर सिंकती हुई रोटी/हर

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

आदमी की पलकों पर/चिपकी हुई रोटी।[11.क]..'सबकुछ समाया है/रोटियों में/आँच भी/हृदय का नेह भी/आत्मा का रस भी।'[11.ख]

गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, अत्यधिक शहरी जनसंख्या, मूलभूत सुविधाओं का अभाव आदि अनेक कारणों ने शहरों में आवास की समस्या को विकट स्थिति तक पहुँचा दिया है। इस समस्या का अत्यंत प्रभावी और मर्मस्पर्शी वर्णन कवयित्री ने 'हुस्नबानो' नामक प्रदीर्घ कविता में किया है। इसकी नायिका नन्ही–सी मासूम हुस्नबानो कोलकत्ता के टूटे बिखरे मकान में रहती, आंखों में एक नये सुंदर मकान का सपना पालती है–'अपना घर/थकता हुआ आदमी/बैठना चाहेगा कहीं/दुखती हुई पीठ/टेक चाहेगी कहीं।'[11.ग]

कैसी विचित्र विडंबना है, दूसरों के लिए महल अट्टालिकाएं तराशने वाला बेचारा मजदूर पिता अपने परिवार के लिए एक छोटा–सा घर भी नहीं बना पाता।पिता की बेबसी से अन्जान मासूम पुत्री पिता द्वारा लाए जाने वाले तोहफों के बदले उससे एक छोटे से घर की आकांक्षा करती है–'अब्बा/अबकी तुम/वीडियो मत लाना/अम्मी की साड़ियां मत लाना/बस अब्बा अबकी तुम/बदल देना अपने बक्से को/एक छोटे से घर में!'[12]

किंतु न तो उसका यह सपना पूरा होता है, न ही उसकी इच्छा और जिज्ञासा खत्म होती है। इसी प्रकार प्रभा ने समाज के अमीर–गरीब, मालिक–मजदूर एवं संघर्षशील आम मानव के जीवनानुभवों व संघर्षों को स्वर देती अनेक कविताएं लिखी हैं। जेनी, रत्ना, मिसेज गुप्ता, हुस्ना, उसके बाबा, अमीतुल्ला, गृहिणी, नीली, भिखारन, विज्ञापनी नारी, छात्र, मजदूर, कृष्णधर्मा आदि अनेकानेक पात्र अपने–अपने वर्गों, कार्यों और समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं यह संघर्ष खुद से है, कहीं समाज से, कहीं सदियों से चली आ रही जड़ मानसिकता, पाखंड और अंधविश्वासों से तो कहीं भ्रष्ट शासन और व्यवस्था से। और आम मानव जीवन पर्यंत संघर्ष करता ही रहता है, फिर भी वह अपनी चाहत पूरा नहीं कर पाता, न ही समाज निर्माण में अपनी कोई विशिष्ट भूमिका ही स्थापित कर पाता है। इस दर्द को 'अमीतुल्ला तुम!' कविता में गरीब मजदूर अमीतुल्ला के माध्यम से दर्शाती कवयित्री समाज में उसकी विशिष्ट भूमिका को भी इंगित करती है–'यह ठीक है कि/न कहीं/तुम्हारे नाम के/पत्थर खुदे/न कोई शहर बना/न तुम्हें कोई विरासत मिली/जबकि/दुनिया की तमाम चीजों में/तुम रूप–रंग और गंध बन/घुले हुए हो।'[13]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

प्रभा अपनी कविताओं के द्वारा सिर्फ सामाजिक विडंबनाओं को ही प्रकाश में नहीं लाती, इनसे मुक्ति व बेहतर समाज निर्माण का रास्ता भी सुझाती हैं। वे मानती हैं कि अपने जीवन के कठिन से कठिनतम परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा। संघर्ष यदि उसका है तो उससे मुक्ति का रास्ता भी उसे स्वयं तलाशना होगा। सतत् कर्म के द्वारा यदि वह ठान ले तो अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए उसे राम एवं कृष्ण (कृष्णधर्मा मैं, अहल्या) सरीखे किसी विशिष्ट के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं–'अपनी पहचान/मैं स्वयं हूं/अपना आंतर/ अपने एकल को पहचानती हूं मैं/चीरती हुई विशिष्टताओं का घटाटोप!'[14]

सतत् कर्म, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती ये पंक्तियां उन सबके लिए भी प्रेरक हैं जो छोटे–छोटे चुनौतियों के आगे घुटने टेक देते हैं और कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कभी सिफारिश,कभी रिश्वतखोरी या अन्य मददगारों का सहारा ढूंढते हैं।

आज के भौतिकवादी समाज में मनुष्य यंत्रचालित मशीन–सा निरंतर कार्य में जुटा रहता है।आराम तो दूर की बात मन का चौन और रातों की नींद तक हराम हो जाती है। नतीजा, ढेर सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ, रोग और व्याधियों से घिरा मनुष्य। महानगरीय जीवन में ऐश्वर्य एवं वैभव के पीछे भागता मनुष्य जीवन की सुख–शांति और रंगीनियों को छोड़ नीरस और उबाऊ जीवन जीने को बाध्य है। वहीं इस समाज में ऐसे वर्ग की भी प्रधानता है जो प्रेम के स्थान पर सिर्फ भोग को महत्व देता है। ऐसे लोग प्रेम को भोग के कसौटी पर कसते हैं एवं संबंधों को वस्त्र सरीखे बदलते हैं। आधुनिक उपभोक्तावादी समाज में अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थ केंद्रित इस दृष्टि ने सामाजिक–पारिवारिक संबंधों में भावना के स्थान पर एक प्रकार की जड़ता व्याप्त कर दी है––'परिवार तथा समाज/सब एकदम जड़/रुक हुए / संपत्ति केंद्रित।'[15]

'कृष्णधर्मा मैं' में महाभारत की कथा प्रसंगों को वर्तमान सामाजिक जीवन से जोड़ती हुई कवयित्री मानती है कि महाभारत कभी खत्म नहीं होता। चाहे वह कौरव हों या आज का मनुष्य, व्यवसायी वर्ग हो, राजनेता या आम जनता– एक दूसरे की तरक्की देख ईर्ष्या–द्वेष और शत्रुता भावना से सभी युक्त हैं और उन्हें नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र, हत्या, घात–प्रतिघात अर्थात् मानव मूल्यों का निरंतर क्षरण करते रहते हैं–'जागता है/यंत्रणाओं का एक पूरा नर्क/कहीं दुःशासन, कहीं दुर्योधन/कहीं अंधा धृतराष्ट्र/आदमीयत के खिलाफ खड़े/हत्यारों की एक पूरी जमात।'[16]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

कहना न होगा कि स्त्रीत्ववादी विमर्श की घोषित रचनाकार प्रभा विमर्श को व्यापक परिदृश्य में देखती हैं। सामाजिक व्यवस्था द्वारा शोषित वर्गों– स्त्री, दलित एवं वंचितों की समस्याओं को अपने लेखनी का विषय बनाती हैं किंतु उनके विमर्श के दलितेत्तर एवं स्त्रीयेत्तर आयाम हैं। इनकी कविताओं के प्रधान पात्र ऐसे हैं जो जिजीविषा, संघर्षशीलता और स्वाधीनता के प्रतिरूप हैं। भौतिक मूल्य पारिवारिक जीवन के बिखराव एवं टकराव के मूल में हैं, इसलिए मानवीय मूल्यों के महत्व को उजागर करती हैं। सांस्कृतिक बोध मानवीय मूल्यों का वाहक होता है। अतः इनका सामाजिक जीवन में महत्व है। प्रभा अपनी कविताओं के माध्यम से इस महत्व को रेखांकित करती हैं। वे सामाजिक चौखटों के आधार पर निर्मित संबंध, रक्त संबंध या मानसिक संबंध की अपेक्षा संवेदनात्मक संबंध को महत्व देती हैं।प्रभा की यही विशिष्टता उनकी कविताओं को अधिक पठनीय एवं अन्यों से भिन्न बनाती है।।

संदर्भ

1. एक और आकाश की खोज में,पृष्ठ–9
2. अपरिचित उजाले, पृ.–21
3. सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, पृ 51
4. अपरिचित उजाले, पृष्ठ.29
5. सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, पृष्ठ–78
6. अपरिचित उजाले, पृष्ठ 66
7. वही, पृष्ठ 10
8. हुस्नबानो और अन्य कविताएं, पृष्ठ 26
9. वही, पृष्ठ 19
10. हुस्न बानो और अन्य कविताएं. पृष्ठ 67
11. क– हुस्न बानो और अन्य कविताएं,पृष्ठ 12,
11. ख– वही, पृष्ठ 36.
11. ग– वही, पृष्ठ 17
12. वही, पृष्ठ 14
13. सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, पृष्ठ–25
14. कृष्णधर्मा मैं, पृष्ठ 20
15. सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, पृष्ठ –24
16. कृष्णधर्मा मैं पृष्ठ 40

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

14

मध्यकालीन भारत में सामान्य लोगों का जनजीवन : एक विश्लेषण

प्रतिभा
शोध छात्रा, इतिहास विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है जिसकी अपनी जीवन परम्पराएँ है। भारत की सनातन परम्परा ने अनेक विदेशियों को भारत आने को आकृष्ट किया। परम्पराओं में समृद्ध भारत में रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, धर्म आर्थिक परिवेश आदि से विदेशियों को आकृष्ट किया है। यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। इतिहास में बहुत से विदेशियों की यात्राओं का विवरण मिल जाता है। जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से मध्ययुगीन भारत की संस्कृति को बताया है। यद्यपि कथा साहित्यों में प्रभावशाली उच्च कुलीन वर्गों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों की यात्रा और उनके यात्रा वृतांत पढ़ने पर उस समय की स्थानीय परम्पराओं, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जीवन शैली के बारे में जान सकते है। संभवतः यात्रा वृत्तांतों के आधार पर सटीक विश्लेषण किया जा सकता है क्योंकि राजघराओं या राजपरिवारों से संबद्ध वृत्तांतों में चाटूकारिता या विशेष प्रकार के मनोभावों से ग्रसित होने का साक्ष्य मिल सकता है। परन्तु यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों, लेखों, आत्मकथा के आधार पर मध्यकालीन समाज के सामान्य वर्ग का सटीक आकलन किया जा सकता है।

मध्यकालीन समाज तीन वर्गों में विभाजित था– उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एवं साधारण वर्ग। साधारण वर्ग में किसान, मजदूर, शिल्पकार, कुम्हार, श्रमिक वर्ग के लोग सम्मिलित थे। ये साधारण तरीके से जीवन निर्वाह करते थे। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग अतिअल्प समय में अपना स्थान बदल कर दूसरे स्थान पर कर देते थे। बाबर कहते है कि अनेक वर्षों से रहते आए है और पीछे अपने अस्तित्व का कोई चिह्न नहीं छोड़ते है।[1] नए स्थानों पर कुछ लकड़ी के खम्भों और छप्पर के लिए थोड़े पुआल की जरूरत होती थी और थोड़े से समय में पूर्ण हो जाता था।[2] दीवारें मिट्टी की होती और सदैव की तरह फूस और सम्भवतः कुछ लकड़ी के शहतीरों पर आधारित

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

रहता था। घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आवश्यकतानुसार ही थी। सामान्य लोगों का जीवन अत्यंत साधारण एवं सीमित था। बिस्तर के लिए भूमि का प्रयोग ही करते थे। लूँगी और मोटे कड़े की चादर से काम चला लेते थे जो प्रायः पहनने के साथ बिछाने के काम भी आती थी।[3] घर में कोई रसोईघर था स्नानगृह नहीं था। लोग स्नान हेतू कुएँ या नदी पर जाते थे।[4]

सामान्यतः लोगों का भोजन साधारण होता था। दो बार भोजन ग्रहण करते थे। बाजरे की रोटी, चावल और दालें और सम्भव हुआ तो कुछ मट्ठा और प्याज तथा मिर्च की चटनी उनका प्रिय भोजन था।[5] विशेष अवसरों पर पूरी तथा हलवा आदि खाते थे। मांस का प्रयोग हिन्दू परिवारों की अपेक्षा मुस्लिम परिवारों में अधिक होता था। तम्बाकू और अफीम की खेती प्रारम्भ हो गई थी। जिस कारण लोग नशा भी करने लगे थे। यद्यपि विशेष त्योहारों पर कृषकगण ताड़ी या सस्ती शराब पीते थे।[6] ट्रैवेनियर लिखते है मजदूर काम से लौटने के पश्चात रूखा–सूखा खाकर पानी पीते थे।[7] रसाई में स्वच्छता का विशेष ध्यान हिन्दू परिवारों में दिया जाता था। बर्तन स्वच्छ हाते थे। चौकों को गोबर से लीपा जाता था। जूते पहनकर रसाईघर में कोई प्रवेश नहीं करता था। किसी भी भोजन को आरंभ करने से पहले खाने के कुछ अंश का भगवान के आगे भोग लगाया जाता था।[8] स्त्रियॉ अपने पति के साथ बैठकर कभी भी नहीं खाती, पति के भोजन कर लेने के बाद ही खाना अपना कर्तव्य समझती थी।[9] साधारणतः लोग शरीर को ढकने के लिए वस्त्र धारण करते थे। राल्फ फिंच लिखते है कि शरीर के मध्य भाग में थोड़ा–सा कपड़ा लपेटने के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते है। बाबर भी बाबरनामा में लिखते है कि यहाँ के लोग कम वस्त्र धारण करते है। किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते है। लुंगी का प्रयोग स्नान करने के बाद किया जाता था। यह एक वस्त्रखण्ड था जिसे शरीर के अधोभाग में लपेटकर कमर से चुन्नट डालकर बांधते थे।[10] सामान्य व्यक्ति हल्की पगड़ियाँ धारण करते थे। स्त्रियॉ कुरती सलवार पहनती थी। सिर को ओढ़नी से ढकती थी[11] लहंगा कमर पर बांधा जाता था जो चरणों तक छूता था।[12] मुस्लमान स्त्रियों में साड़ी का प्रयोग भी सामान्य हो गया था।[13] साधारण वर्ग की महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। इसका कठोरता से पालन होता था। स्त्री जब घर की चहारदीवारी से बाहर निकलती तो बुर्का पहनती थी।[14] अकबर जैसे उदार बादशाह ने भी आदेश दिया था कि कोई नौजवान युवती गलियों एवं बाजारों में बगैर घूघँट के दिखाई दे या उसने जान बूझ कर पर्दा प्रथा तोड़ा तो उसे वेश्यालय में ले जाए और उसी पेशे को अपनाने दिया जाए।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

वर–वधू का चुनाव माता–पिता के द्वारा किया जाता था। अकबर कहते है कि विवाह की कानूनी मान्यता के लिए वर–वधू की स्वीकारोक्ति के साथ माता–पिता की अनुमति भी आवश्यक है।[15] जब विवाह सम्बंध के लिए दोनों पक्षों के राजी होने पर ज्योतिषी के द्वारा निश्चित किसी शुभ दिन में सगाई की रस्म होती थी।[16] बहुविवाह की प्रथा मुस्लमानों और उच्च कुलीन हिन्दूओं में थी।[17] परन्तु निम्न कुल में ऐसा नहीं था। स्त्री का बांझ होना या व्यभिचारिणी हो जाने जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा हिन्दू विधि में किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक देने की कोई व्यवस्था नहीं थी।[18] मुस्लमानों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था। उनके नियमों के अनुसार किसी भी स्त्री से विवाह किया जा सकता था तथा कोई भी व्यक्ति तीन या चार स्त्रियों तक से विवाह कर सकता था। परिणामस्वरूप कई बुराईयाँ आई। कुछ परिवारों में कलह और अनैतिकता का पनपना स्वभाविक हो जाता था।[19] अकबर ने भी आदेश दिया था कि साधारण आय वाले आदमी को एक विवाह करना चाहिये, यदि पहली औरत बांझ हो तभी उसे दूसरे के लिए सोचना चाहिए। एक से अधिक स्त्री रखना आदमी के स्वास्थ्य के लिए अनिष्टकारी है तथा उससे परिवार की सुव्यवस्था नहीं रहती है।[20]

विधवाओं का पुर्नविवाह सिर्फ मुस्लिम समाज में ही होता था। जबकि हिन्दू समाज में सती प्रथा का प्रचलन अधिक था यदि कोई स्त्री इस दंश से बच जाती तो उसे आजीवन तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। समाज के किसी भी धार्मिक प्रयोजन में उनकी उपस्थिति स्वीीकार्य नहीं थी। बर्नियर कहते है– इस तरह के बुरे भाग्य से बचने के लिए विधवा को निम्न स्तरीय जीवन जीना पड़ता था, कभी–कभी वेश्या के रूप में, वह एक ऐसे प्राणी से जुड़ी होती है जिसे अपमानित किया जाता है। सती प्रथा हिन्दू समाज की एक अमानवीय प्रथा थी। जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को पति की चिता पर आत्मदाह करना पड़ता था। मुगल काल में यह प्रथा राजपूत वर्गो में ही थी लेकिन व्यापक रूप से नहीं थी।[22] मनूची लिखते है कि कश्मीर से लौटते समय औरंगजेब ने आदेश किया था कि मुगल क्षेत्र में आने वाले भू–भाग पर किसी महिला को नहीं जलाया जाना चाहिए।[23]

मध्यकालीन भारत में मनोविनोद और मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। चौगान कुलीन परिवारों का प्रिय खेल था जिसे लाने का श्रेय मुस्लमानों को जाता है जिसके प्रभाव के कारण यह विभिन्न वर्गों में शीध्र ही लोकप्रिय हो गया।[24] अबुल फजल ने चौगान खेल का वर्णन अकबरनामा में किया है। अकबर भी इस खेल को अधिक पसंद करता था तथा अपना अमूल्य समय भी देता था।[25] चिड़ियों का शिकार

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

गरीब और अमीर दोनों ही विशेष रूचि से करते थे। अमीर एवं कुलीन वर्ग इसके लिए बन्दूक एवं गरीब वर्ग तीरों का प्रयोग करते थे।[26] मछलियों का लक्षण होने के कारण मछुए इसे मनोरंजन के साधन के अतिरिक्त जीविका के लिए पकड़ते थे।[27] कुश्ती का प्रचलन मध्य युग में इतना अधिक था कि अमीर एवं सामान्य वर्ग दोनों ही इस कला में कुछ न कुछ ज्ञान रखते थे। सुल्तानों व धार्मिक साधुओं ने इसे प्रोत्साहन दिया और पहलवानों को संरक्षण दिया।[28] कुश्ती के साथ मुक्केबाजी भी मुगलकाल में समय व्यतीत करने का प्रिय साधन थी। इस खेल के द्वारा मनोरंजन तथा समय दोनों का साथ–साथ इस्तेमाल हो जाता था।[29] सामान्य वर्ग मुर्गे और बकरियों की सस्ती लड़ाई से जो उनके घर के सामने मैदान में हुआ करती थी, आनन्दित होते थे।[30]

संदर्भ ग्रन्थ :

1. स्मिथ, विसेंटः दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वितीय संस्करण आक्सफोर्ड (1923), पृ0 226.
2. बाबरः बाबरनामा अनुवाद बेबरिज एस0 दि मेमॉयर्स आफ बाबर, पृ0 250.
3. क्रूक, विलियमः इस्लाम इन इण्डिया लंदन (1921), पृ0 317.
4. गुप्ता, जे0एन0 दासः बंगाल इन द सिक्सटीथ सेन्चुरी कलकत्ता, (1914), पृ0 227.
5. क्रूक, विलियमः इस्लाम इन इंडिया लंदन (1921), पृ0 318.
6. तुलनीय इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया भाग–2, आक्सफोर्ड (1908), पृ0 308–309
7. ट्रेवर्नियर, ट्रेवेल्स इन इण्डिया, पृ0 163.
8. ट्रेवर्नियर, ट्रेवेल्स इन इण्डिया, पृ0 165, 166.
9. मनूची, स्टीरिओ डी मोगोर अनुवादक विलियम इर्विन कलकत्ता (1921), पृ0 283.
10. शरीफ, जफरः कानून–ए–इस्लाम अनुवादक जी0ए0 हर्कलोटस परिशिष्ट–3 लंदन (1832), पृ0 12–13.
11. देहलवी, मीर हसनः मसनवियात ए मीर हसन दहलवी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ (1945), पृ0 28.
12. अली, श्रीमती मीर हसनः ऑब्जेशन्स ऑन द मुसलमान्स ऑफ इण्डिया भाग–1 लंदन (1932), पृ0 168.
13. शरीफ, जफरः कानून–ए–इस्लाम अनुवादक जी0ए0 हर्कलोट्स परिशिष्ट–3 लंदन (1832), पृ0 15.
14. मुसहफी, गुलाम हमदानीः दीवान–ए–मुसहफी भाग–6 पाण्डुलिपि रजा लाइब्रेरी रामपुर, पृ0 136.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

15. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी– भाग–1, अनुवादक एच0 ब्लाकमैन लंदन (1873), पृ0 186.
16. मेजरः इण्डिया इन द फिफ्टीन्थ सेन्चुरी लंदन (1857), पृ0 89.
17. इंडियन फेमिनिज्मः क्लास जेंडर एण्ड आइडेटिटी इन मिडिवल एन रूकंसाना इफ्तार, पृ0 164.
18. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–1, अनुवादक एच0 ब्लाकमैन लंदन (1873), पृ0 128.
19. स्पेकुलनः द जर्नन ऑफ मेडिकल स्टडीज कैम्ब्रिज मास, पृ0 272.
20. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–1, अनुवादक एच0 ब्लाकमैन लंदन (1973), पृ0 123.
21. मनूची, वाल्यूम–3, पृ0 60–61.
22. बर्नियर,
23. मनूचीः अनुवाद इरविन, वाल्यूम–2, पृ0 97.
24. इकराम, एस0 एम0ः मुस्लिम सिविलाइजेंशन इन इंडिया सम्पादक अइस्ली टी0 एम्ब्री कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क (1964), पृ0 213.
25. अबुल फजलः अकबरनामा, अनुवादक– एच0 बेबरिज कलकत्ता (1912), पृ0 286.
26. वही, पृ0 223.
27. खॉ, मोनमिदः इकबालनामा–ए–जहॉगीरी भाग–2, कलकत्ता (1865), पृ0 114.
28. अहमद, अजीजः स्टडीज इन इस्लामिक कल्चर इन इण्डियन।
29. अहमद, अजीजः स्टडीज इन इस्लामिक कल्चर इन इण्डियन एनवायरमेंट आक्सफोर्ड (1964), पृ0 217.
30. सरन, पी0ः दि प्रोविसियल गवर्नमेंट ऑफ दि मुगल इलाहाबाद (1941), पृ0 216.

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

15

भारतीय शिक्षा-व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ

डॉ. कृष्ण कुमार
असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
महाराणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

शिक्षा मानव विकास की आधरशिला है, जो मानव को सुसंस्कृत, संवेदनशील व विवेकशील बनाती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा एक अपरिहार्य कारक है। शिक्षा किसी देश की विकास प्रक्रिया की अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी गयी है। शिक्षा से तात्पर्य है, मनुष्य द्वारा सच्चे अर्थों में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, सीखना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सही और गलत में भेद कर सही दिशा की ओर अग्रसर होता है।

प्राचीन काल से ही हमारा देश शिक्षा के एक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। दूर–दूर के देशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। शिक्षा और संस्कृति के केन्द्र रहे नालन्दा, तक्षशिला और प्रयाग में मिस्र, यूनान, चीन, श्रीलंका, इण्डोनेशिया से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते थे। शिक्षा की भारतीय पद्धति एक आदर्श शिक्षा प्रणाली थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि वह नैतिक एवं नीतियों से परिपूर्ण थी। नीति से तात्पर्य सही दिशा–निर्देश से है। मनुष्य के ऊपर उठने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम नीतियाँ होती हैं। नीतिविहीन शिक्षा से भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है और भ्रष्टाचार सहित मानव का जीवन पशु से भी निम्नतर हो जाता है।

शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो आधुनिक शिक्षा–प्रणाली से इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय, शिक्षा के उस ढाँचे से है, जो आजकल हमारे स्कूलों और कॉलेजों में प्रचलित है। इस शिक्षा प्रणाली का विकास अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी वही शिक्षा प्रणाली ही लागू है। आज के शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

है। परन्तु विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य नौकरी तक ही सीमित रह गया है। विद्यार्थी परीक्षार्थी बन गए हैं। सभी को यहाँ यही धुन लगी रहती है कि किस तरह अमुक परीक्षा पास कर ली जाए और उसके बाद अमुक नौकरी मिल जाए।[1]

शिक्षा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ मिली–जुली हैं। शिक्षा का प्रसार करने के लिए और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, उन्हें देखकर मालूम होता है कि सरकारी नीतियों और जमीनी उपलब्धियों के बीच गहरी खाई है। इस प्रक्रिया में एक द्विस्तरीय स्कूली शिक्षा व्यवस्था तैयार हो गयी है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और जो ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, वे मजबूरन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और कुशलता का जो स्तर है, उसके मुकाबले सरकारी खजाने पर उसका बोझ बहुत ज्यादा है। निजी शिक्षण संस्थाओं की तादाद पिछले वर्षों में जिस गति से बढ़ी है उससे पता चलता है कि एक ओर शैक्षणिक सेवाओं की जरूरत बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने की देश की क्षमता नहीं बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय सुविधाओं की एक बड़ी जरूरत है, जो पूरी नहीं हो पा रही है।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र व राज्य सरकारों का है। भारतीय संविधान के तहत इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। विभिन्न सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में देश की स्वतंत्रता के उपरान्त महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। परन्तु तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने उपलब्ध शिक्षा संसाधनों को बौना सिद्ध कर दिया है। राजकीय वित्तीय कोष में भारी वित्तीय बढ़ोत्तरी के बावजूद वह अपर्याप्त बना हुआ है। इसी वजह से केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ–साथ स्थानीय निकाय, गैर–सरकारी संस्थाओं, धर्मिक व लाभकारी समूहों ने इस क्षेत्र में अपना–अपना योगदान दिया है। यही कारण रहा कि सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों द्वारा भारी संख्या में शिक्षण संस्थान शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खोले गए।[2]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ नीतिगत प्रस्ताव रखे हैं, जिनके जरिए सरकारी स्कूलों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के आधर पर बेहतर बनाया जाना है। योजना आयोग ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी आधार पर चार बिजनेस मॉडल की पहचान की है। ये चार मॉडल हैं– पहला– बुनियादी ढाँचा मॉडल, दूसरा–आउटसोर्सिंग मॉडल, तीसरा– मिला–जुला मॉडल और

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

चौथा– रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल। हालाँकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी ही इसका एकमात्र उपाय नहीं है और इसे शिक्षा के क्षेत्र में सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज नहीं माना जा सकता, लेकिन ऐसी भागीदारी के कुछ फायदे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल अमेरिका, इंग्लैण्ड, न्यूजीलैण्ड, चिली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपनाया गया है और वहाँ यह शिक्षा में बेहतर उपलब्धियों के नजरिए से काफी सफल रहा है। इससे पूँजी की कमी दूर होती है, कार्यकुशलता बढ़ती है, जोखिम कम होता है, खर्च कम होता है, जवाबदेही, गुणवत्ता, नियंत्राण और लचीलापन भी बढ़ता है।

अभी हाल ही में प्रथम संस्था की 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट', असर जारी की गयी। इसके लिए 550 जिलों के 16,000 गाँवों का सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में प्रवेश 97 फीसदी तक पहुँच गया है, 2005 में यह 93 फीसदी था लेकिन 11 से 14 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत जो 2006 में 17.6 फीसदी था, वह 2013 में घटकर 5.5 फीसदी रह गया है। निजी स्कूलों में भी प्रवेश बढ़ा है। 2006 में यह 18.7 फीसदी था जो बढ़कर 29 फीसदी हो गया। मणिपुर और केरल जैसे राज्यों में 70 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी यह आँकड़ा 50 फीसदी के आस–पास है। जहाँ सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चों का एक बड़ा प्रतिशत निजी ट्यूशन पर निर्भर रहता है। शिक्षा के इस निराश कर देने वाले नतीजों में उम्मीद की कुछ ही किरणें हैं। 11 से 14 साल की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा है, लेकिन बिहार में यह प्रतिशत घटा है। स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार में ऐसे स्कूलों का प्रतिशत काफी तेजी से गिरा है, जहाँ पीने के पानी की सुविध नहीं है। 2010 में ऐसे स्कूल 9.6 पफीसदी थे, जो अब 4.1 फीसदी रह गए हैं। जहाँ तक सीखने की क्षमता का सवाल है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में इसका स्तर काफी सुधरा है, जबकि इसके मुकाबले असम, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में यह स्तर गिरा है। इस रिपोर्ट से यह तस्वीर उभरती है कि भारत में स्कूली शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। स्कूलों में प्रवेश बढ़ने की कामयाबी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इस बढ़ते प्रवेश को अध्यापकों की ट्रेनिंग व पाठ्यक्रम में बदलाव के जरिए गुणवत्ता में सुधार से जोड़ा जाना चाहिए।[3]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

इतने वर्षों के प्रयास व बेतहाशा पैसा बहाने के बाद भी सवाल वहीं खड़ा है कि आज भी सरकारी स्कूल लोगों की पहली पसन्द क्यों नहीं बन पाए हैं? मध्यम वर्ग की बात तो छोड़ ही दें गरीबी रेखा के नीचे के परिवार भी अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपने प्रयासों से ऐसी शिक्षण संस्थाएँ खड़ी की हैं, जिनमें बच्चों को वह शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो विश्व स्तर की न भी हो तो भी उसके सहारे यहाँ के युवक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में न केवल शिक्षा प्राप्त करने का अपना सपना पूरा कर रहे हैं बल्कि कई क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका के 38 प्रतिशत डॉक्टर भारतीय हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों में 12 प्रतिशत भारतीय हैं। नासा के कर्मचारियों में 36 प्रतिशत भारतीय हैं तथा माइक्रोसॉफ्रट कर्मचारियों में 34 प्रतिशत भारतीय हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं या फिर विदेश में ही शिक्षा पायी है।[4]

शिक्षा प्रदान करने का काम सरकार का है, सरकार ने स्कूल भी खोल रखे हैं। देश के दूर–दराज क्षेत्रों में भी सरकारी स्कूल मिल जाएँगे। सरकार के पास इतने संसाधन एवं अधिकार हैं कि वह स्कूलों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाध्य कर सकती है। फिर क्या कारण है कि आज न तो कोई बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहता है और न ही माता–पिता उसे वहाँ भेजना चाहते हैं। हाल यह है कि चार–पाँच साल इन स्कूलों में पढ़ने के बाद भी आधे से ज्यादा बच्चे न तो चौथी कक्षा की हिन्दी की किताब पढ़ पाते हैं और न ही दूसरी कक्षा तक का गणित हल कर सकते हैं। आगे की कक्षाओं में भी यही हाल है क्योंकि आठवीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। जहाँ किसी भी तरह के परीक्षा परिणाम का डर न हो, वहाँ परिणाम वही होगा जो वर्तमान में दिख रहा है।

सरकार द्वारा जारी सर्वशिक्षा अभियान जो अपने आप में एक आदर्श योजना है, लेकिन कई अन्य आदर्श योजनाओं की तरह बिना पूरी तैयारी के लागू होने के कारण इसमें शिक्षित बच्चे शायद पहली कक्षा के स्तर के ऊपर की पढ़ाई करने में भी समर्थ न हों। शिक्षा प्राप्त बच्चों की संख्या के आँकड़े देखकर ही सरकार खुश रहती है। और एक दिन हम पाते हैं कि प्राइमरी स्तर का सर्व शिक्षा अभियान एक सफल अभियान की तरह घोषित सेकेण्डरी स्तर के लिए लागू किया जाएगा अर्थात् प्राइमरी स्तर तक तो भारत का हर बच्चा शिक्षा पा चुका है, अब सीनियर सेकेण्डरी तक की शिक्षा युवाओं को दी जाएगी।[5]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिए सामने आयी है कि भारत अनपढ़ वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आँकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह जनसंख्या 29 करोड़ तक पहुँच चुकी है। इससे अधिक चिन्ता का विषय और क्या होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है जो अपने आप को विश्व गुरु मानता है और जिस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सभ्यता सबसे पहले आयी। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता की जो चिन्ताजनक तस्वीर इन आँकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है। मरणासन्न शिक्षा व्यवस्था इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय देश को आजाद हुए हो चुका है। तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा इसकी कोई गारण्टी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन–सी पहल की है जो आश्वस्त करे?

भारत में शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति–नियंताओं का उदासीन रवैया जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दिनों में अशिक्षा और गरीबी हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, धीरे–धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो आजाद हुए साढ़े छह दशक बीत चुके हैं, सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?

होना तो यह चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेण्डे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाए आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली–गली में निजी स्कूल खोल दिए गए, जो अध्ययन का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हाँ गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, उतना पिछले पचास वर्षों में भी नहीं हुआ। सर्वेक्षण बताते हैं कि किसी भी सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया शिक्षा के अधिकार की मूल भावना सबको शिक्षित करने की थी। इसका अर्थ सबको पढ़ाई की सुविध मात्रा दे देना ही नहीं था। यह बस इतना ही कहता है कि स्कूलों में क्या–क्या सुविधाएँ होनी चाहिए। यह नतीजों की बात भी नहीं करता है। एक NGO द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

दुर्गति के लिए सबसे बड़ा कारण यह था कि अधिकतर भारतीय ऐसी नौकरी चाहते हैं, जिसमें अच्छा वेतन हो, सुरक्षा हो, लेकिन काम न करना पड़े। इस आधार पर केवल सरकारी नौकरी ही फिट बैठती है। शिक्षकों के वेतन बढ़ने के बाद सरकारी स्कूल बहुत पहले से शिक्षित युवक–युवतियों की पहली पसन्द बन गए हों तो कोई ताज्जुब नहीं। जिस कारण से ये युवक और युवतियाँ सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वही कारण है सरकारी स्कूलों की उस हालत का, जिसके चलते ये अपने बच्चे को उन स्कूलों में भेजना पसन्द नहीं करते। बात यदि इस पर आती है कि हमें केवल सुरक्षित नौकरी और अच्छा वेतन चाहिए, काम की जिम्मेदारी हम पर न हो तो बाकी सब भी यही चाहते हैं। आज ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। शुरुआत अपने–आप से करनी पड़ेगी। हमें यह अपना विशेष कर्तव्य समझना चाहिए कि विद्यालय में बच्चों की शिक्षा के प्रति हम ही प्रमुखतया उत्तरदायी हैं, और हमें उनके प्रति ईमानदार रहना होगा। यह ईमानदारी केवल शिक्षकों तक सीमित न रहे। सरकार की पहल भी बयानबाजी न होकर एक गम्भीर, पारदर्शी और जिम्मेदार कोशिश होनी चाहिए।[6]

भारत में जहाँ सबको निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में तमाम मुश्किलें आ रही हैं वहीं सबको अच्छी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मुहैया कराना एक 'खयाली पुलाव' जैसा दिखता है। अभी करीब 2 करोड़ भारतीय युवा ही उच्च शिक्षा के अवसर हासिल कर पा रहे हैं। 2020 तक ये अवसर चार करोड़ युवाओं को और 2030 तक 10 करोड़ को उपलब्ध कराने होंगे, नहीं तो दुनिया का सर्वाध्कि युवा राष्ट्र बनने का गौरव बदहाली में बदल सकता है। वर्ष 2030 तक सबको उच्च शिक्षा उपलब्ध करना लगभग असम्भव लक्ष्य हो जाएगा क्योंकि हजारों नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्थापित करने के लिए लाखों करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष अध्यापकों की कमी एक बड़ी समस्या है। नए स्कूल और शिक्षा–सामग्री किसी काम की नहीं है, जब तक कि पर्याप्त अध्यापक न हों। चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक या फिर उच्च शिक्षा हर जगह अध्यापकों की भारी कमी है। विश्वविद्यालयों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं लेकिन इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। इसके अलावा अध्यापकों की गुणवत्ता भी एक प्रमुख समस्या है। अधिकतर ऐसे अध्यापक हैं जो अध्यापक बनने की पूरी पात्रता भी नहीं रखते। ऐसे में अध्यापकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही समय–समय पर इनकी परीक्षा भी ली जानी चाहिए, जिससे गुणवत्ता में गिरावट न आए।[7]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक प्रमुख चुनौती बजट को लेकर है। राज्य सरकारों के बजट का अधिकांश पैसा शिक्षकों को वेतन देने में चला जा रहा है। जिससे शिक्षा व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे आधारभूत संरचना आदि की अनदेखी हो जा रही है। यहाँ यह विचारणीय है कि ऐसे सरकारी स्कूल, जिनमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उन पर इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है?

क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का सरकारी प्रयास व्यर्थ साबित हो रहा है? हमारे देश में शिक्षित होने के पैमाने को अन्य देशों की अपेक्षा काफी नीचे रखा गया है। सात वर्ष का ऐसा बच्चा जो पढ़ना एवं लिखना जानता हो, शिक्षित कहलाता है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में बेहद गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके घर भोजन की भी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती। ऐसे में ये बच्चे भोजन के लिए ही सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं, जहाँ मध्याहन भोजन योजना के माध्यम से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।[8]

सरकारी स्कूलों की प्रासंगिकता ही आज धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। इस क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन की दरकार है तभी जाकर इनका स्तर सुधर सकता है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं है। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन भूल सकता है।

सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वह प्राइवेट संस्थाओं से कहीं अधिक शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा सकती है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता शिक्षा के लिए एजूकेशन सेस के नाम पर पैसा दे रही है। वर्ष 2004 में सरकार ने शिक्षा के नाम पर प्रत्येक सेण्ट्रल टैक्स पर 2 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगाया था, जो केवल शिक्षा के नाम पर खर्च होना था। इससे एक अलग कोष बनाया गया जिसे 'प्रारम्भिक शिक्षा कोष' नाम दिया गया। भारत के सामाजिक हालात को देखते हुए भी यदि हम गरीबों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए बिना अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं तो इस वर्ग के साथ यह एक भद्दा मजाक होगा। बच्चों को जबर्दस्ती उस माहौल में नहीं धकेलना चाहिए जहाँ उनके व्यक्तित्व का विकास होने के बजाए वे कुण्ठित स्वभाव के हो जाएँ। बच्चों के कोमल व्यक्तित्व का विकास खुशनुमा वातावरण में ही सम्भव है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के समक्ष तमाम समस्याएँ मौजूद हैं जिनका निराकरण अत्यन्त जरूरी है। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग भी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा को भी पर्याप्त महत्त्व देना चाहिए जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सके।

सन्दर्भ–ग्रन्थः

1. भारत में प्राथमिक शिक्षा, विश्व बैंक प्रकाशन, 2017
2. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2012
3. योजना आयोग, भारत सरकार, '12वीं पंचवर्षीय योजना', नई दिल्ली, 2014
4. सेन, अमर्त्य, भारत : विकास की दिशाएँ, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली ;2000
5. नारंग, ए.एस., भारत में लोकतंत्र : समस्याएँ एवं चुनौतियाँ
6. क्रॉनिकल ईयर बुक –2017
7. 'लोकतांत्रिक राजनीति', एन.सी.ई.आर.टी., 2007
8. सेन, अमर्त्य, भारतीय अर्थतंत्र, इतिहास और संस्कृति, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली; 2005

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

16

महिलायें तथा पर्यावरण

डॉ. अजय कुमार सिंह
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, इतिहास विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

महिलाओं के बिना पर्यावरण का संरक्षण संभव नही हैं, क्योंकि पर्यावरण का विनाश सिर्फ अत्याधिक आर्थिक विकास के कारण ही नही बल्कि अत्यधिक निर्धनता का भी प्रतिफल है। जीवन की गुणवत्ता के अनेक गुणात्मक पक्ष हैं जिनमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुनिश्चित सुलभता, पर्याप्त भोजन एवं आवास, प्रेरक एवं स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण, लैंगिक समानता, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा उल्लेखनीय है। 1994 में कैरो में जनांकिकिय एवं विकास सम्मेलन में विविध पक्षों जैसे वृद्धि, गरीब, पर्यावरण, लैंगिक भेदभाव निवारण आदि पर एक 20 वर्षीय कार्ययोजना पर सहमती हुई जिसमें विकास के एक उपेक्षित पक्ष, महिलाओं की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया। ''21वीं सदी के इस समारम्भ पर विकासशील देशों में ग्रामीण महिलाओं पर ही इस पृथ्वी की कृषि प्रणालियों के भविष्य एवं खाद्यान्न तथा आजीविका की सुरक्षा का दारोमदार है जिसमें वे बीजों के चयन, छोटे पशुधन की व्यवस्था एवं वनस्पति तथा पशु विविधता के संरक्षण तथा स्थायी उपयोग में अपनी भूमिका से योगदान कर सकती हैं। खाद्य पदार्थों की व्यस्थापकों तथा उत्पादकों के रूप में ग्रामीण महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह उन्हें खाद्यान्न एवं कृषि के उत्पत्ति सम्बन्धी संसाधनों के प्रबन्ध से सीधे जोड़ती है तथा इसने उन्हें स्थानीय प्रकारों, पारिस्थितिकीय प्रणालियों और उनके प्रयोग के बारे में विशिष्ट ज्ञान तथा निर्णयकारी भूमिका प्रदान की है क्योंकि इसके बारे में उनके पास सैंकड़ों वर्ष का संचित व्यवहारिक अनुभव है.....अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस बढ़ी हुई मान्यता के होते हुए भी कृषि एवं जैव विविधता तथा स्त्रियों एवं पुरूषों के कार्यकलापों, दायित्वों एवं अधिकारों के बीच के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वस्तुतः कृषि एवं वनस्पति उत्पत्ति सम्बन्धी संसाधनों के संरक्षण तथा सुधार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्रबन्धकार्य कौशल और पशुओं तथा पौधों के बारे में उनका गहन ज्ञान कृषि, वानिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धी

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

तकनीकी विशेषज्ञों एवं योजनकारों तथा नीति निर्माताओं के लिये 'अदृश्य' हो रहा है।''[1]

पर्यावरण सम्बन्धी स्टाकहोम सम्मेलन (1972), 1985 में नैरोबी में स्वीकृत भविष्यलक्षी नीतियां, पर्यावरण एवं विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1992), बीजिंग घोषणा एवं कार्य–मंच (1995) तथा विश्व खाद्य सम्मेलन (1996) में महिलाओं की प्रगति एवं पर्यावरण के बीच सम्बन्ध पर जोर दिया गया। चाहे महिलायें हों या पुरूष, पर्यावरण कुप्रबन्ध का स्वास्थ्य तथा उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 4–15 सितम्बर, 1995 में हुआ चौथा विश्व महिला सम्मेलन (बीजिंग घोषणा) की धारा 246–258 जक महिलाएं एवं पर्यावरण के लिए निर्देशित की गई हैं। जिसमें कहा गया है कि महिलाएं अपने प्रबन्धन तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा अपने परिवारों तथा समुदायों को सहयोग प्रदान करती हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों हेतु, जीवन स्थायित्व और गुणवत्ता प्रदान करने हेतु अपने हस्तक्षेप द्वारा स्थाई विकास को बढ़ावा देने में महिलाएं एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारों ने नए विकास प्रतिमानों की रचना करने की अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है जो कार्यसूची 21[19] के अध्याय 24 में, न्याय और लिंग समानता के साथ पर्यावरणीय स्थायित्व को जोडता है। UNDP (1995) का भी मानना कि 90 के दशक में नव उदारवादी ढ़ांचागत समायोजन (Neo Liberal Structural Adjustment) के दौरान महिलाओं से प्राप्त लाभ विलुप्त हो गए है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण आधुनिकीकरण प्रकिया विशेषतया शिक्षा एवं बच्चों के पालन पोषण के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता के बिना अग्रसर नही हो सकती।

अपने देश में महिलायें पर्यावरण के प्रति भी सजग रही हैं। जब वनों की कटाई के विरोध में 1973 में उत्तर प्रदेश के चमेली जिले के मण्डल गॉव के लोगों ने चिपकों आन्दोलन आरम्भ किया, तो इसके नेतृत्व की बागडोर अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ गौरा देवी द्वारा सम्भाली गयी। नर्मदा नदी पर बनने वाले 1000 करोड़ रूपये के बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के मामले में मेघा पाटेकर तथा इस समय अरूंधता राय नर्मदा बचाओं आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। सुगाथा कुमार वह अत्यन्त प्रख्यात महिला नेता हैं जिन्होंने केरल में पेरियार नदी की एक सहायक नदी कुतापूजा पर प्रस्तावित 75 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के खिलाफ शांत घाटी पर्यावरण आन्दोलन में भाग लिया।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

वनों की कटाई तथा भू–संसाधनों की कमी–

वृक्षों से भारतीय नारी का भावात्मक सम्बन्ध है। समर्पित भाव से वृक्षों की सेवा, उनकी पूजा और संरक्षण प्रकृति को प्राणयुक्त मानने की विचारधारा को पल्लवित करता है। महिलाओं द्वारा वृक्षारोपण करना, वृक्षों की देखभाल और संरक्षण करना–ये सभी प्रेरणाएँ मानो उन्हें प्राचीन काल से ही प्राप्त हुई हैं। आज भारतीय महिलाएँ–चाहे निरक्षर हों या साक्षर–वृक्षों को अपना संगी–साथी मानकर भावात्मक रूप से अंगीकार करती दिखाई देती हैं। तीज–त्योहारों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में पीपल, बड़, आम के पल्लव, कमल, कुंद, अशोक, तुलसी आदि की पूजा–अर्चना करना उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। वे उनकी रक्षा हेतु तत्पर भी रहती हैं, क्योंकि वृक्षों की पूजा भारतीय महिलाओं को सांस्कृतिक विरासत में, एक उज्जवल आदर्श के रूप में प्राप्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जनजातीय समुदायों में महिलायें वन संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। ईधन, पशुचारा, जड़ीबूटियों शहद, बिरोणा, फलों, तेलों, फूलों और कंदमूल आदि जैसे वन्य उत्पादों का संग्रहण, उनकी आजीविका या कम से कम उनकी पूरक आय का साधन है। यह अनुमान लगाया गया है कि वन्य तथा जनजाति क्षेत्रों में लगभग 30 लाख लोग रहते हैं जिनमें लगभग 90 प्रतिशत महिलायें हैं। मैदानी क्षेत्र के लिये वन–आवरण अनुरक्षण का नियत मानक 33 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 66 प्रतिशत है। भारत वन सर्वेक्षण, 1997 के अनुसार देश में कुल वन आवरण 633,400 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.3 प्रतिशत है। यह रिकार्ड किया गया है कि वास्तविक वन आवरण में 507 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कुल वन आवरण में प्रतिवर्ष 25000 हेक्टेयर से अधिक की कमी हो रही है। तथापि एक अन्य निष्कर्ष यह है कि जहां देश के पूर्वोत्तर भाग में 1989 और 1993 के बीच वन क्षेत्र में 1400 वर्ग किलोमीटर से अधिक की कमी हुई है। वहां देश के कुल 3290 लाख हेक्टेयर से अधिक के भौगोलिक क्षेत्र में से 1740 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से कमी आई है। वनों की कटाई से महिलाओं पर अनेक प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है–

1. इससे वे वनोत्पादों के साधनों से वंचित हो जाती है।
2. वन्य जैव पदार्थो तक पहुँच अत्यधिक कम हो जाती है और उन्हें विभिन्न कोटि के ईधन पर निर्भर रहना पड़ता है।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

3. वर्षाकाल के विन्यास पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; जल भण्डारों में जल की पर्याप्त प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती, फलतः घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिये जल की आपूर्ति कम हो जाती है।
4. अचानक आने वाली तेज बाढ़ से जलग्रहण क्षेत्रों में ऊपरी मिट्टी का क्षरण हो जाता है जिससे कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नदी की तली में रेत जमा हो जाता है तथा खड़ी फसले जलमग्न हो जाती है। बाढ़ के पानी के लम्बा अवधि तक रूके रहने पर फसल की बुवाई का कार्यक्रम भी अस्त–व्यस्त हो जाता है। इससे रोग के जीवाणुओं में तथा उनके कारण होने वाले रोगों में वृद्धि भी होती है।

यद्यपि वनों के और अधिक ह्रास को रोकने तथा वनरोपण के लिये कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय किये गये हैं, लेकिन विगत में खाद्य उत्पादन के प्रयोजन सहित अन्य विकासात्मक प्रयोजनों के लिये वन क्षेत्रों का उपयोग किये जाने से उन महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो पौधाधरों और बागानों को विकसित करने जैसे अनेक वन सम्बन्धी कार्यो में लगी हैं।

वनों की कटाई के साथ–साथ तेजी से विलुप्त होती चरागाह–भूमि तथा ग्राम सभा भूमि के कारण, महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की 6 प्रतिशत जनता पशुओं के चराने वाले और यायावरों की है जिनकी आजीविका के लिये चरागाहों की भूमि का अत्यधिक महत्व है। ईधन और चारे जैसे जैवपदार्थ उत्पादों की तलाश में जुटी ग्रामीण महिलाओं को प्रतिदिन अत्यन्त मूल्यवान कार्य घण्टे बर्बाद करने पड़ते हैं। उतने ही परिणाम में वन्य जैव पदार्थो का संग्रह करने के लिए उन्हें ज्यादा दूर चलना पड़ता है तथा घटिया किस्म के ईधन पर निर्भरता के कारण उनके स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है। अधिक भारी काम की वहज से महिलाओं को अतिरिक्त ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है जो उनके सामान्य कैलोरी ग्रहण के निम्न स्तर को देखते हुए उनके लिये अत्यन्त हानिकारक है। उन्हें जबरदस्त शारीरिक पीड़ा, जोड़ों का दर्द तथा कठोर शारीरिक श्रम के कारण अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चिकित्सीय देखभाल के उनके प्रति किये जाने वाले लिंग भेद के कारण उन्हें अपने परिवार को बचाये रखने के लिये जिस अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह उन्हें नहीं मिल पाती।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

पर्यावरण एवं विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992, का एजेण्डा संख्या 21–

स्थानीय विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका तथा प्रगति के बारे में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास सम्बन्धी सम्मेलन, 1992 में स्वीकृत एजेण्डा संख्या 21 के अनुच्छेद 24 में अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रों की सरकारों से आग्रह किया गया है कि:

- वे महिलाओं की प्रगति के लिये विशेष रूप से राष्ट्री परिस्थितिकी प्रणाली प्रबन्धन तथा पर्यावरण ह्रास के नियन्त्रण में महिलाओं की सहभागिता के सम्बन्ध में नैरोबी सम्मेलन की भविष्यलक्ष्यी कार्यनीतियों को लागू करें।
- पर्यावरण और विकास के क्षेत्रों में महिला निर्णयकर्त्ताओं, योजनाकारों, तकनीकी सलाहकारों, प्रबन्धकों तथा प्रसार कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ायें।
- स्थायी विकास और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता के लिये सभी प्रकार की संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिये सन 2000 तक आवश्यक परिवर्तन कार्यनीति विकसित करने और उसे जारी करने पर विचार करें।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर 1995 तक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिससे महिलाओं से सम्बन्धित विकास और पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों में कार्यान्वयन और उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाये ताकि उनका योगदान और लाभ सुनिश्चित किया जा सकें।
- महिलाओं और पुरूषों को उनके सुधार अनुरूप संगत ज्ञान के प्रसार के सम्बर्धन के लिये जहां उचित हो वहां, पाठ्यक्रमों और अन्य शिक्षा सामग्री का मूल्यांकन, पुनरीक्षण तथा संशोधन और कार्यान्वयन किया जाये तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की भूमिकाओं का मूल्यांकन किया जाये।
- समाज के सभी पहलुओं जिसमें महिलाओं की साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण, पोषाहार और स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण निर्णयकारी पदों तथा पर्यावरण प्रबन्धन में उनकी सहभागिता के मामले में समानता लाने के लिये स्पष्ट सरकारी नीतियों और राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों, कार्यनीतियों तथा योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करें, विशेषरूप से इसलिये क्योंकि इसका सम्बन्ध संसाधनों तक

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

उनकी पहुँच से है तथा इसके लिए सभी प्रकार के ऋणों तक विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में उनकी बेहतर पहुँच की सुविधा प्रदान की जाये तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों और कृषि आदानों एवं उपकरणों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाये जायें।[2]

ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों, में अक्सर निरापद पेयजल प्राप्त करने के लिये घण्टों पैदल चलना पड़ता है। हिमालय के क्षेत्र में पारिस्थितिक–संतुलन बनाए रखने के लिए शुद्ध पर्यावरण का सपना तब तक फलीभूत नहीं होगा, जब तक उक्त क्षेत्र की महिलाएँ इसमें अपनी सहभागिता नहीं दर्शाएँगी। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ–साथ हिमालय क्षेत्र में वृक्षों को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देती। वृक्षों के विकास एवं पोषण में वे उतनी ही रूचि लेती हैं, जितनी कि अपने बालकों के लालन–पालन में। गॉवों एवं जंगलों में पेड़ों को काटकर शहरों में ईंधन के रूप में लकड़ी उपलब्ध कराने की परम्परा महिलाओं में कदापि नहीं देखी जा सकती। महिलाएँ प्राकृतिक साधनों का दोहन करती हैं, न कि विध्वंस। अस्तु महिलाओं ने वृक्षों के पोषण और रक्षण के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। श्रम संगठन ने सिफारिश की है कि महिलाओं को अधिक से अधिक 25–30 किलो भार उठाना चाहिये लेकिन वास्तव में इससे कहीं अधिक हो जाता है। महिलायें 40–50 किलों तक का भार अपने सिर, कंधों या पीठ पर उठा कर ले जाती हैं जिसके लिए मांसपेशियों की शक्ति तथा कौशल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे बचपन से ही भारी बोझ उठाते हैं उनमें विकास सम्बन्धी विकृतियां आ जाती हैं। कुछ समय में गरदन, रीढ़ की हड्डी तथा वस्ति प्रदेश सम्बन्धी शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते है। सिरदर्द, अस्थिभंग, स्लिपड़ डिस्क, आर्थ्राइटिस, गठिया, टखने की हड्डी की सूजन तथा दुर्घटनाओं के कारण पक्षाघात जैसी कुछ समस्याओं का आमतौर पर सामना करना पड़ता है। अधिक दूर चलने या अक्सर कठिन रास्ते होने के कारण भारी ताकत लगानी पड़ती है। सूखे मौसम के दौरान ये दूरियां और अधिक बढ़ जाती हैं। क्योंकि उस समय खाद्यान और फलतः ऊर्जा का आरक्षित भण्डार अपने निम्नतम स्तर पर होता है। (और कृषि सम्बन्धी काम भी सब से अधिक हो जाता है)। गर्भवती महिलाओं को भी इस कठिन कार्य से मुक्ति नहीं मिलती, परिणामतः अल्प भ्रूण विकास की समस्या का सामना करना पड़ता है और इस तरह के काम के परिणामस्वरूप प्रसव के पश्चात् घाव भरने में होने वाली बीमारियों की सम्भावना बढ़ जाती है। जल संग्रह के कारण हुकवार्म और फालेरिया जैसी जल से होने वाली बीमारियों की सम्भावना बढ़ जाती है। गर्भाशय का नीचे की

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

ओर खिसक जाना भी एक अन्य समस्या है। कम कैलशियम लेने और बढ़ती हुई आयु के कारण हड्डियां कमजोर हो जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जरा से गिरने मात्र से कुल्हे की हड्डी टूट जाती है। ओस्टियों आर्थ्राइटिस से भार ढोने वोल जोड़ प्रभावित हो जाते हैं। शीत काल में यह समस्या बढ़ जाती है। वे गरीब महिलायें जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते या गरम रखने की सुविधाएं नहीं होती उन्हें इस सबसे भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है।[3]

कूड़ा–कचरा बीनने वालों में अधिकतर संख्या महिलाओं की है। निरन्तर कचरे और धूल के सम्पर्क में आने से उन्हें त्वचा रोग, चोटें तथा बैक्टीरिया और वायरल का संक्रमण हो सकता है। इस काम के सिलसिले में उन्हें निरन्तर चलना, झुकना और खड़े रहना पड़ता है जबकि सिर या पीठ पर कूड़े से भरे बोरे उठाने और ढोने से उन्हें निरन्तर शरीर दर्द, सिर दर्द तथा कमर दर्द की समस्यायें हो जाती है। 'कूड़ा बीनने वाली महिलाओं और उन के स्वास्थ्य के बारे में टाटा समाज विज्ञान संस्थान द्वारा किये गये एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कूड़ा कचरा इकट्ठा किये जाने वाले स्थानों पर दुर्घटनायें होती हैं। जलते हुए अंगारों में गिरने से महिलाओं को चोटें लग जाती हैं, तेजाब और रासायनिक पदार्थो के सम्पर्क में आने पर जल जाता है। अध्ययन में भाग लेने वाली प्रत्येक महिला को कूड़ा बीनते समय तथा आम स्लीपर पहनने से छोटे या बड़ों जख्म हो चुके थे, शरीर को प्लास्टिक से ढकने पर भी उन्हें चोटों से संरक्षण प्रदान नहीं हो सका। उन्होंने अपने जख्मों को भरने के लिये उन पर हल्दी या कैलशियम पाउडर लगाया। अत्यन्त गम्भीर रूप से जख्मी होने पर ही वे डाक्टर के पास गयी।[4]

1991 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश घरों में 75 प्रतिशत खाना बनाने और पकाने के प्रयोजनों के लिए मुख्यतः लकड़ी, पशुओं के गोबर तथा फसलों के अवशिष्ट भाग जैसे–जैव–ईधन का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें खाना बनाने तथा पकाने के काम में 3 से 6 घण्टे तक लगा देती है। (सरला गोपालन , डोमेस्टिक फ्यूअल्स एण्ड डिवाइसेज फोर कुकिंग–प्रेक्टिसेज, प्राबलम्स, पालीसीज एंड पर्सपैक्टिसज, 1989)। हवा में विद्यमान धुएं के कणों के बीच महिलाओं की विद्यमानता गुजरात के चार गांवों में किये गये एक अध्ययन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक रेंज 7 से 400 गुना की तुलना में 100 गुना अधिक है।[5] परम्परागत और अक्षम स्टोव में अशोधित जैव ईधन के जलने से बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषित करने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनाक्साइड तथा

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

फार्मेलडिहाइड, बेंजीन तथा बेंजोपाइरीन सहित अनेक प्रकार के अकार्बनिक यौगिक पदार्थ उत्सर्जित होते है जो घर के बाहर उत्सर्जित प्रदूषक पदार्थो की तुलना में अधिक खतरनाक होते है।[6] चूंकि महिलायें और किशोर बालिकायें घर में बच्चों की देखभाल तथा खाना बनाने का कार्य एक साथ करती हैं, इसलिए बच्चे भी जैव ईंधन से उत्पन्न प्रदूषक पदार्थो के सम्पर्क में आते है। भारत में घर के अन्दर के वायु प्रदूषण के कारण होने वाललली सबसे अधिक महत्वपूर्ण बीमारी सम्भवतः श्वासतंत्र का गम्भीर संक्रमण (ए0आर0आई0) है। हाल ही में किये गये एक अध्ययन से उपलब्ध अनुमान के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा वयस्क महिलाओं की असामायिक मृत्यु दर 4,10,000 से 5,70,000 प्रतिवर्ष है।

बचपन से ही रसोई में धुएं के वातावरण में काम करते रहने के कारण महिलाओं को कोर पलमोनेट, हृदय में रूकावट की स्थिति, तथा दिल के अत्यधिक बढ़ जाने जैसी गड़बड़ियां होने की सम्भावना रहती है। अहमदाबाद में किये गये एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि जो महिलायें हवा के आने की खराब व्यवस्था तथा धुएं वाले ईधन से खाना पकाती हैं, उनमें कफ तथा सांस में कठिनाई वाले कफ की घटनायें बहुत अधिक होती हैं। कार्यो में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी के साथ, उनके लिए कार्यस्थल पर पर्यावरण का विशेष महत्व हो गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विशेष पहलू हैं जिन का बराबर अध्ययन करके उन पर निगरानी रखी जानी चाहिये। अनौपचारिक क्षेत्र में तथा स्वरोजगार में लगी महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन–श्रम शक्ति–1987 में महिलाओं के कार्य पर्यावरण जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें सम्मिलित हैं, पर विस्तार से विचार किया गया है।

पर्यावरण प्रधान विकास परियोजनायें: समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता–

पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण ह्रास निराकरण के सन्दर्भ में सरकार द्वारा कई विकास परियोजनायें आरम्भ की गयी हैं। जहां स्वयं इन परियोजनाओं के लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं वहीं इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि इनसे महिलाओं पर स्वतः ही लाभकारी प्रभाव होगा। वस्तुतः इनके ऐसे दुष्प्रभाव भी हो सकते है कि जब तक इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समग्र दृष्टिकोण न अपनाया जाये, महिलाओं पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह बात एक वाटरशैड प्रबन्धन के उस कार्यक्रम के विश्लेषण से सामने आयी है जिसे उत्तर भारत के शिवालिक

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

पर्वत–तले के कुछ गांवों में परिस्थितिकीय ह्रास की प्रक्रिया को उलटने के लिये लागू किया गया था।

ठोस कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, फार्मो और वनों के उत्पादों की मांग को अधिकतम करना तथा फमों पर काम करने वाली महिलाओं की कड़ी मजदूरी की स्थिति को रोकना था। इसके अन्तर्गत वर्षा जल संचयन, संचित जल का पुनः प्रयोग, भूमि का समतलीकरण, भूमि को ठीक करना, उन्नत कृषि प्रक्रियाओं को लागू करने का काम किया गया। वस्तुतः इसके कई लाभकारी परिणाम निकलें। फसलों की कटाई की तीव्रता में वृद्धि हुई; अनुपूरक सिंचाई से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई; परियोजना के अधीन चारे की अधिक उपलब्धता के कारण समीपवर्ती वनों के संरक्षण का कार्य किया जा सका; तथा पर्वतीय संसाधन प्रबन्धन समितियों में ग्रामीणों को सहभागी बनाकर संस्थागत बदलाव का कार्य किया जा सका। लेकिन इसके साथ ही, खेत में काम करने वाली महिलाओं का कार्यभार बढ़ा; तथा चराने से भिन्न पशुपालन कार्यकलापों में 194 प्रतिशत वृद्धि हुई, यद्यपि वास्तव में इससे पशुओं को चरानें, ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने तथा पानी भरने में लगने वाले समय में काफी कमी हुई। महिला विकास सूचकांक में सुधार हुआ, परन्तु इससे स्त्री–पुरूषों की असमानताओं को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका..... ''महिलाओं की दृष्टि से, पर्यावरणीय परिवर्तनों कें प्रभावों से पता चलता है कि परियोजना के डिजाइन करने के तरीकों में कई अन्तःसबद्ध उप–प्रणालियों अर्थात् सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी, संस्थागत तथा प्रौद्योगिकीय प्रणालियों पर ध्यान देना होगा जिससे ग्रामीण समाज में स्त्री–पुरूषों के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अन्तिम रूप से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पर्यावरण महिलाओं के लिये प्राकृतिक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ऐसी सामाजिक रचना है जिसका प्रबन्धन समाज के संगठन पर निर्भर करता है।''[7]

महिलाएं निश्चय ही प्रकृति प्रदत धरोहर के पालन पोषण एवं रक्षा में महत्ती भूमिका निभाने का एक बहुत बडा इतिहास प्रस्तुत करती है। महिलाओं ने स्वयं को कष्टों में रखकर भी पेड़ पौधों, वनस्पतिय एवं प्राणियों की रक्षा करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और वर्तमान समय में भी अपना कर्त्तव्य समझकर उन्होने 'चिपको' तथा 'इप्पिको' जैसे प्रकृति संरक्षण के आन्दोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। महिलाओं को शिक्षित करने की वकालत चार्ल्स डी' मेल्बा ने की है। भारतीय ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण चेतना और सूझ–बूझ उन्हें शिक्षित करने से ही सम्भव

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

है। ऐसे तो ग्रामीण जीवन के कार्य–विभाजन की दृष्टि से उन्हें जंगल से ईंधन व चारा लाने में बहुत समय नष्ट करना पड़ता है; अतः जैव सम्पदा उन्हें सुलभता से नजदीक ही प्राप्त हो जाए तो बाकी बचे समय में साक्षरता के कार्यक्रम को भी वे सफल बना सकती हैं। जब वे पढ़ने–लिखने के उपरान्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना प्राप्त कर लेंगी, तो देश की अन्य समस्याओं को समग्र रूप से समझ सकेंगी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, प्रदूषण–निवारण क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के समाधान में भी वे सराहनीय योगदान कर सकती है।

संदर्भ सूची

8. कृषि एवं जैव–विविधता की प्रयोक्ताओं, संरक्षकों एवं प्रबंधकों के रूप में महिलायें, महिला एवं जनसंख्या प्रभाग, स्थायी विकास विभाग, खाद्य एवं कृषि संगठन।
9. पर्यावरण विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992।
10. सरला गोपालन और मीरा शिवाः पेशनल प्रोफाइल ऑन वीमैन, हैल्थ एंड डवलपमैंट, भारत 2000।
11. सरला गोपालन और मीरा शिवाः पेशनल प्रोफाइल ऑन वीमैन, हैल्थ एंड डवलपमैंट, भारत 2000।
12. मीराई चटर्जी और सुनयना वालिया, हैल्थ इश्यूज रिलेटेड टू लाइॅ स्टाइल्स एंड टू होम एण्ड वर्क एनवायरमेंट्स 1998।
13. ज्योति पारिख, किर्क स्मिथ, विजयालक्ष्मी, इकनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, खण्ड 34, संख्या 27 फरवरी 1999–इनडोर एयर पोल्यूशनः ए रिफलेक्शन ऑन जेण्डर बायस।
14. स्वर्णलता आर्या, जे0 एस0 समरा और एस0 पी0 मित्तलः केन्द्रीस मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़, रूरल वीमैन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ट्रेप्स एण्ड अपोर्चुनिटिज।

शोध सीमांकन
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review and refereed Journal
Vol. 3 No. 1&2 Year 2018
ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

17

भारतीय परम्परा के कतिपय आचार्य एवं उनके आश्रम

सुबोध कुमार मिश्र
शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्भव एवं विकास वैदिक ऋषियों के नेतृत्व में हुआ। ऋषि लोक जीवन के साक्षात् द्रष्टा थे, और लोक निर्माण के स्रष्टा भी थे। व्यष्टि एवं समष्टि के निर्माण में ऋषियों ने विभिन्न स्थानों पर अपने आश्रमों को क्रमशः उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया। जहाँ भारतीय राष्ट्र के महापुरुषों का निर्माण इन आश्रम रुपी उच्च शिक्षा केन्द्रों द्वारा किया गया । विषय के विस्तार को अति संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए प्रमुख ऋषियों और उनके उच्च शिक्षा के आश्रम केन्द्रों का संक्षिप्त शोधात्मक विवरण प्रस्तुत है–

१. अगस्त्य-

प्राचीन भारतीय साहित्य में अगस्त्य ऋषि का नाम संस्कृति, धर्म और शिक्षा के प्रचारक के रुप में बहुत प्रसिद्ध है। विन्ध्य पर्वत की ऊँचाइयों को पार करके वे दक्षिण भारत गये और वहाँ इन्होंने भारतीय आर्य संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया।[1] दक्षिण भारत से वे दक्षिण–पूर्व के द्वीप–दीपान्तरों में भी गये।

प्राचीन साहित्य में महर्षि अगस्त्य के आश्रमों की स्थिति भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर वर्णित है। वे हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तट तक विस्तृत थे। गढ़वाल में अगस्त्य मुनि का स्थान बहुत प्रसिद्ध है।

'उत्तररामचरित' के अनुसार अगस्त्य ऋषि का आ़श्रम और विद्या केन्द्र गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। यह ब्रह्मविद्या (वेदान्त) के अध्ययन का महान केन्द्र रहा था। वेदान्त का अध्ययन करने के लिये छात्र दूर–दूर से अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आते थे।[2] वनवास की अवधि में राम जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में आये, तो उन्होंने उनको दिव्य आयुद्य प्रदान किये थे।

अगस्त्य एवं लोपामुद्रा के कहने पर राम ने अपनी कुटीर गोदावरी नदी के तट पर बनाई थी। अगस्त्य के उस आश्रम की पहचान नासिक से 15 मील दूर अकोला ग्राम से की गई है।[3]

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

२. कण्व-

महर्षि कण्व की गणना सप्तर्षियों में की जाती हैं। वे वैदिक परम्परा के ऋषि थे। भारतीय साहित्य में महर्षि कण्व का आश्रम तीर्थ, धर्मारण्य, तपोभूमि और विद्या केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है।[4] कण्व को कुलपति कहा गया है। अतः यह एक सिद्ध तथ्य है कि यह आश्रम एक प्रसिद्ध विद्या– केन्द्र रहा था।

कण्व के आश्रम की स्थिति मालिनी नदी के तट पर थी।[5] वर्तमान समय में इस स्थान को कोटद्वार – हरिद्वार मार्ग पर कोटद्वार से छः मील पर अवस्थित पश्चिम में समझा जाता है। इसके समीप ही वेतस (नडों) का वन है। प्राचीन काल में यह नडपित वन कहलाता था। यहाँ विश्वामित्र ऋषि ने तप किया था और यहीं मेनका. विश्वामित्र के संयोग से शकुन्तला का जन्म हुआ था।

कण्व के गुरुकुल में अनेक आचार्य निवास करते थे। इनके कुटीर कण्व कुटीर के समीप ही बने होंगे। कुलपति होने से कण्व के गुरुकुल में हजारों छात्र विद्या अध्ययन करते होंगे। राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार कण्व के गुरुकुल में निम्न विषयों का अध्ययन होता था – चार वेद, वेदांग, कर्मकाण्ड, यज्ञ, कल्पसूत्र, वैदिक मंत्रो के विभिन्न पाठ, शिक्षा, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, आत्मविज्ञान , ब्रह्मोपासना, मोक्ष , धर्म, लोकायत न्याय, भौतिक विज्ञान, कलायें, गणित, द्रव्यगुण, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि।

३. परशुराम-

धनुर्वेद के आचार्य के रुप में परशुराम का नाम प्राचीन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके पृथ्वी को क्षत्रिय–विहिन कर दिया था। वे महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रेणुका था। क्षत्रियों का संहार करके परशुराम ने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं वे महेन्द्र पर्वत पर रहने लगे।

परशुराम ने भीष्म और कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। द्रोण ने भी परशुराम से धनुर्वेद का अध्ययन किया था। 'महाभारत' से यह कथा प्रसिद्ध है कि परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म को आदेश दिया कि वह काशीराज की पुत्री अम्बा से विवाह कर ले। परन्तु भीष्म ने इसको स्वीकार नहीं किया। तब गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम की पराजय हुई और वे अपने आश्रम को वापिस चले गये।

परशुराम ने महेन्द्र पर्वत पर अपनी आश्रम और विद्या केन्द्र बनाया था। राजशेखर के अनुसार यह स्थान कोंकण में है।[6] परन्तु अनेक विद्वान महेन्द्र पर्वत की

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

स्थिति उड़ीसा में मानते है। किंवदंती यह भी प्रसिद्ध है कि सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिये दान करके परशुराम ने समुद्र से पृथ्वी को प्राप्त किया और वे वहीं आश्रम बना कर रहने लगे। यह भूमि शूर्पारक कहलाई और यह स्थान अपरांत क्षेत्र के अन्तर्गत है।[7]

४. वाल्मीकि-

'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि को संस्कृत भाषा का आदि कवि होने का गौरव प्राप्त है। प्राचीन साहित्य के अनुसार वाल्मीकि का विशेष सम्बन्ध तमसा और गंगा नदियों के साथ रहा था। अतः वाल्मीकि – आश्रम की स्थिति इन दोनों नदियों के तट पर ही कहीं होनी चाहिए। इन दोनों नदियों में भी तमसा नदी के साथ वाल्मीकि मुनि का सम्बन्ध अधिक रहा।

कहा जाता है कि एक दिन संध्या वंदन के लिये वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गये। वहाँ उन्होंने एक आखेटक द्वारा क्रौंच पक्षी का वध होते हुए देखा। उसकी प्रिया क्रौची विलाप करती हुई उपर आकाश में उड़ती चम्कर लगा रही थी। इस करुण दृश्य को देख कर महर्षि की वाणी से निम्न छन्द अवतीर्ण हुआ –

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।
यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः कामहेतुकम् ।।

तदनन्तर ब्रह्मा के आदेश से महर्षि वाल्मीकि ने 'रामायण' की रचना की।[8]

वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था, यह प्रश्न विचारणीय है। वर्तमान समय में इसकी स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विवाद और मतभेद है। तथापि गंगा नदी के दक्षिणी तट पर जहाँ तमसा नदी (रीवा से बह कर आने वाली टौंस नदी) का संगम होता है, वहाँ इस आश्रम की स्थिति रही होगी। 'रामायण' में यह स्पष्ट लिखा है कि अयोध्या से चल कर गंगा को पार करके दूसरे पार तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का आश्रम है।[9]

कानपुर से 12 मील उत्तरपूर्व में बिठूर (प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त) के लिये भी प्रसिद्ध है कि गंगा के तट पर अवस्थित इस स्थान पर वाल्मीकि का आश्रम था। वहीं लव–कुश ने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त की थी। वाल्मीकि की कथा से सम्बन्धित अनेक स्थान यहाँ पर हैं। यथा – वाल्मीकि कूप, वाल्मीकेश्वर महादेव मन्दिर, सीता कुण्ड, लव–कुश स्थान और स्वर्ग सोपान। आश्रम के समीप एक छोटी सी नदी बहती है। सम्भव है कि प्राचीन काल में इसका नाम तमसा ही रहा हो।[10] वर्तमान समय में यह लोन (नोन) नाम से प्रसिद्ध है।

वाल्मीकि का आश्रम अपने समय में विद्या का महान केन्द्र रहा था। वाल्मीकि स्वयं में वेद आदि विद्याओं के विशेषज्ञ रहे थे। भवभूति के अनुसार इस शिक्षणालय में

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

छात्रायें भी अध्ययन करती थी। इस तथ्य का उल्लेख अन्य भी अनेक स्थानों पर है। राम के पुत्रों लव और कुश ने सभी विद्याओं को महर्षि वाल्मीकि से ही प्राप्त किया था।[11]

५. भारद्वाज-

उत्तर से गंगा को पार करके दक्षिणी तट पर गंगा –यमुना के संगम पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। अपने समय का यह एक प्रसिद्ध महान शिक्षा संस्थान था। उस समय यह संगम प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध था। रामायण के अनुसार भारद्वाज ऋषि धन–धान्य से सम्पन्न कुलपति महर्षि थे ।

राम के वन में चले जाने पर भरत जब उनको लौटा लाने के लिये चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो वे एक रात राजपरिवार की औरतों के और सेना के साथ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में अतिथि के रूप में रहे थे। इस आश्रम में शुभ्र चतुःशाल थे, गौशाला और अश्वशाला थी, तोरणो से सुसज्जित हर्म्य और प्रासाद थे और ये शयन – आसन – वाहनों से सुसज्जित थे। यहाँ अन्न के भण्डार थे। आश्रम में भरत का स्वागत संगीत में निपुण युवतियों ने किया । उन्होंने अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत किया था।

इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में कुलपतियों के पास लौकिक धन–सम्पत्ति भी प्रचुर मात्रा में होती थी।

भारद्वाज आश्रम का उल्लेख हरिद्वार (गंगाद्वार) के समीप भी मिलता है। उनके गुरुकुल में आग्निवेश नामक आचार्य धनुर्वेद के महान् शिक्षक थे। महाभारत में वर्णित है कि भारद्वाज से प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त करके द्रोण और द्रुपद ने अग्निवेश से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। अग्निवेश ने अपने शिष्यों को आग्नेयास्त्र की शिक्षा भी दी थी।

६. विश्वामित्र-

वैदिक परम्परा के ऋषियों में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का नाम अग्रगण्य है। 'ऋग्वेद' के तीसरे मण्डल के ऋषि विश्वामित्र ही हैं। इनकी गणना सप्तर्षियों में की गई है। क्षत्रियत्व से विरक्त होकर विश्वामित्र ने कठोर तप करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया था।

मुरारि ने वर्णन किया है कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आश्रम कौशिकी नदी के तट पर था। वे महान आचार्य और कुलपति थे। इस आाश्रम में स्वाध्याय करने वाले छात्रों के अध्ययन की ध्वनि दूर–दूर तक सुनाई देती थी।[12] कौशिकी नदी वर्तमान समय की

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

कोसी नदी है, जो पूर्वी नेपाल से भारत में प्रवेश करके बंगाल प्रान्त में गंगा में मिल जाती है।

विश्वामित्र के आश्रम की स्थिति गंगा–सरयू संगम पर कही जाती है। यह स्थान वर्तमान समय में बक्सर कहलाता है, जो पटना से काफी दूर पूर्व में है। बक्सर के समीप एक सिद्धासन है, जिसको विश्वामित्र का आश्रम कहते हैं। यहाँ प्राचीन समय के यज्ञ–कुण्ड तथा अन्य यज्ञीय सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बक्सर के रामरेखा घाट और रामेश्वर मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ राम–लक्ष्मण इस क्षेत्र में आये थे। इन्होंने उनके यज्ञ की रक्षा करते हुए अनेक राक्षसों का संहार किया था। राम–लक्ष्मण ने इसी स्थान पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी।

उपनिषदों के अनुसार विश्वामित्र ऋषि ने शुनःशेप को अपने शिष्य के रुप में ग्रहण किया था।

७. व्यास-

वेदों के सम्पादक और 'महाभारत' के रचयिता तथा 18 पुराणों के संग्रहकर्ता के रूप में महर्षि व्यास का नाम बहुत प्रसिद्ध है। महान् आचार्य और लेखक के रुप में महर्षि व्यास ने अविनश्वर कीर्ति प्राप्त की थी। वे महर्षि पाराशर और मत्स्यगंधा (सत्यवती) के पुत्र थे।

व्यास के नाम से अनेक आश्रम प्रसिद्ध है। सामान्यतः व्यास आश्रम की अवस्थिति हस्तिनापुर के निकट गंगा के पार कल्पित की जाती है। गढ़वाल में व्यासघाट प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ गंगा और नयार (नबालिका) नदियों का संगम है। बदरीनाथ से दो किलोमीटर उत्तर में माणा नामक स्थान है । इसको मणिभद्रयक्ष की राजधानी कहा जाता है। यहाँ व्यास–गुहा और गणेश–गुहा है। यह प्रसिद्ध है कि यहां महर्षि व्यास ने 'महाभारत' का प्रणयन किया था । उन्होंने पुराणों का संकलन भी किया। उस समय गणेश देवता उनके लिपिक बने थे ।

८. शौनक-

नैमिषारण्य का नाम प्राचीन शिक्षा साहित्य में बहत प्रसिद्ध रहा। यह स्थान एक विश्वविद्यालय के रुप में विकसित और प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ के अधिपति महर्षि शौनक थे। वे एक महान कुलपति के रुप में प्रसिद्ध हुए थे। इनका आश्रम एक महान शिक्षा केन्द के रूप में विकसित हुआ था । इसमे 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

शौनक ने एक 12 वर्षीय सत्र यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें एक संवाद गोष्ठी भी आयोजित हुई थी। इस संगोष्ठी में धार्मिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर संवाद आयोजित हुए थे। इसमे दूर–दूर के प्रदेशों के विद्वानों ने भाग लिया था।

नैमिषारण्य विद्या का महान् केन्द्र रहा था। वेवर महोदय का कथन है कि नैमिषारण्य में ही सूत्र साहित्य की रचना हुई थी।[13] शतपथ ब्राह्मण और सूत्र साहित्य में शौनक ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे वेदों के व्याख्याता और सूत्र साहित्य के स्चयिता गिने जाते हैं।

10–11वीं शताब्दी में नैमिषारण्य को धर्म और शिक्षा की दृष्टि से अति महत्वर्ण स्थान माना जाता रहा होगा। दिड्.नाग रचित 'कुन्द माला' नाटक में कवि ने राम द्वारा नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ सम्पादित करने का वर्णन किया है। इसमें दूर–दूर के विद्वान् महान आचार्य और ऋषि अपने शिष्यों के साथ समिलित हुए थे। .

विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा केन्द्र ऋषियों द्वारा निर्मित थे। उनकी शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम, अनुशासन के नियम, निःशुल्क शिक्षा पद्धति स्वतंत्र थी। उसमे शासन की ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। शासक और समाज इन शिक्षा केन्द्रो की शासकीय संरक्षण, सहायता और अनुदान प्रदान करता था। परन्तु शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वशासी एवं ऋषि नियंत्रित होती थी।

सन्दर्भ सूची

1. (क) रामायण अरण्य काण्ड 2.85–86 ।।
   (ख) महाभारत वनपर्व अध्याय 104 ।।
2. उत्तररामचरित 2.3
3. कृष्ण कुमार : संस्कृत नाटकों का भौगोलिक परिवेश पृष्ठ 154
4. (क) महाभारत आदि पर्व 215.103 ।।
   (ख) स्कन्द पुराण केदारखण्ड 57.11–11, अग्निपुराण 115.10
5. अभिज्ञान शाकुन्तल प्रथम अंक ।।
6. कौमुदी महोत्सव पृष्ठ – 3 ।।
7. महाभारत शान्ति पर्व 49.66–67
8. रामायण बालकाण्ड 56.16 ।।
9. गड्.यास्तु परे परि वाल्मीकेस्तु महात्मनः ।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

आश्रमो दिव्यसङ्.काशस्तमसातीरमाणितः ।।

रामायण अरण्यकाण्ड (45.17–18)

10. कालिदास की कृतियों में भौगोलिक प्रत्याभिज्ञान पृष्ठ – 32 ।।
11. निवृत्तचौलकर्मणोस्त्रयीवजमितरास्तिस्रो विद्याः सावधानेन परिनिष्ठापिताः तदनन्तरमेकादशे वर्षे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय त्रयी विदयामध्यापितौ ।

(उत्तररामचरित–द्वितीय अंक)

12. अनर्धराघव 2.45
13. मुकर्जी राधाकुमुद : ऐशिएण्ट इण्डियन एजुकेशन पृष्ठ – 171 ।।

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper (……..) to be published in the first issue every year after the last day of February

1. Place of publication	**GORAKHPUR**
2. Periodicity of its publication	**BI-ANNUAL**
3. Printer's Name	**DR. AJAY KUMAR SINGH**
Nationality	**INDIAN**
Address	**Q-133 RESERVE POLICE LINE, INFRONT OF ATTA CHAKKI, GORAKHPUR UP 273009**
4. Publisher's Name	**DR. AJAY KUMAR SINGH**
Nationality	**INDIAN**
Address	**Q-133 RESERVE POLICE LINE, INFRONT OF ATTA CHAKKI, GORAKHPUR UP 273009**
5. Editor's Name	**DR. AJAY KUMAR SINGH**
Nationality	**INDIAN**
Address	**Q-133 RESERVE POLICE LINE, INFRONT OF ATTA CHAKKI, GORAKHPUR UP 273009**

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding More than one per cent of the total capital.

I, **DR. AJAY KUMAR SINGH** hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

AJAY KUMAR SINGH

Date- July 2018

Signature of Publisher

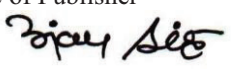

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

Author's Guidelines

- A Research paper should contain sufficient detail and references to the work.
- The authors should ensure that they have submitted their original works, and if the authors have used the work of other's then that has been appropriately cited.
- All those who have made significant contributions should be reported as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research should be acknowledged as contributors.
- When an author notices inaccuracy in his own published work, it is the author's duty to promptly notify the editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Guidelines

1. **Subjects:** Authors are requested to send only original and unpublished articles.
2. **Plagiarism:** Authors are requested to send their original work with a conclusive result. We normally permit not more than 25% plagiarism.
3. **General Format, Page Layout and Margins:** Standard A4 (210mm x 297mm) portrait page set-up should be used. Margins should be 1.78cm at left and right with top and bottom margin set to 2.54cm. Do not use any headers, footers or footnotes. No page numbers. All main text paragraphs, including the abstract, must be fully (left and right) justified. All text, including title, authors, headings, captions and body, will be in Times New Roman Font, in case of English or Kurtidev010, in case of Hindi. Paper text must be in two columns of 89 cm width each, with 0.51 cm spacing between the columns, font Size: 12 Line spacing 1.5.
4. **Title:** Time New Roman Font, in case of English or kurtidev010, in case of Hindi, 14, bold, centre, first alphabet capital.
5. **Author:** Author name are to be written in 12 pt. Bold & centre in font followed by designation, organization, address including state & country name.
6. **Abstract:** First page, top left column, title bold-left aligned, text from next line, 10 font, Italics and 150-200 words. The text must be fully left justified.
7. **Key words:** The keywords section begins with the world, "keyword" in 10pt, bold italics. There may be up to few keywords separated by commas.
8. **Section & Sub Section Heading:** 12 fonts, bold, centre, roman numbered in block capital letters, text after double space (eg. SECTION III) Sub heading: number small alphabetic within bracket 10font, text single spacing (eg. (a)Classification). Sub Heading ; should be left aligned number small new roman within bracket 10 font,

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

text single spacing (eg. (iii) characteristics). Introduction and conclusion must be included as separate sections ensure that introduction and literature survey is not more than 15% of total article size.

9. **Figures and Tables:** All inserts, figures, diagrams, photographs and tables must be centre- aligned, clear and appropriate for black/white or gray scale reproduction. Figures (eg.Fig No.1) must be numbered consecutively, 1, 2, etc, from start to finish of the paper, ignoring sections and subsections. Tables (eg. Table No.1)are also numbered consecutively,1,2 etc. (Close to text where mentioned).Figure number should appear below the figure. Table no. should appear above the table.
10. **Reference:** The Reference section begins with the world, "Reference" in 12 pt., bold, first letter bold and remain in small & should be numbered. Name of Author starting with surname with year of publication in bracket, then Topic, Name of Journal/Book in Italics, Volume Number, issue number in bracket, separated by Name of Journal in italics with colons, Name of publisher and page number.

Samples of Complete References

Printed Book

Gandhi, M. (1955) My experiment with Truth, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, pp.125-130

Magazine Article

Essinger, J. (1991, May 28). Just another tool of your trade. Accountancy 108, pp. 91-125.

Journal Article

Armstrong, P. and Keevil, S. (1991). Partition of India. British History Journal 303(2), 105-109.

Interview

Santosh Shukla. (1996, January 10) Professor, Sanskrit Department, JNU - Delhi, 3:00 pm, Delhi, India.

World Wide Web Address

Burke, J. (1992, January/February). Children's research and methods: What media researchers are doing, Journal of Advertising Research, 32, RC2-RC3. [CDROM]. Available: UMI File: Business Periodicals Ondisk Item: 92-11501.

FTP

Watson, L, and Dallwitz, M.J. (1990, December). Grass genera of the world-interactive identification and information retrieval. Flora Online: An Electronic Publication of TAXACOM (22). [Online]. Available FTP: huh.harvard.edu, Directory: pub/newsletters/flora.online/issue22, File:022gra11.txt.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

Review Process and Policy

As a publisher, we try to adhere to the norms and guidelines formulated by various scholarly societies and UGC to achieve international standards by maintaining quality in publication and by updating our publication system. We expect and encourage all the concerned people associated with the journal. In order to maintain transparency in publication, we encourage all—authors, editors, reviewers and other person/parties involved in the publication process, to avoid any form of conflicts of interest. The corresponding author is responsible for sending us the Conflict of Interest document agreed to and signed by other authors.

1. **Generation Information**
    a. Research Papers, Articles, Technical Reports, Analysis, Resources, Reviews, Perspectives, Progress articles and Insight articles will be peer-reviewed at the discretion of the editors.
    b. If other contributed articles present technical information, may be peer-reviewed at the discretion of the editors.
    c. About the peer-review process, we encourage reviewers to contact us through email.
2. **Criteria for Publication**
    We are constantly trying to raise the standards of our publications. We expect the same kind of commitment from authors to conform to the ethical norms by following our guidelines. Research paper should meet following general criteria:
    a. Quality of Research work and unpublished nature.
    b. Provides strong evidence for its conclusions.
    c. Novel, Innovative and Meaningful to specific field.
    d. Ideally, interesting to researchers in other related disciplines.
    e. In general paper should represent an advance in understanding likely to influence thinking in the field. There should be a discernible reason why the sent work deserves publication.
3. **Plagiarism Policy**
    Authors submitting with us are expected to have proper understanding about the plagiarism issues. Nothing should be copied in any form without proper acknowledgement or legal permission in any way that may violate other's intellectual rights. While they should include

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

acknowledgement to other's works, they should also take permission for using any material from the concerned persons themselves. The journal will not initiate any process nor will remain responsible for any kind of copyright violation.

4. **The Review Process**

   All submitted manuscripts are read by the editorial board. The article is subjected to plagiarism check with software available and rejected if plagiarism is beyond 25%. Editor may decide to get article reviewed by more than one levier. Only those papers that seem most likely to meet our editorial criteria are sent for formal review.

5. **Post Review/ Re review Process**

   We try to evaluate the strength of the arguments raised by each reviewer and by the authors. Our primary responsibilities are to our readers and to the intellectual community at large, and in deciding how best to serve them, we must weigh the claims of each paper against the many others also under consideration.

   We may return to reviewers for further advice, where the authors believe they have been misunderstood on points of fact. We therefore ask that reviewers should be willing to provide follow-up advice as requested.

   When reviewers agree to assess a paper, we consider this a commitment to review subsequent revisions. However, editors will not send are submitted papers back to the reviewers if it seems that the authors have not made a serious attempt to address the criticisms.

   We take reviewers' criticisms seriously; in particular, we are very reluctant to disregard technical criticisms. In cases where one reviewer alone opposes publication, we may consult the other reviewers as to whether s/he is applying an unduly critical standard. We occasionally bring in additional reviewers to resolve disputes, but we prefer to avoid doing so.

6. **Selection of Peer Reviewers**

   We choose reviewers on many factors, including expertise, reputation, specific recommendations and our own previous experience. We check with potential reviewers before sending them manuscripts to review.

ISSN-: 2456-3560
Impact Factor
4.646 SJIF

7. **Access to the Literature by Peer Reviewers**
   If a reviewer does not have access to any published paper that is necessary for evaluation of a submitted manuscript, the journal will supply the reviewer with a copy.
8. **Review Report**
   The primary purpose of the review is to provide the editors with the information needed to reach a decision but the review should also instruct the authors on how they can strengthen or improve their paper to the point where it may be acceptable. As far as possible, a negative review should explain to the authors the major weaknesses of their manuscript, so that authors can understand needs to be done to improve the manuscript. Confidential comments to the editor are welcome.
9. **Timing**
   We are committed to rapid editorial decisions and publication, and we believe that an efficient editorial process is a valuable service to our contributors or authors. We therefore ask reviewers to respond promptly within the number of days agreed.
10. **Anonymity**
    We do not release referees' identities to authors or to other reviewers unless a referee voluntarily signs their comments to the authors. Our preference is for referees to remain anonymous throughout the review process and beyond.
11. **Peer–Review Publication Policies**
    All submitted Research papers are sent for peer review. Authors are welcome to suggest suitable independent reviewers and may also request that the journal excludes one or two individuals. The journal sympathetically considers such requests and usually honors them, but the editor's decision on the choice of referees is final.
    Editors, authors and reviewers are required to keep confidential all details of the editorial and peer review process on submitted manuscripts. Reviewers should be aware that it is our policy to keep their names confidential and that we do our utmost to ensure this confidentiality. We cannot, however, guarantee to maintain this confidentiality in the face of a successful legal action to disclose identity.